[2018] 12 एस. सी. आर. *362*

पुरातात्विक भारत निजी सीमा

वी.

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस।

(सिविल अपील सं। *9402-9405 2018* का*)*

4 अक्टूबर, *2018*

[आर. एफ. नरीमन और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.*]*

दिवाला और दिवालियापन संहिता, *2016: s.29A*-मुद्दा समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए समाधान आवेदकों की अयोग्यता से संबंधित है। एस की शुरुआत के बाद। *29* संहिता में ए-वित्तीय लेनदारों को देय वित्तीय ऋणों के लिए संहिता के तहत दायर याचिका-कॉर्पोरेट देनदार ईएसआईएल द्वारा *Rs.45,000* करोड़ के लिए-आरपी *(*समाधान पेशेवर*)* ने संभावित से ब्याज की अभिव्यक्ति आमंत्रित की

समाधान आवेदक-अपीलार्थी *(*ए. एम. आई. पी. एल.*)* और एक इकाई न्यूमेटल ने रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की-ए. एम. आई. पी. एल. और न्यूमेटल-आर. पी. द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत करने में ए. एम. आई. पी. एल. और न्यूमेटल दोनों को एस. के तहत अयोग्य पाया गया। *29* ए-आरपी ने माना कि ए. एम. नीदरलैंड ने एक के रूप में उल्लेख किया है

ए. एम. आई. पी. एल. के संबंधित व्यक्ति को उत्तम गाल्वा के प्रवर्तक के रूप में प्रकट किया गया था जिसे एन. पी. ए. घोषित किया गया था-इसी तरह की स्थिति न्यूमेटल की थी-ए. एम. आई. पी. एल. और न्यूमेटल ने पहले आर. पी. के आदेश को चुनौती दी थी।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण *(*एन. सी. एल. टी.*)*-आर. पी. के निमंत्रण के अनुसरण में, ए. एम. आई. पी. एल., न्यूमेटल और एक अन्य इकाई 'वेदांत' द्वारा प्रस्तुत नई समाधान योजनाएं-एन. सी. एल. टी. ने सभी आई. ए. एस. में आदेश पारित किया, जिसमें पहले यह अभिनिर्धारित किया गया कि आवेदकों की अयोग्यता घोषित करने के लिए आर. पी. के निर्णय में कोई पेटेंट अवैधता नहीं थी-इसके बाद यह अभिनिर्धारित किया गया कि आर. पी. को ऋणदाताओं की समिति *(*सी. ओ. सी.*)* के समक्ष दोनों समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करना चाहिए था और इसका पालन करना चाहिए था। एस का प्रावधान। *29* ए *(*सी*)* आर/डब्ल्यू एस। *30 (4)* समाधान आवेदकों को अयोग्य घोषित करने से पहले उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए और इसलिए, इस आधार पर मामले को आर. पी. और सी. ओ. सी. को वापस भेज दिया गया।

एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील, *8.5.2018* पर, सी. ओ. सी. ने ए. एम. आई. पी. एल. और न्यूमेटल को अयोग्य ठहराया-*7.9.2018* पर, एन. सी. एल. ए. टी. ने माना कि न्यूमेटल द्वारा पहली समाधान योजना के समय, शेयरधारकों में से एक 'ए. ई. एल.' संबंधित पक्ष था और इसलिए, न्यूमेटल प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं था।

एस के संदर्भ में योजना। *29* ए और यह कि *29.3.2018* पर, क्योंकि एईएल न्यूमेटल का शेयरधारक नहीं था और तीनों शेयरधारक पात्र थे, न्यूमेटल पात्र था-इसलिए, समाधान योजना प्रस्तुत की गई

न्यूमेटल द्वारा इसकी व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए सी. ओ. सी. द्वारा विचार किया जाना-जहां तक ए. एम. आई. पी. एल. का संबंध है, एन. सी. एल. टी. के आदेश की पुष्टि इस शर्त के साथ की गई थी कि ए. एम. आई. पी. एल. सभी बकाया राशि का भुगतान उस पर ब्याज और "उत्तम गाल्वा" और "के. एस. एस. पेट्रोन" दोनों के एन. पी. ए. से संबंधित शुल्कों के साथ तीन दिनों के भीतर करेगा-ए. एम. आई. पी. एल. और न्यूमेटल द्वारा दायर तत्काल अपीलें-आयोजितः एस के उपखंड *(सी)* के अवयव। *29* ए यह है कि, समाधान योजना प्रस्तुत करने की अयोग्यता यदि कोई हो तो संलग्न होती है।

व्यक्ति, जैसा कि एस की शुरुआती रेखाओं में संदर्भित किया जाता है। *29* ए, या तो स्वयं

किसी निगमित देनदार का खाता है या उसके प्रबंधन या नियंत्रण में प्रवर्तक है, जिसके पास एक खाता है, जिसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ऐसे वर्गीकरण की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत-यदि तथ्यों के आधार पर यह दर्शाया गया है कि समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले उचित रूप से निकट समय पर,

एस में संदर्भित व्यक्ति। *29* ए इस तरह से व्यवस्थित हैं, ताकि संबंधित गैर-निष्पादित संपत्ति के ऋणों का भुगतान करने से बचा जा सके, ऐसे व्यक्ति

समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य माना जाना चाहिए

में

तत्काल मामला, क्योंकि दोनों संकल्प योजनाएँ *2.4.2018* पर भी, *s* से प्रभावित थीं। *29* ए *(सी)*, और एस के परंतुक के बाद से। *29* ए *(सी)* लागू नहीं होगा क्योंकि ए. एम. आई. पी. एल. और न्यूमेटल से संबंधित निगमित देनदार नहीं हैं।

उनके संबंधित एन. पी. ए. का भुगतान, आम तौर पर, इन अपीलों का निपटारा केवल दोनों समाधान आवेदकों को एस के तहत अयोग्य घोषित करके किया जाएगा। *29* ए *(सी)*-हालांकि, भारत के संविधान के *Art.142* के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए, एक और अवसर है

दोनों समाधान आवेदकों को दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपने संबंधित कॉर्पोरेट देनदारों के एन. पी. ए. का भुगतान करने के लिए दिया गया

एस के परंतुक के अनुसार। *29* ए *(सी)*-यदि ऐसे भुगतान हैं

उक्त अवधि के भीतर किए गए, दोनों समाधान आवेदक अपनी दिनांकित समाधान योजनाओं को सी. ओ. सी. को फिर से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन्हें तब वेदांता द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना सहित प्रस्तुत की गई योजनाओं में से सर्वश्रेष्ठ को आवश्यक बहुमत से स्वीकार करने के लिए *8* सप्ताह की अवधि दी जाती है-यदि कोई भी योजना स्वीकृति के योग्य नहीं पाई जाती है।

सी. ओ. सी. के अपेक्षित बहुमत से, निगमित देनदार, यानी ई. एस. आई. एल., परिसमापन-भारत का संविधान-*Art.142*-कंपनी कानून में जाएगा।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, *2016: s.29A (c)* यह है

सक्षम प्राधिकारी के लिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति, जो *[2018] 12* एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अन्यथा अपात्र और उपखंड *(ग)* द्वारा प्रभावित, अन्य तरीकों से उपखंड *(ग)* के परंतुक से बाहर न निकलें, ताकि परंतुक के परिणामों से बचा जा सके-इस उद्देश्य के लिए, तथ्य के बावजूद

कि उपखंड *(ग)* के तहत अयोग्यता के लिए संलग्न करने का प्रासंगिक समय समाधान योजना प्रस्तुत करने का समय है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एस में संदर्भित व्यक्ति इस समय के यथोचित निकट पूर्ववर्ती तथ्यों को हमेशा देखा जा सकता है। *29* ए, वास्तव में, समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले उपखंड *(सी)* के परंतुक के परिणामों से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, *2016: s.29A*-वह समय जिस पर एस के उपखंड *(सी)* में अयोग्यता। *29* ए विल अटैच-आयोजितः अयोग्यता का चरण तब जुड़ता है जब समाधान योजना

समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत-निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख केवल यह गणना करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है कि क्या उस तारीख से एक वर्ष समाप्त हो गया है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में किसी व्यक्ति का वर्गीकरण। दिवाला और दिवालियापन संहिता, *2016:* एस. *3 (37)*-एस. *3 (37)* संहिता में उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ

संहिता लेकिन जिसे अन्य बातों के साथ-साथ एस. ई. बी. आई. अधिनियम, *1992* और कंपनी अधिनियम, *2013* द्वारा परिभाषित किया गया है, का अर्थ उन अधिनियमों-एस. ई. बी. आई. *(*शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण*)* विनियम, *2011*-में क्रमशः दिया गया है। एस. *2 (1) (*क्यू*)*।

सिद्धांत/सिद्धांतः घूंघट उठाने का सिद्धांत-आयोजितः यह सिद्धांत समूह की कंपनियों पर भी लागू होता है, ताकि कोई भी समूह की आर्थिक इकाई को समग्र रूप से देख सके।

शब्द और वाक्यांश - अभिव्यक्ति "संयुक्त रूप से कार्य करना"-अर्थ

एस के संदर्भ में। *29* दिवाला और दिवालियापन संहिता, *2016*।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः *1.1* जहाँ एक क़ानून स्वयं कॉर्पोरेट घूंघट को हटा देता है,

या जहाँ लोक हित की सुरक्षा सर्वोपरि है, या जहाँ किसी कंपनी का गठन दायित्वों से बचने के लिए किया गया है

कि कोई समूह की आर्थिक इकाई को एक के रूप में देखने में सक्षम है पूरा।

[पैरा *34] [427-*एफ-जी*]* आर्केलार्मिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस।

फकीर चंद गुलाटी बनाम। उप्पल एजेंसियां प्रा. लिमिटेड और ए. एन. आर.

(2008) 10 एससीसी *345: [2008] 10* एससीआर *697;* लॉरेल

एनर्जेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड *v.* प्रतिभूति और विनिमय
भारतीय बोर्ड *(2017) 8* एस. सी. सी. *541: [2017] 5* एससीआर *1005*

अप्रयोज्य रखा गया।

1.2 धारा *29* ए के शुरुआती वाक्य में "संयुक्त रूप से कार्य करना" अभिव्यक्ति को "संयुक्त उद्यम समझौतों" के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है। "संयुक्त रूप से कार्य करना" अभिव्यक्ति से केवल यह देखा जा सकता है कि क्या कुछ व्यक्ति एक साथ आए हैं और एक साथ कार्य करने के अर्थ में "संयुक्त रूप से" कार्य कर रहे हैं। यदि यह तथ्यों पर बनाया जाता है, तो "संयुक्त उद्यम" का कोई अतिरिक्त तत्व नहीं देखा जाता है जैसा कि कानून में समझा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण वाक्यांश "इन कॉन्सर्ट" है। संहिता की धारा *3 (37)* के अनुसार, उपयोग किए गए लेकिन संहिता में परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन अन्य बातों के साथ-साथ एस. ई. बी. आई. अधिनियम, *1992* और कंपनी अधिनियम, *2013* द्वारा परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ होंगे - उन अधिनियमों में क्रमशः उन्हें सौंपा गया है। एस. ई. बी. आई. अधिनियम, *1992* की धारा *11* और *30* द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, *2011* के अधिग्रहण विनियमों को एस. ई. बी. आई. द्वारा जारी किया गया है। के द्वारा

2011 के अधिग्रहण विनियमों के विनियम *2 (1) (*क्यू*)* में "सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों" को परिभाषित किया गया है। खंड *(*क्यू*)* के उपखंड *(2)* के तहत, एक डीमिंग फिक्शन अधिनियमित किया जाता है, जिसके द्वारा एक अनुमान लगाया जाता है

उल्लिखित श्रेणियां, कि एक श्रेणी में आने वाले व्यक्ति को उसी श्रेणी में उल्लिखित किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर काम करना माना जाता है, जब तक कि इसके विपरीत स्थापित न हो जाए। निगम का पर्दा न केवल फाड़ा जाता है, बल्कि विनियमन *2 (1) (*क्यू*) (2)* के उपखंड *(i)* से *(iv)* तक टूट जाता है। उपखंड *(v)* में "निकट संबंधी" अर्थात पिता और पुत्र, भाई आदि शामिल हैं।

इसमें न केवल तत्काल रिश्तेदार शामिल होते हैं, बल्कि अन्य रूप भी शामिल होते हैं जिनमें एक व्यक्ति को दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है-जिसमें रूप शामिल होता है ट्रस्ट, साझेदारी फर्म और एच. यू. एफ. जहाँ भी व्यक्ति संयुक्त रूप से या समाधान योजना प्रस्तुत करने वाले "व्यक्ति" के साथ मिलकर कार्य करते हैं, ऐसे सभी व्यक्ति धारा *29* ए के दायरे में आते हैं। *[* पारस *35,38,39] [427* जी-एच*; 428-*ए-सी*; 431-*ई*; 433-*डी-एफ*]*

टेक्नीप एसए वी। एस. एम. एस. होल्डिंग *(*प्रा.*)* लिमिटेड और ओआरएस। *(2005) 5* एससीसी *465: [2005] 1* पूरक। एससीआर *223;* एम/एस। दाइची सैंक्यो कंपनी लिमिटेड बनाम। जयराम चिगुरुपति और अन्य। *(2010) 7* एससीसी *449: [2010] 8*

एस. सी. आर. *251* पर भरोसा किया।

2.1 धारा *29* ए के शुरुआती शब्दों में कहा गया हैः एक व्यक्ति

समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होंगे। "इसलिए यह स्पष्ट है कि अयोग्यता का चरण तब जुड़ता है जब एक समाधान आवेदक द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत की जाती है। निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख केवल यह गणना करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है कि क्या किसी व्यक्ति के गैर-ऋणदाता के रूप में वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष समाप्त हो गया है।

निष्पादित परिसंपत्ति। इसके अलावा, प्रयुक्त अभिव्यक्ति "है", प्रेसेंटी में है। इसकी तुलना "किया गया है" अभिव्यक्ति से की जानी चाहिए, जिसका उपयोग उपखंड *(घ)* और *(छ)* में किया जाता है, जो समय के पूर्ववर्ती बिंदु को संदर्भित करता है। *[* पैरा *43] [437-*डी-एफ*]*

2.2 उपखंड *(*ग*)* के तत्व यह हैं कि समाधान योजना प्रस्तुत करने की अयोग्यता तब जुड़ी होती है जब कोई व्यक्ति, जैसा कि धारा *29* क की प्रारंभिक पंक्तियों में संदर्भित किया गया है, या तो स्वयं खाता रखता है, या किसी ऐसे निगमित देनदार का प्रवर्तक है, जिसका खाता है, जिसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ऐसे वर्गीकरण की तारीख से निगमित दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख तक कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए। उपखंड *(*ग*)* को लागू करने के उद्देश्य से, तीन चीजों में से कोई एक, जो असंगत है, स्थापित करने की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति

प्रबंधन "एक के न्यायिक प्रबंधन को संदर्भित करेगा

निगमित देनदार। निगमित देनदार का न्यायिक प्रबंधन आम तौर पर निदेशक मंडल में निहित होगा, और इसमें "प्रबंधक" की परिभाषाओं के अनुसार, "प्रबंध निदेशक" शामिल होंगे। और कंपनी अधिनियम, *2013* की धारा *2 (53), 2 (54)* और *2 (59)* में "अधिकारी", उसमें उल्लिखित व्यक्ति। द.

"नियंत्रण" शब्द को कंपनी अधिनियम, *2013* की धारा *2 (27)* में परिभाषित किया गया है। अभिव्यक्ति "नियंत्रण" को दो भागों में परिभाषित किया गया है। पहला भाग न्यायिक नियंत्रण को संदर्भित करता है, जिसमें किसी कंपनी के अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार शामिल है। दूसरा भाग वास्तविक नियंत्रण को संदर्भित करता है। जब तक कोई व्यक्ति या व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से, प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, वे हो सकते हैं

कहा जाता है कि "नियंत्रण में" है। एक प्रबंधन निर्णय एक निर्णय है जो लिया जाना है कि कॉर्पोरेट निकाय को अपने दिन-प्रतिदिन के मामलों में कैसे चलाया जाना है। एक नीतिगत निर्णय एक ऐसा निर्णय होगा जो दिन-प्रतिदिन के मामलों, यानी दीर्घकालिक निर्णयों से परे होगा।

जब तक प्रबंधन या नीतिगत निर्णय शेयरधारिता, प्रबंधन अधिकारों, शेयरधारकों के आधार पर लिए जा सकते हैं या वास्तव में लिए जा सकते हैं।

समझौतों, मतदान समझौतों या अन्यथा, नियंत्रण कहा जा सकता है

अस्तित्व में होना। इस प्रकार, धारा *29* ए *(*सी*)* में "नियंत्रण" अभिव्यक्ति,

केवल सकारात्मक नियंत्रण को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि केवल शक्ति

किसी कंपनी के विशेष संकल्पों को अवरुद्ध करना नियंत्रण के बराबर नहीं हो सकता है।

" यहाँ "नियंत्रण", जैसा कि "प्रबंधन" के विपरीत है, का वास्तविक अर्थ है

वास्तविक प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों का नियंत्रण जो हो सकता है या वास्तव में लिया जाता है। *[* पैरा *44-48] [438-A-E]*

मेसर्स सुभकम वेंचर्स *(1)* प्राइवेट लिमिटेड बनाम। द.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड *(*अपील सं. *8)*

2009 में *15.1.2010)* पर निर्णय लिया गया-जिस पर भरोसा किया गया।

प्रयुक्त अभिव्यक्ति "किसी निगम के प्रबंधन या नियंत्रण में" है। ऋणी "। उपखंड *(*जी*)* के तहत, केवल एक व्यक्ति जो एक कॉर्पोरेट देनदार के सक्रिय या सकारात्मक नियंत्रण में है, सक्रिय रूप से ऋण ले सकता है।

उपखंड *(*छ*)* में उल्लिखित निर्णय, जैसे कि

या "नियंत्रण", दोनों शब्द एक दूसरे से रंग लेते हैं, जिसमें एक समाज के सिद्धांत को भी लागू करने के लिए माना जाना चाहिए।

इस प्रकार देखा जाए तो उपखंड *(*ग*)* और *(*छ*)* में जिसे संदर्भित किया गया है वह न्यायिक या वास्तविक रूप से सक्रिय या सकारात्मक नियंत्रण है, न कि केवल नकारात्मक नियंत्रण जो परिभाषा के विस्तृत अध्ययन से प्रवाहित हो सकता है।

कंपनियों की धारा *2 (27)* में निहित "नियंत्रण" शब्द का अधिनियम, *2013*, जो समावेशी है और संपूर्ण प्रकृति का नहीं है। *[* पैरा *50] [440-*एफ-एच*; 441-*ए*]*

चिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम। प्रतिभूति और विनिमय

भारतीय बोर्ड, *(2018) 7* एस. सी. सी. *443;* प्रतिभूति और

भारतीय विनिमय बोर्ड बनाम। किशोर आर. अजमेर *(2016)*

6 एस. सी. सी. *368 [2016] 1* एस. सी. आर. *1118-*पर निर्भर था।

2.4 उपखंड *(*ए*)* एक न्यायिक स्थिति को संदर्भित करता है, अर्थात्, जहां एक व्यक्ति को विवरण पत्रिका में स्पष्ट रूप से नामित किया जाता है या *[2018] 12* एस. सी. आर. द्वारा पहचाना जाता है।

एक प्रवर्तक के रूप में वार्षिक रिटर्न में कंपनी। उपखंड *(*बी*)* और

(ग*)* एक वास्तविक स्थिति की बात करें। उपखंड *(*बी*)* के तहत, जब तक किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से किसी कंपनी के मामलों पर "नियंत्रण" है, उसे ऐसी कंपनी का प्रवर्तक कहा जा सकता है। उपखंड *(*ग*)* के तहत, ऐसे व्यक्ति को किसी कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति हो सकता है जो वास्तव में बोर्ड को कार्य करने की सलाह देता है, निर्देश देता है या निर्देश देता है।

परंतुक के तहत, केवल एक व्यक्ति जो एक पेशेवर में कार्य करता है

क्षमता को उपखंड *(*ग*)* के तालों से बाहर रखा गया है। कोई भी व्यक्ति जो समाधान योजना प्रस्तुत करना चाहता है, यदि वह संयुक्त रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर ऐसा करता है, तो कौन सा व्यक्ति या अन्य व्यक्ति किसी निगमित देनदार का प्रबंधन या नियंत्रण या प्रवर्तक होता है, जिसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जिसका निगमित दिवालियापन शुरू होने से पहले कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए ऋण का भुगतान नहीं किया गया है।

समाधान प्रक्रिया, समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य हो जाती है। उपखंड *(*ग*)* के पहले परंतुक में यह स्पष्ट किया गया है कि अयोग्यता को केवल तभी हटाया जा सकता है जब समाधान योजना प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति सभी अतिदेय राशियों का भुगतान करता है। समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले उस पर ब्याज और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति से संबंधित शुल्क। कोई भी व्यक्ति जो संयुक्त रूप से या सामूहिक रूप से कार्य करते हुए समाधान योजना प्रस्तुत करना चाहता है

अन्य व्यक्तियों के साथ, जिनमें से कोई भी निर्धारित अवधि में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कॉर्पोरेट देनदार का प्रबंधन, नियंत्रण या प्रवर्तक हो सकता है, उसे धारा *29* ए *(*सी*)* के तहत पात्र बनने के लिए पहले गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत उक्त कॉर्पोरेट देनदार के ऋण का भुगतान करना होगा। *[* पारस *53,54] [442-*ए-जी*]*

3.1 यदि कोई व्यक्ति किसी निगमित देनदार का प्रवर्तक, या प्रबंधन, या नियंत्रण में रहा है, जिसमें एक अधिमानी

लेन-देन, कम मूल्य वाला लेन-देन, जबरन वसूली क्रेडिट

लेन-देन या धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देन हुआ है, और जिसके संबंध में संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा आदेश दिया गया है, ऐसा व्यक्ति धारा *29* ए *(*जी*)* के तहत समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य है। इस अयोग्यता को निगमित देनदार के ऋण का भुगतान करके ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह केवल ऐसे व्यक्ति हैं जो उप के फाउल में नहीं आते हैं

खंड *(*छ*)*, जो धारा *29* क के उपखंड *(*ग*)* के तहत समाधान योजना प्रस्तुत करने के पात्र हैं, यदि वे ऐसे व्यक्ति हैं जो प्राचीन भारत निजी सीमा *5* थे।

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस।

निगमित देनदार के पूर्व प्रबंधन या नियंत्रण में। *[* पैरा *56] [444-*बी-डी*]* *3.2* सक्षम प्राधिकारी के लिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति अन्यथा अपात्र हैं और उपखंड *(*ग*)* से प्रभावित हैं, वे अन्य तरीकों से उपखंड *(*ग*)* के परंतुक से बाहर नहीं निकलते हैं, ताकि परंतुक के परिणामों से बचा जा सके। इस उद्देश्य के लिए, इस तथ्य के बावजूद कि उपखंड *(*सी*)* के तहत अयोग्यता के लिए प्रासंगिक समय समाधान योजना प्रस्तुत करने का समय है, इस समय के यथोचित निकटता वाले पूर्ववर्ती तथ्यों को हमेशा देखा जा सकता है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या धारा *29* ए में निर्दिष्ट व्यक्ति, सार में, समाधान योजना से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले उपखंड *(*ग*)* के परंतुक के परिणाम। यदि तथ्यों के आधार पर यह दिखाया जाता है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले उचित रूप से निकट समय पर

योजना में, धारा *29* ए में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामलों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है, ताकि संबंधित गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के ऋणों का भुगतान करने से बचा जा सके, ऐसे व्यक्तियों को समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य माना जाना चाहिए, या अन्यथा धारा *29* ए की उप-धारा *(*सी*)* के पहले परंतुक के उद्देश्य के साथ-साथ सार्वजनिक रूप से उक्त उप-खंड द्वारा प्राप्त किए जाने वाले बड़े उद्देश्य दोनों के लिए अयोग्य माना जाना चाहिए। ब्याज की हार होगी। *[* पैरा *57] [446-*ई-जी*]*

मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड और अन्न। वी. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण और अन्य के लिए बोर्ड , *(2016) 4* एससीसी *1: [2016] 11* एस. सी. आर. *419;* इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। आईसीआईसीआई बैंक और ए. एन. आर. *(2018) 1* एससीसी *407 [2017] 8*

& ओआरएस। *, (1969) 2* एससीसी *194: [1970] 1* एससीआर *345-*निर्भर पर।

4.1 निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरुआत से कैसे काम करती है। वित्तीय लेनदार द्वारा धारा *7* के तहत आवेदन स्वीकार करने से पहले, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण है - धारा *7 (4)* के तहत, धारा *7 (4)* में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति के *14* दिनों के भीतर पहले चूक के अस्तित्व का पता लगाना। इस बात का समाधान होने पर कि ऐसी चूक हुई है, वह ऐसे आवेदन को स्वीकार कर सकता है, जो दोषों के सुधार के अधीन है, जो धारा *7 (5)* में प्रावधान कहता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से ऐसी सूचना प्राप्त होने के *7* दिनों के भीतर *[2018] 12* एस. सी. आर. द्वारा किया जाना चाहिए।

आवेदक। जिस समय सीमा के भीतर चूक का पता लगाना है, साथ ही जिस समय के भीतर दोष को ठीक किया जाना है, वह प्रकृति में निर्देशिका है, इसका कारण यह है कि इन प्रावधानों का चरण आवेदन के प्रवेश से पहले है। निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया धारा *7 (6)* के माध्यम से आवेदन के प्रवेश की तारीख से शुरू होती है। धारा *7 (7)* न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को यह बाध्यकारी बनाती है कि -

इस तरह के प्रवेश या अस्वीकृति के *7* दिनों की अवधि के भीतर वित्तीय लेनदार और कॉर्पोरेट देनदार को आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश के बारे में सूचित करें। *[* पैरा *69] [462-*ई-एच*]*

सुरेंद्र ट्रेडिंग कं. वी. जुग्गिलाल कमलापत जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड और अन्य। *(2017) 16* एस. सी. सी. *143-*पर निर्भर।

4.2 दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा धारा *12* में निर्धारित की गई है। आवेदन के प्रवेश की तारीख से *180* दिनों की अवधि धारा *12 (1)* द्वारा दी गई है। यह अधिकतम *90* दिनों की अवधि के लिए तभी बढ़ाया जा सकता है जब लेनदारों की समिति, *66* प्रतिशत के मत से, उक्त अवधि को बढ़ाने के लिए मतदान करती है, और केवल तभी जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट है कि ऐसी प्रक्रिया *180* दिनों के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है। प्राधिकरण तब आदेश द्वारा ऐसी प्रक्रिया की अवधि को अधिकतम *90* दिनों तक बढ़ा सकता है। धारा *12 (3)* का प्रावधान भी महत्वपूर्ण है जिसमें कहा गया है कि धारा *12* के तहत अवधि का कोई भी विस्तार एक से अधिक बार नहीं दिया जा सकता है। इसे धारा के तीसरे परंतुक के साथ पढ़ना होगा।

30 (4) , जिसमें कहा गया है कि दूसरे परंतुक में उल्लिखित *30* दिनों की अधिकतम अवधि एकमात्र अपवाद के रूप में स्वीकार्य है

उपरोक्त अवधि का विस्तार एक से अधिक बार नहीं दिया जा रहा है। धारा *33* यह स्पष्ट करती है कि जब इन दोनों में से कोई भी आकस्मिकता होती है, तो कॉर्पोरेट देनदार को अध्याय *III* में निर्धारित तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता होती है। धारा *12*, संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के आलोक में और धारा *33* द्वारा प्रदान किए गए परिणाम के प्रकाश में, इसलिए, यह स्पष्ट करती है कि पहले उल्लिखित अवधि अनिवार्य हैं और उन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता है। वास्तव में, धारा *12 (1)* की शाब्दिक भाषा भी यह स्पष्ट करती है कि प्रावधान को अनिवार्य के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। अभिव्यक्ति "होगा

पूरा किया जाए "का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, उप-धारा *(3)* यह स्पष्ट करती है कि *180* दिनों की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्राचीन भारत निजी लिमिटेड *v.*

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस।

90 दिनों से अधिक, यह स्पष्ट करते हुए कि अधिकतम *270* दिन वैधानिक रूप से निर्धारित किए गए हैं। साथ ही, धारा *12* के परंतुक में यह स्पष्ट किया गया है कि विस्तार "एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा"। *[* पारस *70,71,72] [463-*ए-सी, ई-जी*; 464-*ए*]*

4.3 सी. आई. आर. पी. विनियमों का विनियम *40* ए निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की एक मॉडल समयरेखा प्रस्तुत करता है,

इस आधार पर कि उपलब्ध समय *180* दिन है। सभी संबंधित अधिकारियों के लिए इस मॉडल का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है

4.4 यह तय कानून है कि एक क़ानून व्यवहार्य होने के लिए बनाया गया है, और इसकी व्याख्या को ऐसा बनाने के लिए बनाया जाना चाहिए काम करने योग्य। *[* पैरा *75] [470-*जी-एच*]*

आयकर आयुक्त, दिल्ली बनाम। एस. तेजा सिंह

[1959] सप. *1* एस. सी. आर. *394*-निर्भर।

4.5 समय सीमा को देखते हुए, और इस तथ्य को देखते हुए कि एक समाधान आवेदक को कोई निहित अधिकार नहीं है कि उसकी समाधान योजना

विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि इस स्तर पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अनुच्छेद *226* के तहत एक रिट याचिका को भी इस आधार पर खारिज कर दिया जाएगा कि इस स्तर पर कोई भी अधिकार, मौलिक अधिकार से बहुत कम, प्रभावित नहीं होता है। यह धारा *30 (4)* के पहले परंतुक द्वारा भी स्पष्ट किया गया है, जिसके तहत एक समाधान पेशेवर केवल नई समाधान योजनाओं को आमंत्रित कर सकता है यदि कोई अन्य समाधान योजना पारित नहीं हुई है। हालांकि, एक समाधान पेशेवर केवल "जांच" और "पुष्टि" करने के लिए है कि प्रत्येक समाधान योजना धारा *30 (2)* द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुरूप है। समाधान पेशेवर को यह जांचने की आवश्यकता होती है कि विभिन्न आवेदकों द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना ऋणदाताओं की समिति को प्रस्तुत करने से पहले सभी मामलों में पूर्ण है। समाधान पेशेवर को कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रस्तुत समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने से पहले सभी मामलों में पूर्ण हों।

लेनदारों की समिति के समक्ष, जो अनुमोदन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं

यह। तथ्य यह है कि समाधान पेशेवर को यह भी पुष्टि करनी है कि एक समाधान योजना संहिता की धारा *29* ए सहित वर्तमान में लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है, केवल इसका मतलब है कि उसकी प्रथम दृष्टया राय लेनदारों की समिति को दी जानी चाहिए कि एक कानून *[2018] 12* एस. सी. आर. है या नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लेनदारों की समिति के लिए, यह उचित होगा कि वह विचाराधीन प्रत्येक समाधान योजना के संबंध में अपने द्वारा की गई उचित परिश्रम रिपोर्ट को जोड़ता है, और संक्षेप में बताता है कि यह कानून के अनुरूप क्यों है या क्यों नहीं है। *[* पारस *76-78] [471-F-H; 472-A-E; 473-D-E]* *5.1* एक समाधान पेशेवर ने अनुमोदन के लिए ऋणदाताओं की समिति को एक समाधान योजना प्रस्तुत की है, लेकिन

लेनदारों की समिति इस तरह की योजना को मंजूरी नहीं देती है

इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता को देखते हुए, वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम *66* प्रतिशत का आवश्यक वोट प्राप्त नहीं किया जाता है। धारा *30 (4)* का पहला परंतुक प्रस्तुत करता है -

यह आधार कि समाधान योजना धारा *29* ए के तहत अयोग्य है, अंतिम नहीं है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, अर्ध-न्यायिक रूप से कार्य करते हुए, समाधान आवेदक के साथ-साथ ऋणदाताओं की समिति की दलीलें सुनने के बाद यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्या समाधान योजना संहिता की धारा *29* ए सहित किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, जिसके बाद एक अपील को प्राथमिकता दी जा सकती है।

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निर्णय से लेकर अपीलीय तक धारा *61* के तहत प्राधिकरण। यदि, दूसरी ओर, ऋणदाताओं की समिति द्वारा एक समाधान योजना को मंजूरी दी गई है, और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष इसे पारित किया गया है, तो यह

निर्धारण को धारा *61* के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, और धारा *62* में निर्दिष्ट समय के भीतर, यदि ऐसे आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून का कोई प्रश्न है, तो धारा *62* के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। धारा *64* यह भी स्पष्ट करती है कि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पालन की जाने वाली समयसीमा बहुत महत्वपूर्ण है।

और यदि मामले का निपटारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो एनसीएलटी या एनसीएलएटी द्वारा कारण दर्ज किए जाने चाहिए। धारा *60 (5),* जब यह बात करती है कि एन. सी. एल. टी. को निगमित ऋणी या निगमित व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ किसी भी आवेदन या कार्यवाही को स्वीकार करने या निपटाने का अधिकार क्षेत्र है, तो एन. सी. एल. टी. को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किए गए अर्ध-न्यायिक निर्धारण से पहले एक स्तर पर आवेदक के कहने पर हस्तक्षेप करने के अधिकार क्षेत्र के साथ निवेश नहीं करता है। *[* पारस *80,81] [474-*सी-जी*]*

लछमीश्वर प्रसाद शुकुल और अन्य। वी. केशवर लाल चौधरी और अन्य। ए. आई. आर. *1941* एफ. सी. *5;* जंग सिंह बनाम। बृजलाल

& ओआरएस। *[1964] 2* एस. सी. आर. *146;* ए. एस. अंतुले बनाम। आर. एस. नायक और अन्य। *[1988]* सप. *1* एस. सी. आर.-निर्भर।

6.1 इस मामले के तथ्यः न्यूमेटल को मॉरीशस में *13.10.2017* पर निगमित किया गया था, जो स्पष्ट रूप से कॉर्पोरेट देनदार यानी ई. एस. आई. एल. के लिए एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से था। दो अन्य कंपनियाँ, अर्थात्। , ए. एच. एल. और ए. ई. एल. को भी उसी दिन मॉरीशस में शामिल किया गया था। ई. एस. आई. एल. के प्रवर्तक के बेटे के पास ए. एच. एल. की पूरी शेयर पूंजी थी, जिसके पास ए. ई. एल. की पूरी हिस्सेदारी थी, जिसके पास बदले में न्यूमेटल की पूरी शेयर पूंजी थी। इस स्तर पर इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्रवर्तक के बेटे को *2011* के अधिग्रहण विनियमों के विनियम *2 (1) (क्यू) (*वी*)* के अंतर्गत आने वाले निगमित देनदार के साथ मिलकर काम करने वाला व्यक्ति माना जाएगा। *18.10.2017* पर, एईएल ने न्यूमेटल में *2 6.1%* की अपनी हिस्सेदारी एक समूह को हस्तांतरित कर दी

कंपनी, अर्थात। , ईसीएल। यह समूह कंपनी अंततः 'कन्या न्यास' और 'ट्राइटन न्यास' के स्वामित्व में थी, जिसके लाभार्थी ई. एस. आई. एल. के प्रवर्तक, उनके भाई और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनियां हैं। अगले ही दिन, *[2018] 12* एस. सी. आर. का बेटा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ई. एस. आई. एल. के प्रवर्तक ने एक अपरिवर्तनीय और विवेकाधीन विश्वास का निपटारा किया,

इस न्यास के लाभार्थी सामान्य दान थे, साथ ही कॉर्पोरेट देनदार के प्रवर्तक के भाई के स्वामित्व वाले अधिकार भी थे। और प्रवर्तक के पुत्र के स्वामित्व वाली संस्थाएं। *[* पारस *84-86] [476-C-F; 477-C-D]*

6.2 20.11.2017 पर, ई. एस. आई. एल. के प्रवर्तक के बेटे ने एक और अपरिवर्तनीय और विवेकाधीन ट्रस्ट 'प्रिज्मा ट्रस्ट' का निपटारा किया, जिसके लाभार्थी "सामान्य दान" हैं और एक 'सोलिस एंटरप्राइजेज लिमिटेड', जो बरमूडा में निगमित एक कंपनी है, जिसकी शेयर पूंजी ई. एस. आई. एल. के प्रवर्तक के बेटे के पास है। न्यूमेटल ने दिनांकित *30.3.2018* के जवाब में स्वीकार किया कि जबकि न्यास विलेख

प्रिज्मा ट्रस्ट के संबंध में ट्रस्टी को किसी भी अंग्रेजी या बरमूडा चैरिटी को लाभान्वित करने की अनुमति दी गई, "इस स्तर पर किसी विशेष चैरिटी का नाम नहीं लिया गया है"। एईएल का न्यासी एक 'रोन न्यासी', सिंगापुर है। ई. एस. आई. एल. के प्रवर्तक का बेटा परम स्वाभाविक व्यक्ति था जिसने सोलिस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के माध्यम से प्रिज्मा ट्रस्ट के माध्यम से ए. ई. एल. में लाभकारी रुचि रखी। यह न्यूमेटल द्वारा रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल को प्रस्तुत रिज़ॉल्यूशन प्लान की धारा *6.7* से सामने आया है। रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल ने प्रिज्मा ट्रस्ट के इस हलफनामे को देखने के बाद सही ढंग से नोट किया कि इस तरह के बयान एक विवेकाधीन ट्रस्ट के वास्तव में स्वतंत्र ट्रस्टी द्वारा नहीं दिए गए होंगे, जो दर्शाता है कि ट्रस्टी ईएसआईएल के प्रवर्तक के बेटे के पूर्ण नियंत्रण में था। इसने बदले में संकेत दिया कि प्रिज्मा ट्रस्ट नियंत्रण की श्रृंखला में एक और स्मोकस्क्रीन था, जो इस तथ्य को छिपाएगा कि एईएल पर वास्तविक नियंत्रण प्रमोटर के बेटे के अलावा और किसी के द्वारा नहीं है। *[* पारस *87,88] [477-*डी-एफ*; 478-*बी-सी*]*

6.3 एक दिन बाद आई. डी. *1* पर प्रिज्मा ट्रस्ट के न्यासियों ने ए. एच. एल. की हिस्सेदारी का आई. डी. *2* बराबर मूल्य पर हासिल कर लिया।

क्रिसेंट ट्रस्ट के न्यासियों से लगभग *10,000* अमेरिकी डॉलर। इसी तारीख को, धारा *29* ए को लागू करने वाले अध्यादेश के लागू होने से केवल एक दिन पहले, ईसीएल ने न्यूमेटल की शेयर पूंजी की अपनी हिस्सेदारी वीटीबी बैंक की अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी क्रिनियम बे को हस्तांतरित कर दी, जिसके शेयर बदले में रूसी सरकार के पास हैं। ए. ई. एल. ने शेयर पूंजी ए. आर. सी. ई. एल. एम. आई. टी. ए. एल. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v* के *13.9%* का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों का भी हस्तांतरण किया।

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस।

न्यूमेटल से क्रिनियम बे तक, इस प्रकार न्यूमेटल में क्रिनियम बे की कुल हिस्सेदारी *40* प्रतिशत है। उसी तारीख को, एईएल ने न्यूमेटल की शेयर पूंजी के *25.1%* का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों को भी हस्तांतरित किया। भारत में, और न्यूमेटल की शेयर पूंजी के *9.9%* का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों को भी टी. पी. ई. को हस्तांतरित किया। ये स्थानान्तरण संभवतः *10.2.2018* और *12.2.2018* के बीच हुए थे। दिनांक *12.2.2018* पर अपनी पहली समाधान योजना प्रस्तुत करते समय, न्यूमेटल की हिस्सेदारी इस प्रकार थीः क्राइनियम खाड़ीः *40 %* हिन्दोः *25.1 %* टीपीईः *9.9 %* एईएलः *25 % .* इस तारीख तक, प्रवर्तक का बेटा, जो ट्रस्टों के नियंत्रण की श्रृंखला में अंतिम लाभार्थी है, जो बदले में ए. ई. एल. को नियंत्रित करता था, मौके पर बहुत अधिक था, ए. ई. एल. के माध्यम से न्यूमेटल की *25* प्रतिशत हिस्सेदारी रखता था।

[पारस *89-90] [478-D-H]*

7.1 एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रुपये के रूप में बकाया राशि। *500* कॉरपोरेट देनदार के खाते में जमा किए गए करोड़ रुपये ए. ई. एल. द्वारा न्यूमेटल को प्रदान किए गए थे। समाधान आवेदक का शेयरधारक, अर्थात। संख्यात्मक। ए. ई. एल. द्वारा की गई *Rs.500* करोड़ की यह बकाया राशि जमा बनी रही।

आज तक रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के साथ, इस तथ्य के बावजूद कि जब तक न्यूमेटल द्वारा *2.4.2018* पर दूसरी रिज़ॉल्यूशन योजना प्रस्तुत की गई थी, तब तक एईएल न्यूमेटल के शेयरधारक के रूप में बाहर हो गया था। खंड *4.4* के तहत। *4* प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध

संभावित समाधान आवेदक की योग्यताएँ असत्य पाई जाती हैं। *[* पैरा *91] [479-*ए-सी*]* *7.2* न्यूमेटल की समाधान योजना के खंड *6.7* में निर्धारित किया गया है कि यह निर्धारित न्यूनतम मूर्त निवल मूल्य की आवश्यकता को पूरा करता है।

प्रस्ताव के लिए अनुरोध के तहत बाहर, क्योंकि क्रिनियम बे के पास न्यूमेटल की *40* प्रतिशत हिस्सेदारी थी, और यह कि क्रिनियम बे की होल्डिंग कंपनी वीटीबी बैंक के पास पर्याप्त निवल मूल्य था, *31.12.2016* के अनुसार, प्रस्ताव के लिए अनुरोध के तहत आवश्यकता का पालन करना। न्यूमेटल की समाधान योजना के उद्धृत अंश यह स्पष्ट करते हैं कि चूंकि न्यूमेटल स्वयं एक नई निगमित इकाई थी, जिसकी अपनी कोई वित्तीय या अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं थे, इसलिए यह पूरी तरह से अपने प्रत्येक घटक शेयरधारकों की प्रमाण-पत्र पर निर्भर थी। इससे पता चलता है कि न्यूमेटल ने स्वयं अपनी समाधान योजना में खुलासा किया है कि इसके कॉर्पोरेट आवरण को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस आवरण को हटाए बिना, प्रस्ताव *[2018] 12* एस. सी. आर. के अनुरोध के किसी भी मानदंड को नहीं हटाया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा *29* ए का अर्थ। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि यह तर्क कि वी. टी. बी. बैंक एक "जुड़े हुए व्यक्ति" है, उपखंड *(*जे*)* के तहत अपात्र को अस्वीकार करना होगा, क्योंकि वी. टी. बी. बैंक स्वयं क्रिनियम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से है।

बे, तीन अन्य शेयरधारकों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति

न्यूमेटल में अपनी हिस्सेदारी को 'नील' के रूप में छोड़ना। रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के निमंत्रण के जवाब में, दूसरी रिज़ॉल्यूशन योजना, जो न्यूमेटल द्वारा *2.4.2018* पर प्रस्तुत की गई थी, में न्यूमेटल के घटक के रूप में *AEL* नहीं था; इसके बजाय, क्रिनियम बे ने न्यूमेटल की *40* प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ जारी रखा, जिसमें *TPE* की हिस्सेदारी अब *29.5%* और इंडो की *34.1%* तक बढ़ गई। इस तथ्य को देखते हुए कि प्रवर्तक का बेटा एक ऐसा व्यक्ति है जिसे संगीत कार्यक्रम में अभिनय करने वाला माना जाता है उनके पिता *(*जो निगमित देनदार ई. एस. आई. एल. के प्रवर्तक थे*)* के साथ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा *29* ए *(*सी*)*

पहली समाधान योजना प्रस्तुत करने की तारीख को आकर्षित किया गया, अर्थात। *12.2.2018* , ए. ई. एल. के रूप में प्रिज्मा ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका अंतिम लाभार्थी स्वयं प्रवर्तक का बेटा है। इससे पता चलता है कि ई. एस. आई. एल. की निगमित समाधान प्रक्रिया *(2015* में*)* शुरू होने की तारीख से एक साल पहले घोषित एन. पी. ए.

न्यूमेटल को समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य बनाना। न्यूमेटल सफलतापूर्वक समाधान योजना प्रस्तुत करने का एकमात्र तरीका यह होगा कि पहले ई. एस. आई. एल. के साथ-साथ रुइया समूह की कंपनियों के ऐसे अन्य निगमित देनदारों के ऋणों का भुगतान किया जाए।

जिन्हें अपनी समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले एक वर्ष की उपरोक्त अवधि से पहले एन. पी. ए. घोषित किया गया था। हालांकि, अगर दूसरी समाधान योजना की तारीख देखी जानी है, तो प्रवर्तक का बेटा

ऐसा प्रतीत होता है कि निगमित देनदार ई. एस. आई. एल. पूरी तरह से घटनास्थल से गायब हो गया है, क्योंकि बची हुई तीन संस्थाओं के बारे में कहा गया है दो रूसी संस्थाओं और एक प्राचीन भारतीय निजी लिमिटेड के रूप में स्वतंत्र संस्थाएं।

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस।

यू. ए. ई. इकाई। इसलिए, *2.4.2018* पर देखे जाने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि कॉर्पोरेट देनदार ई. एस. आई. एल. के प्रवर्तक का बेटा पूरी तरह से घटनास्थल से गायब हो गया था, ताकि धारा *29* ए *(सी)* के आवेदन को निरस्त किया जा सके। यह दो कारणों से है। सबसे पहले, *Rs.500* करोड़ जो बकाया राशि जमा करने के लिए जमा किए गए थे

ए. ई. एल. द्वारा *2.4.2018* के बाद भी जमा रहना जारी रहा, जिससे पता चलता है कि जहां तक न्यूमेटल की दूसरी समाधान योजना का संबंध है, कॉर्पोरेट देनदार ई. एस. आई. एल. के प्रवर्तक का बेटा मौजूद रहा। इसके अलावा, प्रस्तुत करने से पहले उचित रूप से निकटवर्ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए *2.4.2018* पर समाधान योजना, न्यूमेटल की प्रारंभिक कॉर्पोरेट संरचना से शुरू होती है, और तब तक किए गए परिवर्तनों के साथ जारी रहती है

तारीख में, यह स्पष्ट है कि *23.11.2017* पर धारा *29* ए के लागू होने के बाद हुए सभी लेन-देन का उद्देश्य निस्संदेह धारा *29* ए *(सी)* के अनुप्रयोग से बचना था, जिसमें इसके प्रावधान भी शामिल थे। इसलिए, चाहे पहली या दूसरी समाधान योजना को ध्यान में रखा जाए, दोनों स्पष्ट रूप से धारा *29* ए *(सी)* से प्रभावित होंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट देनदार ई. एस. आई. एल. के प्रवर्तक के बेटे की आसन्न उपस्थिति पूरी तरह से पाई गई थी।

दूसरी संकल्प योजना प्रस्तुत करने की तारीख तक न्यूमेटल का समावेश। *[* पारस *94,95] [482-*ई-एच*; 483-*ए-ई*]*

8.1 समाधान आवेदक का अंतिम शेयरधारक, अर्थात। ए. एम. आई. पी. एल. सीधे तौर पर ए. एम. एन. एल. बी. वी. का अंतिम शेयरधारक है।

ए. एम. एन. एल. बी. वी. का प्रबंधन और नियंत्रण श्री एल. एन. मित्तल, और इसलिए वे व्यक्ति हैं जो *2011* के अधिग्रहण विनियमों के विनियम *2 (1) (*क्यू*) (2) (*आई*)* के अनुसार सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि ए. एम. एन. एल. बी. वी. उत्तम गाल्वा का प्रवर्तक है।

उपर्युक्त तथ्य, उत्तम गाल्वा के वार्षिक विवरणी में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। इससे पहले के उचित रूप से निकटवर्ती तथ्य

ए. एम. आई. पी. एल. द्वारा दोनों समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने से पता चलेगा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तम गाल्वा में ए. एम. एन. एल. बी. वी. के शेयर केवल धारा *29* ए *(सी)* द्वारा उल्लिखित अयोग्यता से बाहर निकलने के लिए बेचे गए थे, और इसके परिणामस्वरूप परंतुक वहाँ तक। तथ्य यह है कि जिन ऋणदाताओं के साथ ए. एम. एन. एल. बी. वी. का गैर-निपटान उपक्रम था, उन्होंने अभी तक इस घोषणा के लिए किसी भी मंच का रुख नहीं किया है कि शेयरों की बिक्री, उनकी सहमति के बिना, *[2018] 12* एस. सी. आर.

यदि ऐसा नहीं है, तो ए. एम. एन. एल. बी. वी. उत्तम गाल्वा में अपने शेयरों को बेचने से पहले अपनी सहमति प्राप्त करने में विफल रहने से मुक्त नहीं है। इस तरह की बिक्री ऋणदाताओं को दिए गए गैर-निपटान उपक्रम के सीधे विपरीत है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट है कि रु। *19.50* प्रत्येक को *1* रुपये के संकट मूल्य पर बेचा गया था, ताकि धारा *29* ए *(सी)* और उसके परंतुक के प्रावधानों को दूर किया जा सके। इसलिए यह स्पष्ट है कि उत्तम गाल्वा

लेन-देन स्पष्ट रूप से ए. एम. आई. पी. एल. को संहिता की धारा *29* ए *(सी)* के तहत अयोग्य बनाता है। *[*पैरा *109] [491-*जी-एच*; 492-*ए-डी*]* *8.2* जहां तक के. एस. एस. पेट्रॉन के संबंध में लेन-देन का संबंध है, तथ्य यह है कि *3.3.2011* पर, फ्रेज़ेली, एक इकाई है।

के. एस. एस. होल्डिंग, के. एस. एस. इन्फ्रा ई. ए. एल. क्यू., फ्रासेली और के. एस. एस. ग्लोबल के बीच प्रवेश करने वाली पहली तीन कंपनियों में से प्रत्येक को के. एस. एस. ग्लोबल के निदेशक मंडल में समान संख्या में निदेशक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था, जिसके पास भारत में निगमित कंपनी के. एस. एस. पेट्रॉन की शेयर पूंजी का *100%* था। फ्रेज़ेली को के. एस. एस. ग्लोबल और उसके द्वारा नियंत्रित सभी कंपनियों के संबंध में बोर्ड और शेयरधारक दोनों स्तरों पर कुछ निर्दिष्ट मामलों के संबंध में निर्णयों पर सकारात्मक मतदान अधिकार भी दिए गए थे, जिसमें के. एस. एस. पेट्रॉन शामिल होगा। जैसा कि कहा गया है। इसके ऊपर, केएसएस पेट्रॉन को *30.9.2015* पर एनपीए घोषित किया गया था। जैसा कि उत्तम गाल्वा के मामले में हुआ था, फ्रासेली ने केएसएस पेट्रॉन में अपनी हिस्सेदारी *9.2.2018* पर, यानी एएमआईपीएल से केवल तीन दिन पहले बेच दी थी।

अपनी पहली समाधान योजना प्रस्तुत की। उसी दिन श्री एल. एन. मित्तल द्वारा फ्रासेली के माध्यम से नामित निदेशकों ने केएसएस ग्लोबल के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। *[*पैरा *110] [492-*ई-एच*]*

8.3 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि श्री एल. एन. मित्तल द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित कंपनी होने के नाते फ्रासेली की हिस्सेदारी

केएसएस ग्लोबल में एक तिहाई शेयर, जो बदले में केएसएस पेट्रॉन में शेयर पूंजी का *100%* रखते थे, केएसएस पेट्रॉन के संयुक्त नियंत्रण में थे, अगर इन सभी कंपनियों के कॉर्पोरेट आवरण की अवहेलना की जाती है।

इसके अलावा, *19.5.2011* के शेयरधारकों के समझौते से यह स्पष्ट होता है कि केएसएस ग्लोबल का संयुक्त नियंत्रण तीन संस्थाओं के बीच होगा, अर्थात। , के. एस. एस. होल्डिंग, के. एस. एस. इन्फ्रा ई. ए. एल. क्यू. और फ्रासेली, प्रत्येक आर्केलार्मिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.*

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस।

केएसएस ग्लोबल, केएसएस ग्लोबल के निदेशक मंडल से मित्तल निदेशकों के इस्तीफे के साथ, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख के लिए एक उचित रूप से निकटवर्ती लेनदेन है। ए. एम. आई. पी. एल. द्वारा योजना, धारा *29* ए *(*सी*)* के परंतुक में उल्लिखित परिणाम से बचने के एकमात्र उद्देश्य के साथ शुरू की गई। इस निर्णय में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, इसलिए, यह स्पष्ट है कि एएमआईपीएल संहिता की धारा *29* ए *(*सी*)* के तहत भी अपात्र है। *[* पैरा *111] [493-*ए-ई*]*

8.4 चूंकि यह स्पष्ट है कि समाधान योजनाओं के दोनों सेट जो समाधान पेशेवर को प्रस्तुत किए गए थे, यहां तक कि *2.4.2018* पर भी, धारा *29A (c)* से प्रभावित हैं, और चूंकि धारा *29A (c)* का प्रावधान *AMIPL* से संबंधित कॉर्पोरेट देनदारों के रूप में लागू नहीं होगा और मुद्रा ने अपने संबंधित एन. पी. ए. का भुगतान नहीं किया है, आम तौर पर, इन अपीलों का निपटारा केवल दोनों समाधान आवेदकों को धारा *29* ए *(*सी*)* के तहत अयोग्य घोषित करके किया जाता। भारत के संविधान के अनुच्छेद *142* के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए दोनों प्रस्तावों को एक और अवसर दिया जाता है

धारा *29* ए *(*सी*)* के प्रावधान के अनुसार, इस निर्णय की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपने संबंधित कॉर्पोरेट देनदारों के एनपीए का भुगतान करने के लिए आवेदक। यदि इस तरह के भुगतान उक्त अवधि के भीतर किए जाते हैं, तो दोनों समाधान आवेदक ऋणदाताओं की समिति को अपनी दिनांकित समाधान योजनाओं को फिर से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन्हें इस तारीख से *8* सप्ताह की अवधि दी जाती है, ताकि वे वेदांत द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना सहित प्रस्तुत योजनाओं में से सर्वश्रेष्ठ को आवश्यक बहुमत से स्वीकार कर सकें। यदि कोई भी योजना सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट समिति के अपेक्षित बहुमत द्वारा स्वीकृति के योग्य नहीं पाई जाती है

[20

लेनदार, निगमित देनदार, अर्थात ई. एस. आई. एल., *[*पैरा *113] [493-*एच.*]* में जाएगा। *494-*ए-ई*]*

सुश्री एरा डॉ. मंजुला क्रिपेंडॉर्फ के माध्यम से

(दिल्ली के एन. सी. टी. की सरकार*)* और ए. एन. आर. *(2017) 15* एससी *[2017] 7* एस. सी. आर. *924;* सालोमोन बनाम। ए सॉलोमन और

[1897] ए. सी. *22;* जीवन बीमा निगम

एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और अन्य। , *(1986) 1* एससीसी *264: [1985] 3* एस. सी. आर. *909;* भारत संघ बनाम। एबीएन एमरो बैंक और

(2013) 16 एस. सी. सी. *490;* बलवंत राय सलूजा और ए

आदि वी। एयर इंडिया लिमिटेड और अन्य। , *(2014) 9* एससीसी *40 '*

विकास प्राधिकरण बनाम। कप्तान कॉन्स्ट

कंपनी *(*पी*)* लिमिटेड और अन्य, *(1996) 4* एस. सी. सी. *622*

2 पूरक। एस. सी. आर. *295* संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 7 एस. सी. आर *924*

संदर्भित किया गया है

[1985] 3 पूरक। एससीआर *909*

संदर्भित किया गया है

(2013) 16 एस. सी. सी. *490*

संदर्भित किया गया है

(2014) 9 एस. सी. सी. *407*

संदर्भित किया गया है

[1996] 2 पूरक। एससीआर *295*

संदर्भित किया गया है

[2008] 10 एससीआर *697*

अप्रयोज्य रखा गया

[2017] 5 एससीआर *1005*

अप्रयोज्य रखा गया

[2005] 1 पूरक। एससीआर *223*

उस पर भरोसा करें

[2010] 8 एससीआर *251*

उस पर भरोसा करें

(2018) 7 एस. सी. सी. *443*

उस पर भरोसा करें

[2016] 1 एससीआर *1118*

उस पर भरोसा करें

[1970] 1 एससीआर *345*

उस पर भरोसा करें

[2016] 11 एससीआर *419*

उस पर भरोसा करें

[2017] 8 एससीआर *33*

उस पर भरोसा करें

(2017) 16 एस. सी. सी *143*

उस पर भरोसा करें

[1959] सप. *1* एससीआर *394*

उस पर भरोसा करें

उस पर भरोसा करें

एयर *1941* एफ. सी. *5* आर्केलार्मिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस।

[1964] 2 एससीआर *146*

उस पर भरोसा करें

पैरा *83*

[1988] सप. *1* एससीआर

उस पर भरोसा करें

पैरा *83*

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। *9402*

9405 2018 का

द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक *07.09.2018* से

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने कंपनी अपील *(ए. टी.) (*दिवाला*)* सं. *169 , 171 , 172* और *2018* का *173*

के साथ

सिविल अपील सं। *9582 , 10204 , 10208 2018* से।
हरीश एन. साल्वे, डॉ. ए. एम. सिंघवी, नीरज किशन कौल, मुकल

रोहतगी, मिहिर ठाकुर, के. वी. विश्वनाथन, रामजी श्रीनिवासन, गोपाल सुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एम/एस के लिए राघव शंकर, आर. एन. करंजावाला, सुश्री रूबी सिंह आहूजा, विशाल गेहराना, अनुपम प्रकाश, संजीत रंजन, उत्कर्ष मारिया, सुधीर शर्मा, अभिषेक स्वरूप, अखिल आनंद, समीन कुमार व्यास, अमित भंडारी, सुश्री मीशा चंदना, अविष्कार सिंघवी, नमन सिंह बग्गा, सुश्री माणिक करंजावाला, रजत सेठी, साहिल मोंगा, दीपक जोशी, सन्यात लोढ़ा, देवांशु सज्जन, आकाश लांबा।

करंजावाला एंड कंपनी, महेश अग्रवाल, केयूर गांधी, राहिल पटेल, अर्जुन जोशी, सुश्री आस्था मेहता, रुद्रेश्वर सिंह, गौतम सिंह, सुश्री शैली ए. शाह, हेमंत कोठारी, कुमार सौरभ सिंह, आशुतोष संपत, अश्विन रामैया, कौशिक पोद्दार, सुश्री क्रिस्टी बैपटिस्ट, सुश्री जैनब, सुश्री देवांशी सिंह, रौणक ढिल्लन, करण खन्ना, नवीन हेगड़े, बुनमीत सिंह ग्रोवर, सुश्री अनन्या धर चौधरी, सुश्री वृंदा भंडारी, आर. वेंकटरमन को मेसर्स के लिए चुना गया। सिरिल अमरचंद मंगलदास, सुश्री मीशा, सपन गुप्ता, हितेश कुमार सैनी, पवन भूषण, वैजयंत पालीवाल, सुश्री जसवीन कौर, एस. एस. श्रॉफ, अधिवक्ता। उनके साथ उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे. *1.* वर्तमान मामले के तथ्य घूमते हैं

दिवाला और दिवालियापन संहिता, *2016 (*इसके बाद *"*संहिता*"* के रूप में संदर्भित*)* में धारा *29* ए के लागू होने के बाद समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए समाधान आवेदकों की अयोग्यता, *23.11.2017* से प्रभावी है।

2. 2.8.2017 पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, *NCLT* होने के नाते,

अहमदाबाद पीठ ने *[2018] 12* एस. सी. आर. में संहिता की धारा *7* के तहत एक आदेश पारित किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय स्टेट बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होने के नाते वित्तीय लेनदारों के कहने पर, कॉरपोरेट देनदार एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड *(*इसके बाद *"*ईएसआईएल*"* के रूप में संदर्भित*)* द्वारा उन्हें दिए गए वित्तीय ऋणों के लिए संहिता के तहत दायर एक याचिका को स्वीकार करते हुए, लगभग *Rs.45,000,00,00,000 (*पैंतालीस हजार करोड़ रुपये*)* की राशि में। श्री सतीश कुमार गुप्ता को अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया

गया था और *4.9.2017* पर इसकी पुष्टि की गई थी। नतीजतन, रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल ने *6.10.2017* दिनांकित एक विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसमें अभिव्यक्ति की मांग की गई

संभावित समाधान आवेदकों से ब्याज जो जमा करना चाहते थे

ई. एस. आई. एल. के पुनरुद्धार के लिए समाधान योजनाएं। विज्ञापन के संदर्भ में, रुचि की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि *23.10.2017* थी। इस विज्ञापन के अनुसार, एक 'आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' *(*इसके बाद 'एएमआईपीएल' के रूप में संदर्भित*)* ने *11.10.2017* पर रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। न्यूमेटल लिमिटेड नामक एक इकाई *(*इसके बाद "न्यूमेटल" के रूप में संदर्भित*)* ने भी *20.10.2017* पर रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। *24.12.2017* पर, रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल ने एक 'अनुरोध' प्रकाशित किया

प्रस्ताव ', जिसमें यह कहा गया था कि समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि *29.1.2018* होगी। ऋणदाताओं की समिति द्वारा किए गए अनुरोध पर, एन. सी. एल. टी. ने निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि को *90* दिनों के लिए *180* दिनों की प्रारंभिक अवधि से आगे बढ़ा दिया, यानी *29.4.2018* तक। इसलिए समाधान पेशेवर ने प्रस्ताव के अनुरोध के लिए पहला परिशिष्ट जारी किया, जिसमें समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने की तारीख को *12.2.2018* तक बढ़ा दिया गया। इसे देखते हुए, ए. एम. आई. पी. एल. और न्यूमेटल दोनों ने इस तारीख को अपनी समाधान योजनाएं प्रस्तुत कीं। आई. डी. *1* पर, यह आशंका जताते हुए कि समाधान पेशेवर इसे अयोग्य घोषित करने की सिफारिश करेगा, न्यूमेटल ने अन्य बातों के साथ-साथ एन. सी. एल. टी. के समक्ष *2018* का आई. ए. नंबर *98* दायर किया कि इसे समाधान आवेदक के रूप में योग्य घोषित किया जाए। हालाँकि, *23.3.2018* पर, समाधान पेशेवर ने ए. एम. आई. पी. एल. और न्यूमेटल दोनों को धारा *29* ए के तहत अयोग्य पाया। जहाँ तक ए. एम. आई. पी. एल. का संबंध है, समाधान पेशेवर ने इस प्रकार पाया हैः

"*2.* कृपया ध्यान दें कि समाधान योजना के मूल्यांकन के दौरान, मुझे इस तथ्य के बारे में पता चला कि आर्सेलर मित्तल नीदरलैंड बी. वी. *(*ए. एम. नीदरलैंड*) (*जिसे समाधान योजना में ए. एम. इंडिया के 'जुड़े हुए व्यक्ति' के रूप में उल्लिखित किया गया है*)* को उत्तम गाल्वा स्टील्स लिमिटेड *(*उत्तम गाल्वा*)* के 'प्रवर्तक' के रूप में प्रकट किया गया है, जिसके अनुसार मेरे सलाहकार ने कुछ अनुरोध किए थे
26 फरवरी *2018* को ए. एम. इंडिया से स्पष्टीकरण

स्पष्टीकरण *1)* और *14* मार्च *2018 (*स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध *2)*।

आर. सी. एल. ओ. एम. टी. ए. एल. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

दिनांक *4* सितंबर *2009* को उत्तम गाल्वा *(*सह-प्रवर्तक समझौता*)* के अन्य प्रवर्तकों के साथ, जिसके तहत ए. एम. नीदरलैंड ने विभिन्न अधिकार *(*कुछ अधिकारों सहित जिन पर विचार किया जा सकता है*)*

प्रकृति में सहभागी के रूप में और केवल सुरक्षात्मक नहीं*);*

2.3 . उत्तम गाल्वा के खाते को 'गैर-निष्पादित' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा *31* मार्च *2016* को परिसंपत्ति *(*एन. पी. ए.*) (*जो वर्गीकरण *02* अगस्त *2017* तक *1* वर्ष से अधिक समय तक जारी रहा है*);*

2.4 . ए. एम. नीदरलैंड ने उत्तम गाल्वा में अपनी हिस्सेदारी उत्तम गाल्वा के अन्य प्रवर्तकों को *7* फरवरी *2018* को बेच दी है; और *2.5* . ए. एम. नीदरलैंड ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन किया है।

लिमिटेड और बी. एस. ई. लिमिटेड, प्रत्येक के लिए *8* फरवरी *2018* को

विनियमन के तहत उत्तम गाल्वा के 'प्रवर्तक' के रूप में वर्गीकरण

31 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का ए *(2)*

3. इसके अलावा, योजना प्रस्तुत करने की तिथि के अनुसार, ए. एम. नीदरलैंड *(*ने स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित मंजूरी प्राप्त नहीं की थी*)*

उत्तम गाल्वा के प्रवर्तक के रूप में अवर्गीकरण और*)* जारी रहा

उत्तम गाल्वा के प्रवर्तक के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

4. उपरोक्त के आलोक में, ए. एम. इंडिया आई. बी. सी. की धारा *29* ए *(*सी*)* के प्रावधानों के तहत और पैराग्राफ *4.11* के अनुसार अपात्र है। *2 (* अ*)*

आर. पी. पी. की समाधान योजना को इसके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है और इसे लेनदारों की समिति के समक्ष नहीं रखा जाएगा।

3. इसी तरह, न्यूमेटल को अयोग्य ठहराते हुए, उसी तारीख को संकल्प सार में पाया गयाः

" 2.1 . अपनी रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की तारीख तक

(ईओआई*) 20* अक्टूबर *2017* को न्यूमेटल द्वारा, यह एस्सार पर निर्भर था

कम्युनिकेशंस लिमिटेड *(*ई. सी. एल.*)*, इसके एक शेयरधारक ने *[2018] 12* एस. सी. आर. का अनुपालन किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके 'मूर्त निवल मूल्य' *(*टीएनडब्ल्यू*)* से संबंधित पात्रता आवश्यकता के साथ *(*जैसा कि ईओआई में 'पात्रता मानदंड' शीर्षक वाले खंड में निर्धारित किया गया है*);*

3. चूँकि न्यूमेटल ने सभी चरणों में ई. एस. आई. एल. के संबंध में समाधान योजना प्रस्तुत करने से संबंधित पात्रता आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अपने शेयरधारकों पर भरोसा किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, *2016 (*आई. बी. सी.*)* की धारा *29* ए का अनुपालन करते हुए, मैंने न्यूमेटल के प्रत्येक शेयरधारक को संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए माना है।

समाधान योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य। न्यूमेटल के शेयरधारकों की पात्रता पर विचार करते हुए, क्योंकि ऑरोरा एंटरप्राइजेज लिमिटेड *(*एईएल*)* पूरी तरह से रेवंत रुइया के पास है। *(* विभिन्न कंपनियों और

एक न्यास के माध्यम से), मैंने आई. बी. सी. की धारा 29 ए के तहत जांच के लिए रेवंत रुइया, क्रिनियम बे, इंडो इंटरनेशनल लिमिटेड और त्याजप्रोमएक्सपोर्ट पर विचार किया है।

4. इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 (एसएएसटी विनियम) के विनियम 2 (क्यू) के अनुसार, एक व्यक्ति को दूसरों के बीच, उसके (या उसके) 'तत्काल रिश्तेदारों' के साथ मिलकर काम करने वाला माना जाता है, जो शब्द (एसएएसटी विनियमों के विनियम 2 (1) के तहत परिभाषित) ऐसे व्यक्ति के पिता को शामिल करता है। इसलिए ई. एस. आई. एल. के संबंध में समाधान योजना के संबंध में (जो न्यूमेटल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ ई. एस. आई. एल. के विलय के माध्यम से न्यूमेटल द्वारा ई. एस. आई. एल. के अधिग्रहण पर विचार करता है), रेवंत रुइया को अपने पिता रवि रुइया के साथ मिलकर काम करने वाला माना जाता है।

5. इसके अलावा, योजना प्रस्तुत करने की तारीख के अनुसारः

पुरातात्विक भारत निजी लिमिटेड v. सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(क) * रवि रुइया (जिसे रेवंत रुइया के साथ मिलकर काम करने वाला माना जाता है) ई. एस. आई. एल. का प्रवर्तक था, जिसके खाते को 1 वर्ष से अधिक समय से एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

निगमित-दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत

(2 अगस्त 2017 को ई. एस. आई. एल. का सी. आई. आर. पी.); और
(ख) रवि रुइया (जिसे रेवंत रुइया के साथ मिलकर काम करने वाला माना जाता है) ने एस. बी. आई. (अपने लिए और ऋणदाताओं के एक संघ के लिए) और सी. आई. आर. पी. आवेदन के पक्ष में एक गारंटी निष्पादित की है।

एस. बी. आई. द्वारा दायर याचिका को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण द्वारा 2 अगस्त 2017 को स्वीकार किया गया है।

6. उपरोक्त के आलोक में, रेवंत रुइया (जो समाधान योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्यों के लिए न्यूमेटल के अन्य शेयरधारकों के साथ संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है) आईबीसी की धारा 29 ए के तहत अपात्र है, विशेष रूप से पैराग्राफ (सी) और (एच) और तदनुसार, योजना प्रस्तुत करने की तारीख के अनुसार, न्यूमेटल (जो एक निगमित संयुक्त उद्यम निवेश वाहन के अलावा और कुछ नहीं है जिसके माध्यम से इसके शेयरधारक समाधान योजना प्रस्तुत कर रहे हैं) धारा के तहत पात्र नहीं था।

29 आई. बी. सी. का ए.

7. तदनुसार और उपरोक्त पैराग्राफ 5 और 6 में दिए गए कारणों के लिए, कृपया ध्यान दें कि पैराग्राफ 4.11 के अनुसार। 2 (क) आर. एफ. पी. के समाधान योजना को इसके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है और इसे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

लेनदारों की समिति के समक्ष "।

पेशेवर दिनांकित *23.03.2018*। न्यूमेटल ने *2018* के आई. ए. नंबर *111* के माध्यम से भी ऐसा ही किया। *5. 2.4.2018* पर, रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के निमंत्रण के अनुसार, नए रिज़ॉल्यूशन प्लान प्रस्तुत किए गए थे *(*जैसा कि दोनों रिज़ॉल्यूशन प्लान पहले थे*)*

ए. एम. आई. पी. एल., न्यूमेटल और एक अन्य संस्था, 'वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड' द्वारा इन्हें अयोग्य पाया गया। इसी तारीख को, एन. सी. एल. टी. ने निर्देश दिया कि समाधान आवेदकों की बोलियां, निम्नलिखित के अनुसार प्रस्तुत की जाएं:

प्रस्ताव के लिए संशोधित अनुरोध को न्यूमेटल द्वारा दायर *2018* की आई. ए. संख्या *98* के निर्णय के लंबित रहने तक नहीं खोला जाना चाहिए। *6.* एन. सी. एल. टी. होने के नाते, <आई. डी. *1* पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने सभी आई. ए. में अपना आदेश पारित किया, जिसमें उसने पहली बार कहा थाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12.2.2018 की तारीख तक एक वैध और उचित समाधान योजना दर्ज करें। चूंकि हमने आर्सेलर मित्तल को वर्तमान में औपचारिक रूप से पक्षकार बनाकर उसके पक्ष में कार्यान्वयन आवेदन का निर्णय नहीं लिया है। *2018* का आई. ए. नंबर *98* और इसकी समाधान योजना के समर्थन में इसके विद्वान सलाहकार को केवल दर्शक दिए गए थे, इसलिए हम इसे पाते हैं।

मुख्य रूप से पात्रता के निर्धारण के मुद्दे को सीमित करने के लिए उपयुक्त है जो समाधान आवेदक, मेसर्स द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होने के लिए आर. पी. और सी. ओ. सी. के लिए एक आधार बना। न्यूमेटल लिमिटेड, और आर्सेलर मित्तल द्वारा दिए गए अतिरिक्त आधार पर नहीं। हालांकि, मौखिक प्रस्तुतियाँ

वर्तमान आवेदन में शामिल मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आर्सेलर मित्तल सहित पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा उनके लिखित प्रस्तुतियों द्वारा विधिवत समर्थित किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

ऐसे निष्कर्षों/निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आर. पी. ने कानूनी राय प्राप्त की है और इसके ऐसे निष्कर्ष ऐसी राय पर आधारित हैं जिन्हें उचित निष्कर्ष/निर्णय तक पहुंचने के लिए सी. ओ. सी. को समझाया गया था। समान रूप से, आई. ए. सं. *98/2018* में आवेदक प्रसिद्ध न्यायविदों, जैसे *(*माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश*)* और भारत सरकार के पूर्व विद्वान विधि अधिकारी से भी कानूनी राय प्राप्त करता है, जिन्हें वर्तमान आई. ए. के साथ उनके मामले के समर्थन में रिकॉर्ड में रखा गया है, इस राय में यह न्यूमेटल लिमिटेड द्वारा व्यक्त किया गया है। *(*समाधान आवेदक*)* एक एकल और स्वतंत्र निगमित इकाई है और इसे इसके शेयरधारकों का एक संघ नहीं कहा जा सकता है न कि यह समाधान योजना को संयुक्त रूप से लागू करने का इरादा रखता है।

अतः किसी अन्य व्यक्ति के साथ, इसे ध्यान में रखते हुए संशोधित खंड *4.11. 2 (1)* आर. एफ. पी. न तो समाधान आवेदक पर लागू होगा और न ही बाध्यकारी होगा और इस प्रकार, आर. पी. या सी. ओ. सी. से अनुमोदन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।

प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में क्षेत्रीय भारतीय निजी लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

आर. ई. टी. के संदर्भ में ई. एस. आई. एल. की हिस्सेदारी और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत भी इसकी आवश्यकता है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि न्यूमेटल लिमिटेड, केवल कॉर्पोरेट देनदार ई. एस. आई. एल. के संबंध में समाधान योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से अस्तित्व में लाया गया एस. पी. वी. नहीं है क्योंकि इसने हाल ही में समाधान योजना से एक स्वतंत्र अनुबंध द्वारा ओडिशा स्लरी पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में बहुमत स्टॉक हासिल करने के लिए एक समझौता किया है। इस प्रकार, यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदक एक ऐसी निगमित संस्था है जिसे केवल स्थापित करने के उद्देश्य से अस्तित्व में लाया गया है।

ई. एस. आई. एल. के लिए समाधान योजना।

चूंकि, लर्नड लुमिनरीज और विधि फर्मों के बीच कानूनी राय में अंतर है और एक से अधिक विचार संभव हैं

उस समय कार्रवाई किए जाने वाले वर्तमान मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि आर. पी. के निष्कर्ष में स्पष्ट रूप से अवैधता है या उसने प्राप्त कानूनी राय पर भरोसा करके समाधान योजना को अस्वीकार करने में मनमाने ढंग से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया और जिसे उसके द्वारा सही माना गया और जिसे सी. ओ. सी. के समक्ष रखा गया था। इसके अलावा, संहिता के प्रावधान के तहत आर. पी. से अपेक्षा की जाती है कि वह देश के कानून के अनुरूप एक समाधान योजना की जांच करे और ऐसा विवेकपूर्ण निर्णय ले जो सामान्य रूप से एक आम आदमी ले सके और न्यायपूर्ण और उचित सोच सके। संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण होने के नाते इस अदालत से आर. पी. और सी. ओ. सी. के विवेक और विवेक को प्रतिस्थापित करने की उम्मीद नहीं की जाती है।

उस पर जो एक विशेष दृष्टिकोण है जब तक कि यह पेटेंट अवैधता या मनमानेपन का मामला नहीं है।

इसलिए, हमारे प्रथम दृष्टया विचार में उपरोक्त कारण के लिए हम आवेदकों को अयोग्य घोषित करने के लिए आर. पी. के निर्णय में कोई पेटेंट अवैधता नहीं पाते हैं जो एक विवेकपूर्ण निर्णय है जहां

एक से अधिक कानूनी दृष्टिकोण की संभावना तब इस स्तर पर इस न्यायालय से अपने दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने और इसमें हस्तक्षेप करने की अपेक्षा नहीं की जाती है

आरपी का निष्कर्ष "।

7. इसके बाद यह बना रहाः

" 19. इस प्रकार, जिस तारीख को कोई व्यक्ति अयोग्य ठहराया जाता है, वह कॉर्पोरेट दिवाला की शुरुआत की तारीख होगी।

निगमित देनदार अर्थात ई. एस. आई. एल. की समाधान प्रक्रिया। यह तारीख *02.08.2017* है जिस तारीख को, आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अयोग्य घोषित किया गया है कि इसके एएम *[2018] 12* एस. सी. आर. से जुड़े व्यक्ति हैं।

नीदरलैंड और एल. एन. मित्तल को अयोग्य ठहराया जाता है क्योंकि उनके पास अपने प्रबंधन और नियंत्रण में कॉर्पोरेट देनदार का खाता या खाता है या जिनके वे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत प्रमोटर हैं और इस तरह के वर्गीकरण की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है।

निगमित देनदार की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख तक। उक्त अयोग्यता *02.08.2017* से शुरू होती है जिसे केवल धारा *30 (4)* परंतुक के साथ पठित धारा *29* ए के खंड *(सी)* के परंतुक में प्रदान किए गए तरीके से और किसी अन्य तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है। *02.08.2017* पर शुरू हुई अयोग्यता *12.02.2018* तक जारी रहती है और वही

20. न्यूमेटल लिमिटेड के जवाब के साथ संलग्न अनुलग्नक आर*/4*, यानी शेयरधारिता पैटर्न के अवलोकन पर, यह पाया गया है कि आर्सेलर मित्तल उत्तम गाल्वा का सार्वजनिक रूप से ज्ञात प्रवर्तक है और इसकी शेयरधारिता को भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में की गई फाइलिंग में "प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह" के तहत वर्गीकृत किया गया है। दिसंबर, *2017* तक स्टॉक एक्सचेंज में उत्तम गाल्वा के शेयरधारिता पैटर्न के अनुसार आर्सेलर मित्तल सबसे बड़ा एकल शेयरधारक था, जिसकी उत्तम गाल्वा में *29.05%* की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी। *21.* अभिलेख के अवलोकन पर यह पाया गया है कि आवेदक का संबंधित व्यक्ति केएसएस पेट्रॉन प्राइवेट का प्रवर्तक है। लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, *1956* के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय स्वास्तिक चैंबर, *6* वीं मंजिल, सायन ट्रॉम्बे रोड पर है।

चेंबूर, मुंबई एक साल से अधिक समय से एन. पी. ए. है और के. एस. एस. पेट्रॉन के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू की गई है।

01.08.2017 राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ द्वारा।

22. इसमें यह भी उल्लेख करना उचित है कि ऋणदाताओं की समिति की बैठक के कार्यवृत्त में आर. पी. द्वारा सिरिल अमरचंद मंगलदास और श्री खंबाटा से प्राप्त राय के अनुसार आर. पी. का निर्णय।

सिरिल अमरचंद मंगलदास ने राय दी थी कि ए. एम. नीदरलैंड

उत्तम गाल्वा पर सकारात्मक नियंत्रण का प्रयोग किया और समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले केवल शेयरधारिता का विनिवेश करने से आरसीईएलओआरएमआईटीटीएएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.*

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

जब तक भुगतान द्वारा ठीक नहीं किया जाता है, तब तक संहिता की धारा *29* ए *(सी)* के तहत अयोग्यता को नहीं हटाया जाता है।

23. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि ए. एम. नीदरलैंड आर्सेलर मित्तल सोसाइटी एनोनिम *(ए. एम. एस. ए.)* की एक अप्रत्यक्ष *100%* सहायक कंपनी है जो लक्ज़मबर्ग में निगमित एक सूचीबद्ध कंपनी है। दूसरी ओर, ए. एम. इंडिया ए. एम. एस. ए. की एक अप्रत्यक्ष सहायक *(99.99%)* भी है। तदनुसार, ए. एम. एस. ए. ए. ए. एम. इंडिया के प्रबंधन और नियंत्रण में प्रवर्तक है, समाधान आवेदक और ए. एम. नीदरलैंड ए. एम. एस. ए. की एक सहायक कंपनी/सहयोगी कंपनी है, जिसे देखते हुए ए. एम. नीदरलैंड एक जुड़ा हुआ व्यक्ति बन जाता है और ऐसे जुड़ा

हुआ व्यक्ति के पास इसके प्रबंधन, नियंत्रण के तहत कॉर्पोरेट ऋणी उत्तम गाल्वा का खाता होता है या जिसका ऐसा जुड़ा हुआ व्यक्ति, अर्थात् ए. एम. नीदरलैंड एक प्रवर्तक है, जिसे *02.082017* से पहले एक वर्ष से अधिक समय के लिए एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नतीजतन, ए. एम. इंडिया *12.02.2018* पर समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा।

24. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि लक्ष्मीनारायण मित्तल ए. एम. एस. ए. की अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी होने के नाते ए. एम. इंडिया को नियंत्रित कर रहे हैं। तदनुसार, एल. एन. मित्तल/ए. एम. एस. ए. समाधान आवेदक ए. एम. इंडिया के प्रबंधन और नियंत्रण में प्रवर्तक है और एल. एन. मित्तल के. एस. एस. ग्लोबल बी. वी. के प्रबंधन और नियंत्रण में भी है। ऊपर बताया गया है और केएसएस पेट्रॉन जो केएसएस ग्लोबल बीवी की एक *100%* सहायक कंपनी है, भी एलएन मित्तल के प्रबंधन और नियंत्रण में है। केएसएस पेट्रॉन के पास एक वर्ष से अधिक समय से एनपीए है और इसके परिणामस्वरूप, एलएन मित्तल केएसएस ग्लोबल बीवी/केएसएस पेट्रॉन प्राइवेट के प्रवर्तक/नियंत्रण में हैं। लिमिटेड, एक जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिसका खाता गैर-निष्पादित वर्गीकृत है। नतीजतन, ए. एम. इंडिया समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा।

25. धारा *29* ए *(*सी*)* के खाली पढ़ने से यह बहुत स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने का पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति संयुक्त रूप से या उसके साथ मिलकर काम कर रहा है।

व्यक्ति; एक खाता है, या ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन या नियंत्रण के तहत एक कॉर्पोरेट देनदार का खाता है या जिसे ऐसा व्यक्ति एक प्रवर्तक है, जिसके अनुसार गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, *1949 (1949* का *10)* के तहत जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के साथ और इस तरह के वर्गीकरण की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है।

निगमित देनदार की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तिथि, *[2018] 12* एस. सी. आर.

बशर्ते कि व्यक्ति एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र होगा यदि ऐसा व्यक्ति सभी अतिदेय राशियों का भुगतान उस पर ब्याज और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति से संबंधित शुल्क के साथ करता है।

समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले खाते।

धारा *29* ए सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण के बीच अंतर नहीं करती है। कोई भी व्यक्ति जो या तो प्रवर्तक है या प्रबंधन में है या कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय के नियंत्रण में है और चूक में है, अयोग्य है। आर्सेलर मित्तल इंडिया प्रा. लि. से जुड़ा व्यक्ति। लिमिटेड, जो या तो प्रवर्तक हैं या केएसएस पेट्रॉन और उत्तम गाल्वा स्टील्स लिमिटेड के साथ प्रबंधन में हैं, अयोग्य हैं। केवल शेयरों की बिक्री और कंपनियों के बाद प्रवर्तक के रूप में अवर्गीकरण चूक में जाने पर उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता है। पात्र बनने के लिए, केएसएस पेट्रॉन और उत्तम गाल्वा स्टील्स लिमिटेड दोनों मामलों में ऋणदाताओं को अतिदेय राशि का भुगतान आर्सेलर मित्तल द्वारा बोली लगाने के योग्य होने से पहले किया जाना चाहिए, जैसा कि धारा *29* ए में ही प्रदान किया गया है।

8. यह कहने के बाद, इसने मामले को समिति के पास भेज दिया

संपादक इस प्रकार हैं:

"27. इसके अलावा, हमारा विचार है कि आर. पी. को सी. ओ. सी. के समक्ष दोनों संकल्प योजनाओं को प्रस्तुत करना चाहिए था, साथ ही सी. ओ. सी. के विचार के लिए दोनों संकल्प आवेदकों की पात्रता की अपनी टिप्पणियों के साथ और प्रस्ताव आवेदकों को अयोग्य घोषित करने से पहले अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से धारा *30 (4)* के साथ पठित धारा *29* ए *(*सी*)* के प्रावधान का पालन करना चाहिए था। हमारे विचार में, इस तरह की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, इसलिए यह दूषित करता है

सीओसी की कार्यवाही और इसलिए वर्तमान मामले को केवल इस आधार पर आरपी और सीओसी को उनके लिए वापस भेजा जा सकता है पुनर्विचार "।

9. न्यूमेटल और ए. एम. आई. पी. एल. दोनों द्वारा क्रमशः *26.4.2018 27.4.2018* पर अपीलीय प्राधिकरण, जो ए. टी. है, के समक्ष अपील दायर की गई थी। इन अपीलों पर निर्णय लेने से पहले, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, ऋणदाताओं की समिति द्वारा पारित किए गए नियमों के अनुपालन में,ए. एम. आई. पी. एल. और न्यूमेटल दोनों की सुनवाई करते हुए ए. एम. आई. पी. एल. को एक आदेश द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया।

8.5.2018 इस प्रकार है:

"48. इस निर्णयात्मक सुनवाई के बाद, हम दोहराते हैं कि ए. एम. आई. एल. आई. बी. सी. की धारा *29* ए *(*सी*)* के तहत एक अयोग्य समाधान आवेदक है, जो ए. एम. बी. वी. *(*आर. सी. ई. एल. एम. आई. टी. ए. एल. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तक*)* के साथ मिलकर काम करता है।

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

उत्तम गाल्वा दिवाला शुरू होने की तारीख पर और एएमआईएल के संबंधित व्यक्ति*)* और आर्सेलर मित्तल समूह उत्तम गाल्वा और केएसएस पेट्रॉन के संदर्भ में एमसी *(*एसआईसी*)* की धारा *29* ए *(*सी*)* के तहत प्रदान किए गए भुगतान करने के अपने दायित्वों से बचने के प्रयास में। उत्तम गाल्वा मामले में भुगतान करने की उनकी अनिच्छा

या *7* फरवरी, *2018* और *9* फरवरी, *2018* के उनके कार्यों द्वारा के. एस. एस. पेट्रोन पदार्थ, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक परिहार उपकरण है।

49. उत्तम गाल्वा के मामले में, ए. एम. बी. वी. ने समाधान योजना प्रस्तुत करने की तारीख से कुछ दिन पहले नाममात्र मूल्य पर अपनी शेयरधारिता की बिक्री की व्यवस्था की, जो इस तथ्य का प्रमाण है कि ए. एम. आई. एल. ए. एम. बी. वी. के साथ मिलकर इस तरह की कार्रवाई आई. बी. सी. के तहत धारा *29* ए के पारित होने की अभिव्यक्ति है। उत्तम गाल्वा के प्रवर्तक और ऊपर उल्लिखित आर्सेलर मित्तल समूह के सदस्य के रूप में, उन्हें उत्तम गाल्वा के ऋणदाताओं को बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए था।

50. आर्सेलर मित्तल समूह का वही आचरण जिसके माध्यम से कार्य किया जा रहा है शेयरधारकों के समझौते को समाप्त करने में फ्रेज़ेली और केएसएस ग्लोबल

के. एस. एस. पेट्रॉन की होल्डिंग कंपनी, के. एस. एस. ग्लोबल में, ई. एस. आई. एल. के लिए समाधान योजना दाखिल करने से पहले के. एस. एस. पेट्रॉन की अतिदेय राशि के भुगतान से बचने का एक उपकरण है। योजना

प्रस्तुत करने की तारीख से एक दिन पहले, *9* फरवरी, *2018* को इस कार्रवाई की निकटता टालने का एक स्पष्ट कार्य है।

51. चूँकि सी. ओ. सी. ने स्वयं अपील दायर नहीं की है

उत्तम गाल्वा की अतिदेय राशि के लिए उत्तम गाल्वा का भुगतान, अतिदेय के. एस. एस. पेट्रॉन के ऋणदाताओं को एक और भुगतान के. एस. एस. पेट्रोन में राशि और ऐसी अन्य कंपनियों की बकाया राशि जिन्हें एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जहां आर्सेलर मित्तल समूह एक प्रवर्तक है। इस तरह के भुगतान ए. एम. आई. एल. या इसके घटकों/संबंधित व्यक्तियों द्वारा *15* मई, *2018* के बाद नहीं किए जाने चाहिए, विशेष रूप से क्योंकि कानून वास्तव में यह चाहता है कि अतिदेय राशि, ब्याज और शुल्क का यह उपचारात्मक भुगतान समाधान योजना दायर करने से पहले आवेदक/समाधान आवेदक का इरादा रखने वाले निगमित प्रस्ताव द्वारा किया जाना चाहिए। *[2018] 12* एस. सी. आर. द्वारा यह रियायत।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. ओ. सी. आई. बी. सी. की धारा *29* ए *(*सी*)* के कानून और प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के सी. ओ. सी. के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है। सबूत

अतिदेय राशि पत्र के रूप में इस तरह के भुगतान का

(अनुलग्नक में निर्धारित सांकेतिक प्रारूप*)* आर. पी. को *(*सी. ओ. सी. को अधिसूचना के साथ*) 6* तक प्रस्तुत किया जाएगाः *00 15* मई *2018* को भारतीय समयानुसार अपराह्न। चूंकि हमारे पास सी. आई. आर. प्रक्रिया के तहत सीमित समय उपलब्ध है।

ई. एस. आई. एल., ए. एम. आई. एल. से इन समयसीमा का पालन करने का अनुरोध किया जाता है।

10. उसी तारीख के एक अन्य आदेश से, लेनदारों की समिति ने न्यूमेटल को निम्नानुसार वर्गीकृत कियाः

संगीत कार्यक्रम, न्यूमेटल को स्पष्ट रूप से संयुक्त रूप से और एईएल के साथ संगीत कार्यक्रम में अभिनय करने के लिए कहा जाता है। इसका मतलब है कि न्यूमेटल श्री रेवंत रुइया और इसलिए प्रमोटर श्री रवि रुइया के साथ मिलकर काम कर रहा है। और ई. एस. आई. एल. का गारंटर *(2016* से एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति*)*। इससे न्यूमेटल/इसके संघ को अक्षमता और अयोग्यता होती है।

और घटक शेयरधारक "।

57. इस प्रकार निर्णय के बाद की सुनवाई को समाप्त करते हुए, हम दोहराते हैं कि न्यूमेटल एक अयोग्य समाधान आवेदक है जो रेवंत रुइया और उसके संबंधित व्यक्ति अर्थात् उसके रिश्तेदार/पिता रवि रुइया, जो एक कॉर्पोरेट देनदार ईएसआईएल के प्रवर्तक हैं, के साथ मिलकर काम कर रहा है। जिसका गैर-निष्पादित परिसंपत्ति खाता हो।

58. चूँकि सी. ओ. सी. ने स्वयं अपील दायर नहीं की है

एल. डी. *19* अप्रैल, *2018* के प्राधिकरण के आदेश का न्यायनिर्णयन करते हुए एल. डी. द्वारा दी गई रियायत। अयोग्यता को ठीक करने का अवसर देने के लिए प्राधिकरण का निर्णय लेते हुए, हम समाधान आवेदक, यानी न्यूमेटल और क्रिनियम बे, इंडो, टी. पी. ई. और ए. ई. एल. के संघ को न्यूमेटल के साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों के रूप में संकेत दे रहे हैं कि वे केवल तभी पात्र होंगे जब वे *(i) 30* अप्रैल, *2018* तक ई. एस. आई. एल. में एन. पी. ए. का गठन करने वाली अतिदेय राशियों का भुगतान करेंगे।

कुल मिलाकर रु। *37, 558.65* मूलधन और ब्याज में करोड़ रुपये। *1, 688.27* दंडात्मक ब्याज और अन्य प्रभारों में करोड़ रुपये और ऐसे क्षेत्रीय भारतीय निजी लिमिटेड *v.*

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

भुगतान की तारीख तक उपार्जित अन्य अतिरिक्त अतिदेय राशियाँ और *(ii)* ऐसी अन्य राशियों की अतिदेय राशियाँ। ऐसी कंपनियाँ जिन्हें एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जहाँ श्री रवि

रुइया/श्री रेवंत रुइया प्रवर्तक हैं। इस तरह के भुगतान होंगे

न्यूमेटल या उसके घटकों/संघ द्वारा *15* मई, *2018* के बाद नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से क्योंकि कानून वास्तव में आवश्यक है कि यह उपचारात्मक भुगतान समाधान योजना दायर करने से पहले किया जाना चाहिए। यह रियायत सी. ओ. सी. के कानून और धाराओं के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है।

29 आई. बी. सी. का ए *(*सी*)* और *29* ए *(*एच*)*। इस तरह के भुगतान का प्रमाण नो-ओवरड्यूज अमाउंट लेटर *(*अनुलग्नक *3* में निर्धारित सांकेतिक प्रारूप*)* के रूप में आर. पी. को *(*सी. ओ. सी. को अधिसूचना के साथ*) 6* तक प्रस्तुत किया जाएगाः *00 15* मई *2018* को भारतीय मानक समयानुसार, चूंकि ई. एस. आई. एल. की सी. आई. आर. प्रक्रिया के तहत हमारे पास सीमित समय उपलब्ध है, इसलिए न्यूमेटल का अनुरोध किया जाता है।

इन समय सीमाओं का पालन करने के लिए "।

11. उसके समक्ष दायर की गई अपीलों में, अपीलीय प्राधिकरण, जैसा कि न्यूमेटल की समाधान योजना का संबंध था, *018* दिनांकित एक आदेश के अनुसार निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः

"*44.* 'ए. एम. इंडिया लिमिटेड' की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि 'न्यूमेटल लिमिटेड' के शेयरधारकों में से एक 'वी. टी. बी. बैंक' *2014* के ई. यू. विनियमों के अनुच्छेद *5 (*सी*)* को देखते हुए अयोग्य है। हालाँकि इस तरह की प्रस्तुति की गई है, लेकिन यह सुझाव देने के लिए कोई आदेश या सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है कि यूरोपीय संघ द्वारा 'वीटीबी बैंक' के खिलाफ प्रतिबंध का कोई आदेश लगाया गया था। न ही तारीख

किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा पारित आदेश या आदेश

कानून को रिकॉर्ड में रखा गया है।

45. दूसरी ओर, यह स्पष्ट होगा कि यूरोपीय संघ की परिषद ने रूस की कार्रवाई को देखते हुए प्रतिबंधात्मक उपायों के संबंध में परिषद विनियमन *(*ई. यू.*)* संख्या *833/2014* को अपनाया। वास्तव में, यूक्रेन की स्थिति को देखते हुए, यूरोपीय संघ विनियमन को अपनाया गया था।

उपरोक्त तथ्य के अलावा, कि 'ए. एम. इंडिया लिमिटेड' ने किसी भी अदालत द्वारा पारित किसी भी दंडात्मक आदेश को रिकॉर्ड पर नहीं लाया है, जो किसी भी विकलांगता के अनुरूप है। धारा *29* ए के खंड *(ए)* से *(एच)* में दिखाया गया है। इसलिए, 'ए. एम. इंडिया लिमिटेड' द्वारा 'वी. टी. बी. बैंक' की अयोग्यता के संबंध में लिया गया रुख अस्वीकार करने योग्य है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12 फरवरी, *2018* को 'न्यूमेटल लिमिटेड' द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना

60. 12 फरवरी, *2018* तक, जब 'न्यूमेटल लिमिटेड' द्वारा पहली समाधान योजना प्रस्तुत की गई थी, तब इसके चार शेयरधारक थे।

40 %

(i) 'क्राइनियम बे'

:

((ii) 'इंडो'

25.1 %

:

(iii) 'टी. पी. ई.'

9.9 %

:

((iv) 'एईएल'

25 %

61. मान लीजिए कि श्री रेवंत 'एईएल' के *100%* शेयरधारक हैं और 'एईएल' की 'न्यूमेटल लिमिटेड' में *12* फरवरी, *2018* तक *25* प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

श्री रेवंत, श्री रवि के पुत्र होने के नाते, जो 'कॉर्पोरेट देनदार' के प्रवर्तक हैं, हम मानते हैं कि 'एईएल' एक संबंधित पक्ष है और विनियमन *2 (1) (क्यू)* के संदर्भ में 'सामूहिक रूप से व्यक्ति' के अर्थ में आता है।

62. उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि 'न्यूमेटल लिमिटेड' द्वारा पहली समाधान योजना प्रस्तुत करने के समय, इनमें से एक शेयरधारक 'एईएल', 'न्यूमेटल लिमिटेड' होने के कारण धारा *29* ए के संदर्भ में 'समाधान योजना' प्रस्तुत करने के पात्र नहीं थे।

29 मार्च, *2018* को 'न्यूमेटल लिमिटेड' की स्थिति जब 'न्यूमेटल लिमिटेड' द्वारा बाद की 'समाधान योजना' प्रस्तुत की गई थी। *63.* 'लेनदारों की समिति' ने एक नई 'समाधान योजना' प्रस्तुत करने की अवधि *2* अप्रैल, *2018* तक बढ़ा दी थी। ' न्यूमेटल लिमिटेड ने *29* मार्च, *2018* को नई 'समाधान योजना' दाखिल की। उक्त तिथि पर 'न्यूमेटल लिमिटेड' में तीन शेयरधारक शामिल थेः -

(क*)* 'क्राइनियम बे' *('*वीटीबी'*)*

40 %

:

((b) 'इंडो'

34.1 %

:

(ग*)* 'टी. पी. ई.'

25.9 %

:

64. 29 मार्च, *2018* तक, चूंकि 'एईएल' 'न्यूमेटल लिमिटेड' का शेयरधारक नहीं था और उपरोक्त तीनों शेयरधारक पात्र होने के कारण, हम मानते हैं कि 'न्यूमेटल लिमिटेड' दिनांक *29* मार्च, *2018* की 'समाधान योजना' के संबंध में पात्र है और *29* मार्च, *2018* को धारा *29* ए का प्रावधान 'न्यूमेटल आरसीईएलओआरएमआईटीटीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' *v.* की ओर आकर्षित नहीं है।

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

लिमिटेड '। उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि 'न्यूमेटल लिमिटेड' द्वारा *29* मार्च, *2018* को प्रस्तुत 'समाधान योजना' पर ऋणदाताओं की समिति द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है -

इसकी व्यवहार्यता, व्यवहार्यता और वित्तीय मैट्रिक्स का पता लगाएं। "

12. उसी आदेश में, जहाँ तक ए. एम. आई. पी. एल. की समाधान योजना को लागू किया गया था, अपीलीय प्राधिकरण ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

" 107. वर्तमान मामले में, 'एएम इंडिया लिमिटेड' द्वारा *11* अक्टूबर, *2017* को और 'न्यूमेटल लिमिटेड' द्वारा *20* अक्टूबर, *2017* को 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' प्रस्तुत किया गया था, दोनों *23* नवंबर से पहले। *2017* अर्थात दिवाला द्वारा धारा *29* ए डालने की तारीख

और दिवालियापन संहिता *(*संशोधन*)* अध्यादेश, *2017* लेकिन 'समाधान योजनाएं' 'ए. एम. इंडिया लिमिटेड' और दोनों द्वारा प्रस्तुत की गई थीं।

' 12 फरवरी, *2018* को न्यूमेटल लिमिटेड।

108. विचार के लिए प्रश्न यह उठता है कि यदि 'सूचना ज्ञापन' के आधार पर 'समाधान आवेदकों' द्वारा *23* नवंबर, *2017* से पहले 'रुचि की अभिव्यक्ति' प्रस्तुत की जाती है और क्या वे धारा *30* की उप-धारा *(4)* के दूसरे परंतुक का लाभ उठाने के पात्र हैं तो स्थिति क्या होगी? *109.* धारा *29* ए *23* नवंबर, *2017* को लागू हुई। जिन लोगों ने उक्त तिथि से पहले 'समाधान योजना' प्रस्तुत की और यदि वे धारा *29* ए के खंड *(*सी*)* के दायरे में आते हैं, तो वे धारा *30* की उप-धारा *(4)* के दूसरे परंतुक का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। वहाँ 'आई एंड बी कोड' के तहत

इससे पहले 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति' प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है

'समाधान योजना '। न्योता मांगने से हम क्या पाते हैं

'एस्सार के लिए 'समाधान योजना' प्रस्तुत करने के लिए 'रुचि की अभिव्यक्ति'

6 अक्टूबर, *2017* को प्रकाशित स्टील लिमिटेड 'समाधान योजना' का पहला चरण है। इसलिए, हम मानते हैं कि 'रुचि की अभिव्यक्ति' 'समाधान योजना' का हिस्सा है, जो 'समाधान योजना' का अनुसरण करती है। ऐसे मामले में, 'रुचि की अभिव्यक्ति' प्रस्तुत करने की तारीख को 'समाधान योजना' प्रस्तुत करने की तारीख माना जाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, हमारा मानना है कि 'ए. एम. इंडिया लिमिटेड' और 'न्यूमेटल लिमिटेड' की पहली 'समाधान योजना' प्रस्तुत करने की तिथि *11* अक्टूबर, *2017/12* फरवरी, *2018* और *20* अक्टूबर, *2017/12* फरवरी, *2018* मानी जाएगी।

क्रमशः।

110. यदि उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है, तो यह 'समाधान आवेदक' को दूसरे *[2018] 12* एस. सी. आर. का लाभ प्राप्त करने से वंचित कर देगा।

23 नवंबर, *2017* को अंतःस्थापित धारा *30* की उप-धारा *(4)* के लिए परंतुक, भले ही उन्होंने 'समाधान योजना' की 'रुचि की अभिव्यक्ति' प्रस्तुत करके 'समाधान योजना' प्रस्तुत करने का कार्य किया हो।

111. उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने सही निर्णय दिया कि अपीलार्थी-'ए. एम. इंडिया लिमिटेड' को धारा *30* की उप-धारा *(4)* के दूसरे परंतुक के संदर्भ में लेनदारों की समिति द्वारा अवसर दिया जाना चाहिए था। *112.* विचार के लिए सवाल यह उठता है कि क्या 'ए. एम. नीदरलैंड' पात्र है, जिसने *7* फरवरी, *2018* को 'उत्तम गाल्वा' की अपनी पूरी हिस्सेदारी हस्तांतरित कर दी है और *9* फरवरी, *2018* को 'के. एस. एस. ग्लोबल' में 'फ्रासेली' की अपनी पूरी हिस्सेदारी हस्तांतरित कर दी है, यानी 'रुचि की अभिव्यक्ति' *('*समाधान योजना' का पहला चरण*)* जमा करने से दो से चार दिन पहले।

113. धारा *29* ए के खंड *(*सी*)* का प्रावधान इस प्रकार हैः

"बशर्ते कि व्यक्ति एक प्रस्तुत करने के लिए पात्र होगा

समाधान योजना यदि ऐसा व्यक्ति समाधान प्रस्तुत करने से पहले ब्याज और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति खातों से संबंधित शुल्कों के साथ सभी अतिदेय राशियों का भुगतान करता है।

योजना "

114. खंड *(ग)* के पूर्वोक्त परंतुक में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति 'समाधान योजना' प्रस्तुत करने का पात्र होगा यदि ऐसा व्यक्ति सभी अतिदेय राशियों का भुगतान उस पर ब्याज और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति खातों से संबंधित शुल्कों के साथ करता है।

'समाधान योजना' प्रस्तुत करना। यह पात्र बनने के लिए किसी अन्य तरीके को निर्धारित नहीं करता है और इस तरह अपात्र होने के लिए किसी अन्य तरीके को निर्धारित नहीं करता है, जिसमें उस कंपनी के सदस्य के रूप में मौजूद शेयरों को बेचना शामिल है, जिसके खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। *115.* धारा *30* की उप-धारा *(4)* के लिए दूसरा परंतुक भी निम्नलिखित रूप में निर्धारित करता हैः

" 30. समाधान योजना प्रस्तुत करना। *%*

(4) XXX XXX XXX बशर्ते कि जहां पहले परंतुक में संदर्भित समाधान आवेदक धारा आरसीईएलओआरएमआईटीटीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v* के खंड *(सी)* के तहत अयोग्य है।

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

29 समाधान आवेदक को लेनदारों की समिति द्वारा ऐसी अवधि, जो तीस दिनों से अधिक नहीं हो, धारा *29* ए के खंड *(सी)* के परंतुक के अनुसार अतिदेय राशियों का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी।

116. उपरोक्त दोनों प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि

117. मान लीजिए, 'ए. एम. नीदरलैंड' 'ए. एम. इंडिया लिमिटेड' का संबंधित पक्ष है। ए. एम. नीदरलैंड 'उत्तम गाल्वा' का प्रवर्तक उस तारीख को था जब भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'उत्तम गाल्वा' को एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया था और इस तरह के वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि बीत चुकी थी। 'निगमित ऋणदाता' की 'निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया' की शुरुआत।

118. एक बार जब 'उत्तम गाल्वा' के प्रवर्तक पर 'एन. पी. ए. के रूप में खाते के वर्गीकरण' का कलंक लगा दिया जाता है, तो 'ए. एम. नीदरलैंड' द्वारा शेयरों की बिक्री के बाद भी यह 'उत्तम गाल्वा' का सदस्य या प्रवर्तक नहीं रह सकता है, लेकिन इसके साथ जो कलंक लगाया गया था, वह अयोग्य होने के उद्देश्य से जारी रहेगा।

धारा *29* ए का खंड *(सी)*, जब तक 'उत्तम गाल्वा' के एन. पी. ए. खाते से संबंधित ब्याज और शुल्कों के साथ सभी अतिदेय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

119. 'ए. एम. नीदरलैंड 'ए. एम. एस. ए.' की सहायक कंपनी है जो लक्ज़मबर्ग में निगमित एक सूचीबद्ध कंपनी है। ए. एम. इंडिया लिमिटेड 'है।

ए. एम. एस. ए. की एक सहायक कंपनी भी है जिसमें *99.99%* हिस्सेदारी है। तदनुसार, 'एएमएसए' एक प्रवर्तक भी है, जो 'ए. एम. इंडिया लिमिटेड' के प्रबंधन और नियंत्रण में है। फ्रासेली 'एक कंपनी है जिसका

स्वामित्व और नियंत्रण 'मित्तल इन्वेस्टमेंट्स 'नामक कंपनी के पास है, जिसने 'केएसएस ग्लोबल बीवी 'की शेयर पूंजी का लगभग एक तिहाई हिस्सा हासिल कर लिया है।

इस तरह के अधिग्रहण के लिए, 'फ्रासेली 'ने 'केएसएस ग्लोबल बीवी 'पर नियंत्रण हासिल कर लिया जो बदले में 'केएसएस पेट्रॉन 'और 'पेट्रॉन इंजीनियरिंग 'को नियंत्रित करता है। मित्तल इन्वेस्टमेंट्स 'का स्वामित्व और नियंत्रण एल. एन. मित्तल समूह के पास है, जो 'ए. एम. इंडिया प्रा. लि. 'के प्रवर्तक हैं। लि.

120. 'ए. एम. इंडिया लिमिटेड ने 'के. एस. एस. ग्लोबल बी. वी. 'में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश किया जो 'के. एस. एस. पेट्रॉन' *(*एक कंपनी जिसका खाता एन. पी. ए. घोषित किया गया है*)* का मालिक है। ' 'ए. एम. इंडिया लिमिटेड 'का इस पर अपना नियंत्रण है, यह इस तथ्य से स्पष्ट होगा कि इसके नामित निदेशक भी हैं, जिन्होंने *9* फरवरी, *2018* को यानी 'ए. एम. इंडिया लिमिटेड 'द्वारा 'समाधान योजना 'की 'रुचि की अभिव्यक्ति' प्रस्तुत करने से *3* दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट होगा कि 'ए. एम. इंडिया लिमिटेड' कुछ भी नहीं था कि 'के. एस. एस. ग्लोबल बी. वी. ' *(*जो एक एन. पी. ए. कंपनी 'के. एस. एस. पेट्रॉन 'का मालिक है*)* में नियंत्रण और प्रबंधन करने वाली एक इकाई ने 'के. एस. एस. ग्लोबल बी. वी. 'में अपनी हिस्सेदारी *9* फरवरी, *2018* को यानी 'समाधान योजना 'की 'रुचि की अभिव्यक्ति 'प्रस्तुत करने से *3* दिन पहले बेच दी थी।

121. हमने यह भी देखा है कि इस तरह के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप

'फ्रासेली 'द्वारा नियंत्रित, *23* मई, *2011* को 'केएसएस ग्लोबल बीवी 'और 'फ्रासेली 'द्वारा 'पेट्रॉन इंजीनियरिंग' के शेयरों के अधिग्रहण के लिए 'एस. ई. बी. आई. *(*शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण*)* विनियम, *1997*' के तहत एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी। इसलिए हम मानते हैं कि श्री एल. एन. मित्तल समूह, एक जुड़े हुए व्यक्ति हैं।

'ए. एम. इंडिया लिमिटेड 'के प्रवर्तक और *2011* से 'के. एस. एस. पेट्रॉन 'के नियंत्रण और प्रबंधन में होने और 'के. एस. एस. पेट्रॉन 'को कई बैंकों द्वारा 'एन. पी. ए. 'के रूप में वर्गीकृत किए जाने के कारण, 'के. एस. एस. ग्लोबल' द्वारा *9* फरवरी, *2018* को 'के. एस. एस. पेट्रॉन 'में अपने शेयरों का विनिवेश करके इससे जुड़े कलंक को दूर नहीं किया जा सकता है और खंड *(*सी*)* धारा *29* ए के तहत अयोग्यता के उद्देश्य से यह कलंक भुगतान होने तक जारी रहेगा।

उस पर ब्याज के साथ सभी अतिदेय राशि और 'के. एस. एस. पेट्रोन 'के एन. पी. ए. खाते से संबंधित शुल्क।

122. माना जा सकता है कि एन. पी. ए. कंपनी में से एक 'के. एस. एस. पेट्रॉन 'में 'ए. एम. इंडिया लिमिटेड 'के तीन नामित निदेशक हैं। अपीलार्थी के नामित निदेशकों-'ए. एम. इंडिया लिमिटेड 'ने भी *9* फरवरी, *2018* को यानी 'समाधान योजना 'प्रस्तुत करने से तीन दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि 'ए. एम. इंडिया लिमिटेड 'का 'के. एस. एस. पेट्रॉन 'पर पूरा नियंत्रण था।

आर. सी. एल. ओ. एम. टी. ए. एल. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

123. यह सूचित किया जाता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश के बाद, 'ए. एम. इंडिया लिमिटेड' ने सशर्त आदेश दिया था।

रुपये की जमा राशि। *7,000* अपने चालू खाते *(*एस्क्रो खाता*)* में करोड़। अपने स्वयं के एस्क्रो खाते में राशि का ऐसा जमा करना धारा *29* ए के खंड *(*सी*)* के प्रावधान के संदर्भ में अतिदेय राशि के भुगतान के रूप में योग्य नहीं है। बकाया राशि का भुगतान करने का सशर्त प्रस्ताव तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि धारा *29* ए के खंड *(*सी*)* के प्रावधान के आलोक में इसका बिना शर्त पालन नहीं किया जाता है।

124. 'ए. एम. इंडिया लिमिटेड' की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी से जब निर्देश पर पूछा गया कि क्या यह अपीलीय न्यायाधिकरण 'प्रस्ताव' को स्वीकार करता है। 'ए. एम. इंडिया लिमिटेड' द्वारा प्रस्तुत योजना, वह गैर-जमा राशि जमा कर सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एन. पी. ए. घोषित किए गए संबंधित खातों में ब्याज के साथ परिसंपत्तियों की राशि का निष्पादन करना।

125. जैसा कि हम मानते हैं कि 'ए. एम. इंडिया लिमिटेड' भी धारा *30* की उप-धारा *(4)* के दूसरे परंतुक के लाभ का हकदार है, हम 'समाधान आवेदक'-'ए. एम. इंडिया लिमिटेड' को एक अवसर देते हैं कि वह सभी अतिदेय राशि का भुगतान उस पर ब्याज और दोनों 'उत्तम गलवा' के गैर-निष्पादित खातों से संबंधित शुल्कों के साथ करे।

और तीन के भीतर अपने-अपने खातों में 'केएसएस पेट्रॉन'

दिन अर्थात *11* सितंबर, *2018* तक। यदि ऐसी राशि उपर्युक्त समय के भीतर 'उत्तम गाल्वा' और 'केएसएस पेट्रॉन' दोनों के गैर-निष्पादित खातों में जमा की जाती है और सूचित किया जाता है, तो 'लेनदारों की समिति' *29* मार्च, *2018* को 'न्यूमेटल लिमिटेड' द्वारा प्रस्तुत 'समाधान योजना' सहित अन्य 'समाधान योजनाओं' के साथ 'एएम इंडिया लिमिटेड' द्वारा प्रस्तुत 'समाधान योजना' पर विचार करेगी और यदि आवश्यक हो, तो 'समाधान आवेदक' के साथ बातचीत कर सकती है। 'ऋणदाताओं की समिति' द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए और 'समाधान योजना' के अनुमोदन पर, 'समाधान पेशेवर' इसे प्रस्तुत करेगा।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के तुरंत समक्ष जो अपनी ओर से कानून के अनुसार धारा *31* के तहत आदेश पारित करेगा। द. 'सफल समाधान आवेदक अपनी 'समाधान योजना' के निष्पादन के लिए कदम उठाएगा और प्रस्तावित होने पर अग्रिम धन जमा करेगा।

'समाधान योजना' की शर्तें।

126. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यायनिर्णायक के समक्ष मामले के लंबित होने के कारण एक लंबी अवधि लग गई है।

प्राधिकरण और उसके बाद, इस अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष, हम न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को *270* दिनों की कुल अवधि की गणना के उद्देश्य से इस अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष *26* अप्रैल, *2018* से आज *(7* सितंबर, *2018)* तक की अवधि को लंबित रखने का निर्देश देते हैं। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा *19* अप्रैल, *2018* को पारित विवादित आदेश, जहां तक यह *29* मार्च, *2018* की 'समाधान योजना' प्रस्तुत करने की तारीख को 'न्यूमेटल लिमिटेड' की पात्रता से संबंधित है, को दरकिनार कर दिया गया है। 'ए. एम. इंडिया लिमिटेड' के संबंध में विवादित निर्णय/आदेश की पुष्टि पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित शर्तों के साथ की गई है। उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ सभी अपीलों का निपटारा किया जाता है।

पक्ष अपनी-अपनी लागत वहन करेंगे।

13. ए. एम. आई. पी. एल. और न्यूमेटल दोनों इस तरह से हमारे सामने अपील कर रहे हैं।

अपीलीय प्राधिकरण के दिनांकित *7.9.2018* आदेश से।

14. श्री हरीश एन. साल्वे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

ए. एम. आई. पी. एल. की ओर से तर्क दिया गया कि धारा *29* ए, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, एक ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित करती है जिसका ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन या नियंत्रण में एक कॉर्पोरेट देनदार का खाता है, या जिसका ऐसा व्यक्ति एक प्रवर्तक है, जिसके खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में घोषित किया गया था। आगे की शर्त यह है कि इस तरह की घोषणा की तारीख से कॉर्पोरेट दिवालियापन शुरू होने की तारीख तक एक साल बीत चुका होना चाहिए।

निगमित देनदार की समाधान प्रक्रिया। इस प्रकार, इसका एक सादा पाठ यह स्थापित करता है कि धारा *29* ए के तहत अयोग्यता एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के संबंध में है, जिसमें धारा *30* में निर्धारित तत्व शामिल होने चाहिए। प्रारंभिक पूछताछ का जवाब देना, अर्थात

रुचि की अभिव्यक्ति, समाधान योजना का विषय नहीं है, और इसलिए, प्रासंगिक समय समाधान योजना प्रस्तुत करने का समय है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जून, *2018* में धारा *29* ए में किया गया संशोधन, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रासंगिक समय था

समाधान योजना प्रस्तुत करना, स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का होता है। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है, तो तथ्यों पर सब कुछ सही हो जाता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, ए. एम. आई. पी. एल. एक 'आर्सेलर मित्तल सोसाइटी एनोनिमे' *(*इसके बाद 'ए. एम. एस. ए.' के रूप में संदर्भित*)* की अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी है, जो लक्ज़मबर्ग में एक सूचीबद्ध कंपनी है। ए. एम. एस. ए. लग्जमबर्ग में निगमित एक कंपनी 'आर्सेलर मित्तल बेलवेल एंड डिफरडेंज सोसाइटी एनोनिमे' *(*इसके बाद 'ए. एम. बी. डी.' के रूप में संदर्भित*)* में *100%* शेयर रखता है, जो कि ए. आर. सी. एल. एम. आई. टी. टी. एल. लिमिटेड *v.*

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

बदले में एक निगमित कंपनी 'ओके होल्डिंग बीवी' में *100%* रखता है। नीदरलैंड में, जो बदले में ए. एम. आई. पी. एल. में *99.99%* हिस्सेदारी रखता है। आर्सेलर मित्तल नीदरलैंड बी. वी. *(*इसके बाद "ए. एम. एन. एल. बी. वी". के रूप में संदर्भित*)*, जो एल. एन. मित्तल समूह का एक सदस्य है।

नीदरलैंड, ए. एम. एस. ए. *(*ए. एम. एस. ए. के अध्यक्ष और सी. ई. ओ. श्री एल. एन. मित्तल*)* के पास है। ए. एम. एन. एल. बी. वी. के पास भारत में सूचीबद्ध एक भारतीय कंपनी 'उत्तम गाल्वा स्टील्स लिमिटेड' *(*जिसे इसके बाद 'उत्तम गाल्वा' के रूप में संदर्भित किया गया है*)* में *29.05%* हिस्सेदारी थी। उत्तम गाल्वा को *31.3.2016* पर एक गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में घोषित किया गया था, जिस पर लगभग रु। *6000* करोड़। श्री साल्वे के अनुसार, उत्तम गाल्वा ने हालांकि ए. एम. एन. एल. बी. वी. के साथ <आई. डी. *1* पर सह संवर्धन समझौता किया था, लेकिन वास्तव में इसे मुंबई में रहने वाले भारतीय नागरिकों के मिगलानी समूह के व्यवसायियों द्वारा बढ़ावा दिया गया था। ए. एम. एन. एल. बी. वी. को सह-संवर्धन समझौता प्रदान किया गया बोर्ड में *50* प्रतिशत गैर-स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार, साथ ही कुछ सकारात्मक मतदान अधिकार। इसके लिए संघ के अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता थी, जो वास्तव में कभी नहीं किया गया था। *2015* में ही ए. एम. एन. एल. बी. वी. ने उत्तम गाल्वा में निवेश को अपने बहीखाते से लिख दिया था और इस समय उत्तम गाल्वा से बाहर निकलने की मांग की थी। ए. एम. एन. एल. बी. वी. ने कभी भी उत्तम गाल्वा में किसी निदेशक की नियुक्ति नहीं की और न ही किसी मतदान अधिकार का प्रयोग किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसने उत्तम गाल्वा में अपनी पूरी हिस्सेदारी *7.2.2018* पर एक 'साईनाथ ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड' को हस्तांतरित कर दी थी, जो कि मिगलानी समूह की कंपनी थी, प्रति शेयर *1* रुपये में *(Rs.120* प्रति शेयर पर शेयर खरीदकर*)*। ए. एम. एन. एल. बी. वी. के डिपॉजिटरी प्रतिभागी खाते ने *7.2.2018* से उक्त शेयरों को दिखाना बंद कर दिया। सह-संवर्धन समझौता दिनांक *4.9.2009*, के अनुसार

जिसे ए. एम. एन. एल. बी. वी. को "प्रवर्तक" का दर्जा प्रदान किया गया था, वह *7.2.2018* पर खंड *21.6* द्वारा स्वचालित रूप से समाप्त हो गया। इस मामले को किसी भी संदेह से परे रखने के लिए, पक्षों ने *7.2.2018* पर एक सह पदोन्नति समाप्ति समझौते को भी निष्पादित किया। *8.2.2018* पर, उत्तम गाल्वा ने कंपनियों के पंजीयक के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल किए और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ ए. एम. एन. एल. बी. वी. को इसके प्रवर्तक के रूप में अवर्गीकृत करने के लिए आवश्यक खुलासा किया।

इसलिए *12.2.2018* से पहले उत्तम गाल्वा में प्रवर्तक बनना बंद कर दिया, समाधान योजना धारा *29* ए *(*सी*)* से प्रभावित नहीं होती है। इसी तरह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, केएसएस पेट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड *[2018] 12* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(इसके बाद 'केएसएस पेट्रोन' के रूप में संदर्भित*)* का संबंध है, यह एक स्वीकृत मामला है कि 'फ्रासेली इन्वेस्टमेंट्स सरल' *(*इसके बाद 'फ्रासेली' के रूप में संदर्भित*)* एक 'मित्तल इन्वेस्टमेंट्स सरल' के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी है। जिसका स्वामित्व और नियंत्रण ए. एम. आई. पी. एल. के प्रवर्तक एल. एन. मित्तल समूह के पास है। फ्रासेली के पास एक कंपनी 'काजस्ट्रॉय सर्विस ग्लोबल बीवी' *(*इसके बाद "केएसएस ग्लोबल" के रूप में संदर्भित*)* में *32.22%* हिस्सेदारी थी।

नीदरलैंड में निगमित जो बदले में एक भारतीय कंपनी केएसएस पेट्रॉन का *100%* रखता था। फ्रासेली और के. एस. एस. ग्लोबल के बीच हुए शेयरधारकों के समझौते ने फ्रासेली को के. एस. एस. ग्लोबल में छह नामांकित निदेशकों में से दो को नियुक्त करने की अनुमति दी।

कुछ मामलों के संबंध में शेयरधारक। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, यदि कंपनी अधिनियम, *2013* की धारा *2 (27)* में "नियंत्रण" की परिभाषा लागू की जाती है, तो केएसएस पेट्रॉन के साथ केएसएस ग्लोबल का

संबंध भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पर "नियंत्रण" का गठन नहीं करेगा। किसी भी मामले में, केएसएस ग्लोबल में फ्रासेली की पूरी हिस्सेदारी को समाधान योजना प्रस्तुत करने से *3* दिन पहले केएसएस ग्लोबल के प्रवर्तकों को वापस हस्तांतरित कर दिया गया था। के. एस. एस. पेट्रॉन को कई बैंकों द्वारा गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और एन. सी. एल. टी. के समक्ष इसके खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया *1.8.2017* पर शुरू की गई थी। यह जोड़ा जा सकता है कि केएसएस पेट्रॉन को *30.9.2015* पर एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया था, जिस पर लगभग रु। *1000* करोड़। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसलिए इस संबंध में अपीलीय प्राधिकरण के निष्कर्ष पर हमला किया और कहा कि धारा *29* ए के रूप में

आकर्षित नहीं होने पर, उत्तम गाल्वा और केएसएस पेट्रॉन के ऋणों को चुकाने का सवाल ही नहीं उठेगा। *15.* जब न्यूमेटल की समाधान योजना की बात आई, तो विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि न्यूमेटल था

ई. एस. आई. एल. का अधिग्रहण करने का प्रयास करने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ श्री रवि रुइया *(*जो ई. एस. आई. एल. के कॉर्पोरेट देनदार के प्रवर्तक थे*)* के पुत्र श्री रेवंत रुइया द्वारा आई. डी. *1* पर निगमित किया गया। अपने निगमन के समय, एक 'ऑरोरा एंटरप्राइजेज लिमिटेड' *(*इसके बाद 'एईएल' के रूप में संदर्भित*)*, एक रुइया समूह कंपनी, के पास न्यूमेटल की *100%* हिस्सेदारी थी। बदले में एईएल की *100%* हिस्सेदारी एक 'ऑरोरा होल्डिंग्स लिमिटेड' *(*इसके बाद "एएचएल" के रूप में संदर्भित*)* के पास थी, जिसकी *100%* हिस्सेदारी श्री रेवंत रुइया के पास थी, जो कंपनी के पूर्व निदेशक थे।

देनदार, अर्थात ई. एस. आई. एल.। *18.10.2017* पर, धारा *29* ए लागू होने से कुछ हफ्ते पहले, एईएल ने न्यूमेटल में अपने शेयरों में से *26.1%* को एक 'एस्सार कम्युनिकेशंस लिमिटेड' *(*जिसे इसके बाद "ईसीएल" के रूप में संदर्भित किया गया है*)* को हस्तांतरित कर दिया, जो एक समूह आर्केसल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.*

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

निगमित देनदार की कंपनी। *19.10.2017* पर श्री रेवंत रुइया का निपटारा हुआ

एक अपरिवर्तनीय विवेकाधीन न्यास, जिसे 'क्रिसेंट ट्रस्ट' कहा जाता है, जिसने ए. एच. एल. के शेयरों को समान मूल्य पर खरीदा। *20.10.2017* पर, जब

समाधान योजनाओं में, ए. ई. एल. ने न्यूमेटल में अपनी हिस्सेदारी का *13.9%* और ई. सी. एल. ने अपनी पूरी *26.1%* हिस्सेदारी को एक 'क्रिनियम बे होल्डिंग्स लिमिटेड' *(*जिसे इसके बाद 'क्रिनियम बे' के रूप में संदर्भित किया गया है*)* को हस्तांतरित कर दिया, जो अप्रत्यक्ष रूप से एक 'वी. टी. बी. बैंक' की सहायक कंपनी थी, जो बदले में एक रूसी कंपनी थी, जिसके अधिकांश शेयर रूसी सरकार के पास थे। इस प्रकार क्रिनियम बे न्यूमेटल की *40* प्रतिशत हिस्सेदारी का मालिक बन गया। एईएल ने बाद में न्यूमेटल में हिस्सेदारी का *25.1%* एक 'इंडो इंटरनेशनल ट्रेडिंग एफजेडसीओ' *(*इसके बाद 'इंडो' के रूप में संदर्भित*)*, एक दुबई कंपनी को हस्तांतरित कर दिया, और *9.9%* हिस्सेदारी एक 'जेएससी वीओ त्याजप्रोमएक्सपोर्ट' *(*इसके बाद 'टीपीई' के रूप में संदर्भित*)*, एक रूसी कंपनी को हस्तांतरित कर दी। ए. ई. एल. के पास न्यूमेटल में केवल *25* प्रतिशत हिस्सेदारी बची थी। यहां तक कि न्यूमेटल में इस हिस्सेदारी को अंततः *29.3.2018* पर विभाजित कर दिया गया था, ताकि क्रिनियम बे के पास *40* प्रतिशत, *TPE* के पास *25.9%* और इंडो के पास *34.1%* न्यूमेटल में हो, जिसमें *AEL* की हिस्सेदारी 'शून्य' हो गई। श्री साल्वे ने तर्क दिया है कि न्यूमेटल संहिता की धारा *29* ए *(*आई*)* से प्रभावित है, क्योंकि क्रिनियम बे के मूल वीटीबी बैंक को दिनांकित *31.7.2004* के आदेश के अनुसार यूरोपीय

संघ में प्रतिभूति बाजारों तक पहुंचने से प्रतिबंधित किया गया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में दो आदेशों द्वारा। इस मामले में, न्यूमेटल है

धारा *29* ए की उप-धारा *(*आई*)* के साथ पठित उप-धारा *(*एफ*)* द्वारा सीधे प्रभावित। यह धारा *29* ए *(*जे*)* से भी प्रभावित है क्योंकि क्रिनियम बे, वीटीबी बैंक की सहायक कंपनी होने के नाते, धारा *29* ए *(*जे*)* के स्पष्टीकरण *1* के उपखंड *(i)* और *(iii)* के तहत परिभाषित एक "जुड़े हुए व्यक्ति" बन जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर उन्होंने जोर दिया था वह यह था कि रु। *500* ए. ई. एल. द्वारा न्यूमेटल को करोड़ रुपये दिए गए थे ताकि वह द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के साथ आवश्यक बकाया राशि जमा कर सके।

संख्यात्मक। यह राशि, जो ए. ई. एल. द्वारा प्रस्तुत की गई थी, समाधान पेशेवर के पास बनी हुई है, और आज तक ए. ई. एल. द्वारा वापस नहीं ली गई है, यह दर्शाता है कि श्री रेवंत रुइया ने अपने शेयरधारक के रूप में ए. ई. एल. के पूर्ण रूप से बाहर निकलने के बाद भी न्यूमेटल की समाधान योजना के साथ महत्वपूर्ण रूप से रुचि और जुड़ाव बनाए रखा है। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि इन तथ्यों को देखते हुए, जबकि ए. एम. आई. पी. एल. को पात्र माना जाना चाहिए था, इसे अपीलीय प्राधिकरण द्वारा गलत तरीके से अयोग्य ठहराया गया था; और वह *[2018] 12* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यूमेटल, धारा *29* ए के कई प्रावधानों से स्पष्ट रूप से प्रभावित होने के कारण, गलत तरीके से पात्र माना गया था। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि धारा *29* ए के मुख्य उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करना था कि निगम के प्रवर्तक

ऋणी को उस कंपनी को फिर से हासिल करने के लिए परिपत्र के माध्यम से या उसके माध्यम से वापस नहीं आना चाहिए जो उसने खुद जमीन पर चलाई थी। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने उक्त विधेयक के साथ जुड़े उद्देश्यों और कारणों के विवरणों के साथ धारा *29* ए को पेश करके संहिता में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करते समय *29.12.2017* पर वित्त मंत्री के बयान पर भरोसा किया।

16. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए. एम. सिंघवी ने इसका समर्थन किया

श्री साल्वे के तर्क। उनके अनुसार, धारा *29* ए *(*सी*)* में हमेशा समाधान योजना की तारीख को प्रासंगिक तिथि के रूप में लागू किया जाता था, क्योंकि अनुच्छेद में "है" जो खंड *(*एच*)* और *(*जे*)* में भी है, और "है" अभिव्यक्ति के समान है जो खंड *(*ए*), (*बी*), (*ई*)* और *(*एफ*)* में पाई जाती है, जैसा कि खंडों में "किया गया है" अभिव्यक्ति के विपरीत है।

श्री साल्वे ने अपीलीय प्राधिकरण के फैसले पर कहा कि जहां तक उत्तम गाल्वा का संबंध है, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि शेयरों की बिक्री विक्रेता के डीमैट खाते से बाहर निकलने के बाद पूरी हो जाती है, जो इस मामले में *12.2.2008* से पांच दिन पहले हुई थी। इसके लिए उन्होंने कुछ निर्णयों का हवाला दिया। उन्होंने यह कहते हुए श्री साल्वे के तर्क का भी समर्थन किया कि न्यूमेटल को धारा *29* ए के कई खंडों के तहत स्पष्ट रूप से अयोग्य ठहराया गया है। *17.* दूसरी ओर, न्यूमेटल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि न्यूमेटल एक ऐसी कंपनी थी जो इसलिए कानून की दृष्टि से उससे अलग थी।

शेयरधारक। उन्होंने तर्क दिया कि समाधान योजना *(*यानी, *12.2.2018)* प्रस्तुत करने की तारीख पर, एईएल के पास केवल *25* प्रतिशत था, जो दिनांकित *24.12.2017* के प्रस्ताव के अनुरोध में उल्लिखित *26* प्रतिशत के आंकड़े से कम होगा, जिसमें "नियंत्रण" को कंपनी में मतदान हिस्सेदारी पूंजी का *26* प्रतिशत से अधिक रखने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। उनके अनुसार, किसी भी मामले में *2.4.2018* द्वारा, जब इसने एक नई समाधान योजना प्रस्तुत की,

एईएल पूरी तरह से बाहर निकल गया था, जिससे दो रूसी कंपनियों के पास क्रमशः *40* प्रतिशत और *25.9%* न्यूमेटल और इंडो, एक दुबई कंपनी के पास *34.1%* था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार,

न्यूमेटल को संभवतः इसके शेयरधारकों के संयुक्त उद्यम के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने हमारे कुछ निर्णयों का हवाला दिया। उनके अनुसार, एक संयुक्त उद्यम एक संविदात्मक व्यवस्था है जिसके तहत आर्केलार्मिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.*

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

दो या दो से अधिक पक्ष एक ऐसी आर्थिक गतिविधि करते हैं जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन है, जो वर्तमान मामले में गायब है क्योंकि किसी कंपनी में एक शेयरधारक खुद कंपनी से अलग है। उन्होंने कहा कि खंड

श्री रवि रुइया का पुत्र, जो कॉर्पोरेट देनदार का प्रवर्तक है, और हालाँकि उसे अपने भीतर "सामूहिक रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति" माना जा सकता है। एस. ई. बी. आई. *(*शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण*)* विनियम, *2011 (*इसके बाद *"2011* अधिग्रहण विनियम" के रूप में संदर्भित*)* के विनियम *2 (1) (*क्यू*)* में निहित परिभाषा, फिर भी, उसे एस. ई. बी. आई. की धारा *29* ए *(*जे*)* के तहत "जुड़े हुए व्यक्ति" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

कोड। यह इस कारण से है कि धारा *29* ए *(*जे*)* के स्पष्टीकरण *1* के तहत, "जुड़े हुए व्यक्ति" का अर्थ केवल एक संबंधित पक्ष या एक व्यक्ति हो सकता है जिसे स्पष्टीकरण *1* के उपखंड *(i)* और *(ii)* में संदर्भित किया गया है, और क्योंकि श्री रेवंत रुइया न तो प्रबंधन के प्रवर्तक हैं और न ही प्रबंधन में हैं।

या संकल्प आवेदक का नियंत्रण, वह स्पष्टीकरण *1* के उपखंड *(iii)* से बाहर होगा। श्री रोहतगी के अनुसार, अपीलीय प्राधिकरण का यह कहना बिल्कुल सही था कि न्यूमेटल नहीं होगा

धारा *29* ए के तहत अयोग्य। उन्होंने श्री साल्वे के इस तर्क पर कड़ी आपत्ति जताई कि क्रिनियम बे की होल्डिंग कंपनी वी. टी. बी. बैंक को यूरोपीय संघ या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से रोक दिया गया था। उन्होंने हमें मूल आदेशों पर ले गए और तर्क दिया कि यूरोपीय संघ का दस्तावेज़, *2014* का परिषद विनियमन *833* दिनांकित *31.7.2014,* यूरोपीय संघ के कार्यकरण पर संधि के अनुच्छेद *215* के अनुसार, यूक्रेन में स्थिति को अस्थिर करने वाले रूस के कार्यों को देखते हुए किए गए प्रतिबंधात्मक उपायों के कारण था। क्योंकि रूस ने अवैध रूप से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, इस दस्तावेज़ द्वारा राजनीतिक प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसे संभवतः भारत में एस. ई. बी. आई. के समकक्ष प्राधिकरण द्वारा लगाए गए प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता है। प्रतिबंधों का संबंध *[2018] 12* एस. सी. आर. से भी नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. ई. बी. आई. के अनुरूप "प्राधिकरण" यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह "प्रतिभूति विनिमय आयोग" होगा, जिनमें से किसी ने भी कोई प्रतिबंध जारी नहीं किया है जो वी. टी. बी. बैंक को प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने या व्यापार करने से रोकता है। उन्होंने श्री साल्वे की इस दलील का भी विरोध किया कि रु। *500* ए. ई. एल. द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए और समाधान योजना के लिए दिए गए करोड़ रुपये को अभी तक वापस नहीं लिया गया था, यह तर्क देते हुए कि ऐसा इसलिए था क्योंकि न्यूमेटल द्वारा पहली बोली की वैधता अभी भी विचाराधीन है। *18.* श्री रोहतगी ने तब ए. एम. आई. पी. एल. पर यह कहते हुए हमला किया कि धारा *29* ए *(*सी*)* के शाब्दिक अध्ययन से भी यह स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तम गाल्वा के मामले में ए. एम. एन. एल. बी. वी., जो निश्चित रूप से एक एल. एन. मित्तल समूह है।

कंपनी, सीधे उप-खंड *(*सी*)* द्वारा कवर की गई थी क्योंकि इसे उत्तम गाल्वा की वार्षिक रिपोर्टों में एक "प्रवर्तक" के रूप में दिखाया गया था, और

इसलिए कंपनी अधिनियम, *2013* की धारा *2 (69)* में निहित "प्रवर्तक" की परिभाषा के अनुरूप है। बहुत महत्वपूर्ण और वास्तव में जो खुलासा नहीं किया गया है, वह यह है कि उत्तम गाल्वा के सुरक्षित लेनदार भारतीय स्टेट बैंक को ए. एम. एन. एल. बी. वी. द्वारा <आई. डी. *1* पर एक गैर-निपटान उपक्रम जारी किया गया था, जिसमें इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि वह उत्तम गाल्वा के ऋणदाताओं की सहमति के बिना उसके द्वारा रखे गए किसी भी शेयर को नहीं बेचेगा, हस्तांतरित नहीं करेगा या उसका निपटान नहीं करेगा। श्री रोहतगी के अनुसार, इसलिए, इन शेयरों का हस्तांतरण, उत्तम गाल्वा द्वारा इस तरह के हस्तांतरण की मान्यता, और भारतीय स्टेट बैंक की सहमति प्राप्त किए बिना प्रवर्तक के रूप में अवर्गीकरण के लिए स्टॉक एक्सचेंजों में परिणामी आवेदन, कानून में अमान्य है और एएमएनएलबीवी द्वारा की गई धोखाधड़ी है। इसके अलावा, *2011* के अधिग्रहण विनियमों के तहत किए गए खुलासे में, किसी भी गैर-निपटान उपक्रम के अस्तित्व से संबंधित कॉलम को खाली छोड़ दिया गया था। इसके अलावा, चूंकि सह-प्रवर्तकों के बीच शेयरों की बिक्री को *2011* के अधिग्रहण विनियमों के विनियम *10 (1) (*ए*) (2)* के साथ पठित विनियम *3 (1)* के तहत सार्वजनिक पेशकश करने की आवश्यकता से छूट दी गई है, इसलिए यह स्पष्ट है कि एक तरफ प्रवर्तक का दर्जा प्राप्त करने के लिए दावा किया जाता है। जबकि, वर्तमान मामले में, यह तर्क दिया जाता है कि, वास्तव में, ए. एम. एन. एल. बी. वी. वास्तव में एक प्रवर्तक नहीं है। समान रूप से, कॉलम के सामने फॉर्म में एक खाली जगह छोड़ते हुए, जिसमें गैर-निपटान उपक्रमों के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, एआरसीईएलओआरएमआईटीईएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.*

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

यह एस. ई. बी. आई. और उत्तम गाल्वा के शेयरधारकों के साथ धोखाधड़ी है; अन्यथा, सार्वजनिक प्रस्ताव में उत्तम गाल्वा के शेयरों को उक्त विनियमों में उल्लिखित उच्च मूल्य पर खरीदना पड़ता। संयोग से, श्री के अनुसार

रोहतगी, किसी भी मामले में, प्रति शेयर *1* रुपये की कीमत का भुगतान करके उत्तम गाल्वा से बाहर निकल रहे थे, जब उस तारीख को बाजार मूल्य रु। *19.50* प्रति शेयर फिर से एक धोखाधड़ी वाला लेन-देन है, जो संभवतः धारा *29* ए के तहत एकत्र नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, जहां तक केएसएस पेट्रॉन का संबंध है, यह स्पष्ट है कि केएसएस ग्लोबल में फ्रेज़ेली की *32.22%* की हिस्सेदारी निश्चित रूप से कंपनी अधिनियम, *2013* की धारा *2 (27)* के तहत परिभाषित केएसएस पेट्रॉन, जो इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली

सहायक कंपनी है, के वास्तविक नियंत्रण के बराबर होगी। *12.2.2018* पर समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले *9.2.2018* पर फ्रासेली की हिस्सेदारी का हस्तांतरण, फिर से धारा *29* ए द्वारा एक संदिग्ध और धोखाधड़ीपूर्ण कार्य है। श्री रोहतगी ने आगे तर्क दिया कि श्री एल. एन. मित्तल के भाई श्री प्रमोद मित्तल एक जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिससे धारा *29* ए *(*जे*)* लागू होगी। श्री प्रमोद मित्तल एक

'गोंटरमैन पाइपर्स *(*इंडिया*)* लिमिटेड' के प्रवर्तक और निदेशक, जिसे एन. पी. ए. भी घोषित किया गया है, श्री एल. एन. मित्तल को अपात्र बनाता है। धारा *29* ए *(*जे*)* के तहत। इसी तरह, श्री एल. एन. मित्तल, श्री प्रमोद मित्तल और मित्तल परिवार के अन्य सदस्य एक 'इस्पात प्रोफाइल इंडिया लिमिटेड' के प्रवर्तक हैं। इस कंपनी को बी. आई. एफ. आर. द्वारा बंद करने का आदेश दिया गया था, जिसकी अपीलों को ए. ए. आई. एफ. आर. द्वारा खारिज कर दिया गया है। नतीजतन, श्री एल. एन. मित्तल, श्री प्रमोद मित्तल के एक संबंधित पक्ष के रूप में, ए. एम. आई. पी. एल. को संहिता की धारा *29* ए के उपखंड *(*जे*)* के साथ पठित उपखंड *(*सी*)* के तहत अयोग्य बना देंगे।

दिवाला और दिवालियापन संहिता *(*संशोधन*)* अध्यादेश, *2017* धारा *29* ए का परिचय देते हुए, और इसके बीच के अंतर पर टिप्पणी की

2017 के संशोधन अधिनियम की तुलना में उक्त अध्यादेश की प्रारंभिक पंक्तियाँ। *2017* का संशोधन अधिनियम "सामूहिक रूप से अभिनय करने वाले व्यक्तियों" को शामिल करता है। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, "सामूहिक रूप से अभिनय करने वाले व्यक्तियों" से न्यायमूर्ति पी. एन.

अधिग्रहण पर भगवती समिति की रिपोर्ट, *1997,* जिसे उन्होंने हमें बहुत विस्तार से पढ़ा। उन्होंने कॉर्पोरेट पर्दा फाड़ने और सामूहिक रूप से काम करने वाले व्यक्तियों पर हमारे कुछ फैसलों का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, प्रस्ताव *[2018] 12* एस. सी. आर. के चरण में प्रस्ताव आवेदक के कहने पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

पेशेवर प्रसंस्करण समाधान आवेदन, और ऋणदाताओं की एक समिति के बाद के चरण में एक समाधान योजना को अस्वीकार करना। के अनुसार

उनके लिए, *270* दिनों की अवधि एक जलरोधक कम्पार्टमेंट है, जिसके भीतर या तो एक समाधान योजना को मंजूरी दी जाएगी, या कॉर्पोरेट देनदार को समाप्त कर दिया जाएगा। उनके अनुसार, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही के पूर्ववर्ती चरणों में दायर किए जा रहे अंतर्वर्ती आवेदनों की प्रथा और ऋणदाताओं की समिति को रिमांड के आदेशों को रोका जाना चाहिए। तथापि, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा उनके समक्ष उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय लेने में लिए गए समय को उपरोक्त *270* दिनों की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, अभिव्यक्तियाँ "व्यक्ति" सभी संबद्ध व्यक्तियों को धारा *29* ए के दायरे में लाने के लिए सामूहिक रूप से "और" नियंत्रण "में कार्य करना काफी व्यापक है। उन्होंने कई का उल्लेख किया

इस बारे में निर्णय कि इस प्रावधान का अर्थ उक्त प्रावधान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुसार कैसे लगाया जाना चाहिए, जो

कभी भी अपमानित या पराजित न हों, ताकि प्रत्येक मामले के तथ्यों की वास्तविक स्थिति तक पहुँचा जा सके। इसलिए, यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि "सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति" और "नियंत्रण" जैसे वाक्यांशों का उद्देश्य न केवल कॉर्पोरेट आवरण को भेदना है, बल्कि समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने वाले वास्तविक व्यक्तियों तक पहुंचना भी है। प्रत्येक मामले के तथ्यों पर, श्री सुब्रमण्यम के अनुसार, दोनों समाधान योजनाओं को समाधान पेशेवर और ऋणदाताओं की समिति द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था, क्योंकि वे दोनों धारा *29* ए के प्रावधानों से प्रभावित थे। कोई भी परिपत्र

विधि, जिसके द्वारा धारा *29* ए *(*सी*)* के प्रावधान के तहत संयुक्त रूप से या सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति के एन. पी. ए. के ऋणों के भुगतान से बचने की कोशिश की जाती है, को बाधित किया जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, दोनों

समाधान योजनाएं धारा *29* ए *(*सी*)* से प्रभावित होती हैं, और दोनों समाधान आवेदकों के लिए एकमात्र तरीका यह है कि वे उनके साथ जुड़े कॉर्पोरेट देनदारों के संबंधित एनपीए के ऋणों का भुगतान करें।

20. श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, उपस्थित होते हुए

समाधान पेशेवर की ओर से, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड *(*दिवाला संकल्प*)* की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

निगमित व्यक्तियों के लिए प्रक्रिया*)* विनियम, *2016 (*इसके बाद "सी. आई. आर. पी. विनियम" के रूप में संदर्भित*)*, और कहा कि समाधान पेशेवर की भूमिका अनिवार्य रूप से उसके समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक समाधान योजना पर उचित परिश्रम करना है। इस तरह के उचित परिश्रम के बाद ही इस योजना को लेनदारों की समिति को भेजा जाना है। उनके अनुसार, भले ही यह पाया गया हो कि विचाराधीन समाधान योजना आर्केलार्मिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v* का उल्लंघन करती है।

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

कोई भी कानून, इस तरह का निष्कर्ष केवल समाधान पेशेवर द्वारा बनाई गई एक अस्थायी राय होगी, जिसे सभी मामलों में पूरा होने के बाद योजना को लेनदारों की समिति को प्रस्तुत करना होगा। उनके अनुसार, संहिता की धारा *25 (2) (i)* को धारा *30 (3)* और धारा *30 (4)* के दूसरे परंतुक के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने से अनिवार्य रूप से यह निष्कर्ष निकलेगा। इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, धारा *29* ए *(*सी*)* में निहित अभिव्यक्ति "नियंत्रण" का अर्थ "प्रबंधन" शब्द के साथ एक समाज के रूप में लिया जाना चाहिए, और इस प्रकार इसका अर्थ केवल ऐसे व्यक्ति का सकारात्मक, वास्तविक, नियंत्रण होगा। *21.* इस बिंदु पर, पहले धारा *29* ए को इसके विभिन्न रूपों में निर्धारित करना आवश्यक हैः जैसा कि पहली बार दिवाला और दिवालियापन द्वारा पेश किया गया था

संहिता *(*संशोधन*)* अध्यादेश, *2017* और दिवाला और दिवालियापन संहिता *(*संशोधन*)* अधिनियम, *2017*, दिवाला और दिवालियापन संहिता *(*दूसरा संशोधन*)* अधिनियम, *2018* द्वारा किए गए संशोधन के साथ। धारा *29* ए, जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता *(*संशोधन*)* अध्यादेश, *2017* द्वारा *23.11.2017* पर पेश किया गया है, निम्नानुसार हैः

"*29* ए. एक व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति, या कोई अन्य व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है, या कोई व्यक्ति जो प्रवर्तक है या प्रबंधन या नियंत्रण में है।

ऐसे व्यक्ति का,

(क*)* एक अविमुक्त दिवालिया है*;*

(बी*)* के तहत जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एक विलफुल डिफॉल्टर के रूप में पहचाना गया है

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, *1949 (1949* का *10);*

(ग*)* जिनके खाते को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, *1949 (1949* का *10)* के तहत जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इस तरह के वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि समाप्त हो गई है और जो ब्याज और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति से संबंधित शुल्कों के साथ सभी अतिदेय राशियों का भुगतान करने में विफल रहा है। समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले*;*

(घ*)* दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है

दो वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास*;* या

(ई*)* कंपनियों के तहत निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

अधिनियम, *2013 (2013* का *18); 12* एस. सी. आर.

(च*)* भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार करने या प्रतिभूति बाजारों तक पहुँचने से प्रतिबंधित किया गया है*;*

(छ*)* तरजीही लेन-देन में लिप्त है या कम मूल्यवान है।

लेन-देन या धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देन जिसके संबंध में इस संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा आदेश दिया गया है*;* *(* ज*)* दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत एक कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में एक लेनदार के पक्ष में एक प्रवर्तनीय गारंटी को निष्पादित किया है।

या इस संहिता के तहत परिसमापन*;*

(i*)* जहां ऐसे व्यक्ति के संबंध में कोई संबंधित व्यक्ति मिलता है।

खंड *(*ए*)* से *(*एच*)* में निर्दिष्ट मानदंडों में से कोई भी।

स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति

"जुड़ा हुआ व्यक्ति "का अर्थ है *((i)* कोई भी व्यक्ति जो प्रवर्तक या प्रबंधन या नियंत्रण में है।

समाधान आवेदक का; या

((ii) कोई भी व्यक्ति जो निगमित देनदार के व्यवसाय के प्रवर्तक या प्रबंधन या नियंत्रण में होगा।

((iii) खंड *(i)* में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की धारक कंपनी, सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संबंधित पक्ष। और *(ii)*

(जे*)* खंड *(*ए*)* के अनुरूप किसी भी विकलांगता के अधीन रहा है।

(i) भारत के बाहर किसी अधिकार क्षेत्र में किसी भी कानून के तहत।

22. दिवाला और दिवालियापन संहिता *(*संशोधन*)* अधिनियम, *2017* ने *28.1.2018* पर राष्ट्रपति की सहमति दी, लेकिन *23.11.2017* से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुआ। धारा *29* ए, जैसा कि निहित है

में, निम्नानुसार पढ़ता हैः

"*29* ए. समाधान आवेदक होने के लिए पात्र नहीं व्यक्ति। - ए. व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति, या कोई अन्य व्यक्ति संयुक्त रूप से या ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

व्यक्ति

(क*)* एक अविमुक्त दिवालिया है; *(* ख*)* बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एक जानबूझकर चूककर्ता है,

1949 (10 1949 का*);* आर. सी. ई. एल. ओ. एम. टी. ए. एल. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

(ग*)* ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन या नियंत्रण के तहत एक खाता है, या एक कॉर्पोरेट देनदार का खाता है या जिसका ऐसा व्यक्ति एक प्रवर्तक है, जिसे निम्न के अनुसार गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है -

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, *1949 (1949* का *10)* के तहत जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश और इस तरह के वर्गीकरण की तारीख से निगमित देनदार की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख तक कम से कम एक वर्ष की अवधि समाप्त हो गई हैः

(ङ*)* कंपनी अधिनियम, *2013 (2013* का *18)* के तहत निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य है; *(* च*)* भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निषिद्ध है।

प्रतिभूतियों में व्यापार या प्रतिभूति बाजारों तक पहुँच से;

(छ) एक प्रवर्तक या एक निगमित देनदार के प्रबंधन या नियंत्रण में रहा है जिसमें एक अधिमान्य लेनदेन, कम मूल्यवान है। लेन-देन, जबरन ऋण लेन-देन या धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देन हुआ है और जिसके संबंध में इस संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा आदेश दिया गया है;

(ज) एक निगमित देनदार के संबंध में एक लेनदार के पक्ष में एक प्रवर्तनीय गारंटी निष्पादित की है जिसके खिलाफ इस संहिता के तहत ऐसे लेनदार द्वारा किए गए दिवालिया समाधान के लिए एक आवेदन स्वीकार किया गया है;

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "जुड़े हुए व्यक्ति" अभिव्यक्ति का अर्थ है *(i)* कोई भी व्यक्ति जो प्रस्ताव आवेदक के प्रवर्तक या प्रबंधन या नियंत्रण में है; या *[2018] 12* एस. सी. आर.

(ii) कोई भी व्यक्ति जो निगमित देनदार के व्यवसाय के प्रवर्तक या प्रबंधन या नियंत्रण में होगा।

समाधान योजना का कार्यान्वयन; या

(iii) खंड *(i)* और *(ii)* में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की धारक कंपनी, सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संबंधित पक्षः बशर्ते कि इस स्पष्टीकरण के खंड *(iii)* में कुछ भी लागू नहीं होगा।

को

(क) एक अनुसूचित बैंक; या

(बी) प्रतिभूतिकरण की धारा *3* के तहत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी और

वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति का प्रवर्तन

ब्याज अधिनियम, *2002 (2002* का *54);* या *(ग)* प्रतिभूतियों के साथ पंजीकृत एक वैकल्पिक निवेश कोष

और भारतीय विनिमय बोर्ड "।

23. अंत में, दिवाला और दिवालियापन संहिता *(*दूसरा*)*

आई. डी.*)* अधिनियम, *2018* को *6.6.2018* से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू *17.8.2018* पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। ने कहा कि

अन्य बातों के साथ-साथ धारा *29* ए में संशोधन किया गया, जो अब इस प्रकार हैः

"29 ए. समाधान आवेदक होने के लिए पात्र नहीं व्यक्ति। ए.

व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति, या कोई अन्य व्यक्ति संयुक्त रूप से या ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। व्यक्ति

(क*)* एक अविमुक्त दिवालिया है; *(* ख*)* बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एक जानबूझकर चूककर्ता है,

1949 (10 1949 का*);*

(ग*)* समाधान योजना जमा करते समय प्रबंधन के तहत एक खाता, या एक कॉर्पोरेट देनदार का खाता है या

ऐसे व्यक्ति का नियंत्रण या जिसका ऐसा व्यक्ति प्रवर्तक है,

बैंकिंग विनियमन के तहत जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत अधिनियम, *1949 (1949* का *10)* या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत जारी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के दिशानिर्देश, और कम से कम एक वर्ष की अवधि ऐसी क्षेत्रीय भारत निजी सीमा की तारीख से समाप्त हो गई है।

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

निगमित देनदार की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख तक वर्गीकरणः

बशर्ते कि व्यक्ति एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र होगा यदि ऐसा व्यक्ति सभी अतिदेय राशियों का भुगतान उस पर ब्याज और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति से संबंधित शुल्क के साथ करता है।

समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले खातेः

बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी समाधान आवेदक पर लागू नहीं होगा जहां ऐसा आवेदक एक वित्तीय इकाई है और निगमित देनदार का संबंधित पक्ष नहीं है।

स्पष्टीकरण *I.* इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "संबंधित पक्ष" अभिव्यक्ति में वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित एक वित्तीय इकाई शामिल नहीं होगी, यदि वह निगमित देनदार का वित्तीय लेनदार है और केवल निगमित देनदार का एक संबंधित पक्ष है। दिवाला शुरू होने की तारीख से पहले ऋण को इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय उपकरणों में परिवर्तित या प्रतिस्थापित करने का लेखा।

स्पष्टीकरण *II*। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, जहां ए

समाधान आवेदक के पास ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन या नियंत्रण में एक खाता, या एक निगमित देनदार का खाता है या जिसका ऐसा व्यक्ति एक प्रवर्तक है, जिसे गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसा खाता इस संहिता के तहत अनुमोदित पूर्व समाधान योजना के अनुसार अर्जित किया गया था, तो इस खंड के प्रावधान इस संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा ऐसी समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए ऐसे समाधान आवेदक पर लागू नहीं होंगे।

(घ*)* कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

(i) के तहत निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम के तहत दो साल या उससे अधिक के लिए

बारहवीं अनुसूची; या

((ii) किसी अन्य कानून के तहत सात साल या उससे अधिक समय के लिए।

बल में होनाः

बशर्ते कि यह खंड किसी व्यक्ति पर उसकी रिहाई की तारीख से दो साल की अवधि समाप्त होने के बाद लागू नहीं होगा।

कारावासः

बशर्ते कि यह खंड स्पष्टीकरण *I* के खंड *(iii)* में निर्दिष्ट किसी संबंधित व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगा;

(ङ) कंपनी अधिनियम, *2013 (2013* का *18)* के तहत निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हैः

बशर्ते कि यह खंड स्पष्टीकरण *I* के खंड *(iii)* में निर्दिष्ट किसी संबंधित व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगा;

बशर्ते कि यह खंड तब लागू नहीं होगा जब कोई अधिमान्य लेनदेन, कम मूल्य वाला लेनदेन, जबरन ऋण लेनदेन या इस संहिता के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार या वित्तीय क्षेत्र के नियामक या अदालत द्वारा अनुमोदित योजना या योजना के अनुसार समाधान आवेदक द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के अधिग्रहण से पहले धोखाधड़ी का लेनदेन हुआ है, और इस तरह के समाधान आवेदक ने अन्यथा तरजीही लेनदेन, कम मूल्य वाले लेनदेन, जबरन ऋण लेनदेन या धोखाधड़ी के लेनदेन में योगदान नहीं दिया है;

(ज) एक निगमित देनदार के संबंध में एक लेनदार के पक्ष में एक गारंटी निष्पादित की है जिसके खिलाफ ऐसे लेनदार द्वारा किए गए दिवालिया समाधान के लिए एक आवेदन इस संहिता के तहत स्वीकार किया गया है और ऐसी गारंटी लेनदार द्वारा लागू की गई है और पूर्ण या आंशिक रूप से अवैतनिक बनी हुई है; *(i)* भारत के बाहर किसी अधिकार क्षेत्र में किसी भी कानून के तहत खंड *(ए)* से *(एच)* के अनुरूप किसी भी विकलांगता के अधीन है; या

(जे) एक संबंधित व्यक्ति है जो खंड *(ए)* से *(आई)* के तहत पात्र नहीं है। स्पष्टीकरण *I.* इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "संबद्ध व्यक्ति" पद का अर्थ है

((i) कोई भी व्यक्ति जो प्रवर्तक या प्रबंधन में है या

समाधान आवेदक का नियंत्रण; या आरसीईएलओआरएमआईटीटीएएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.*

((ii) कोई भी व्यक्ति जो निगमित देनदार के व्यवसाय के प्रवर्तक या प्रबंधन या नियंत्रण में होगा। समाधान योजना का कार्यान्वयन; या

((iii) खंड *(i)* और *(ii)* में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की धारक कंपनी, सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संबंधित पक्षः

बशर्ते कि स्पष्टीकरण *I* के खंड *(iii)* में कुछ भी समाधान आवेदक पर लागू नहीं होगा जहां ऐसा आवेदक एक वित्तीय इकाई है और निगमित देनदार का संबंधित पक्षकार नहीं हैः

बशर्ते कि "संबंधित पक्ष" अभिव्यक्ति में वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित एक वित्तीय इकाई शामिल नहीं होगी, यदि वह निगमित देनदार का वित्तीय लेनदार है और केवल रूपांतरण के कारण निगमित देनदार का संबंधित पक्ष है या

दिवाला शुरू होने की तारीख से पहले ऋण को इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय उपकरणों में प्रतिस्थापित करना। स्पष्टीकरण *II*। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "वित्तीय इकाई" का अर्थ निम्नलिखित संस्थाएं होंगी जो ऐसे मानदंडों को पूरा करती हैं या

केंद्र सरकार वित्तीय क्षेत्र के नियामक के परामर्श से इस संबंध में जो शर्तें अधिसूचित करे, वे हैं -

(क) एक अनुसूचित बैंक; *(ख)* विदेशी केंद्रीय बैंक या प्रतिभूतियों द्वारा विनियमित कोई भी इकाई।

बाजार नियामक या अन्य वित्तीय क्षेत्र नियामक

भारत के बाहर अधिकार क्षेत्र जो वित्तीय कार्रवाई कार्य बल मानकों के अनुरूप है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता है;

(ग) कोई भी निवेश वाहन, पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक या एक विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, जहां शर्तों का अर्थ होगा।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, *1999 (1999* का *42)* के तहत बनाए गए विदेशी मुद्रा प्रबंधन *(*भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति हस्तांतरण या जारी करना*)* विनियम, *2017* के विनियम *2* में उन्हें सौंपा गया है;

(घ) प्रतिभूतिकरण *[2018] 12* एस. सी. आर. की धारा *3* के तहत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी।

वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रवर्तन

प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, *2002 (2002* का *54);*

(ई) प्रतिभूतियों के साथ पंजीकृत एक वैकल्पिक निवेश कोष

और भारतीय विनिमय बोर्ड;

(च*)* व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियां जिन्हें केंद्र द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

सरकार "।

24. माननीय वित्त मंत्री और निगम मंत्री

आरएस, श्री अरुण जेटली, दिवाला और दिवालियापन को आगे बढ़ाते हुए

(संशोधन*)* विधेयक, *2017,29.12.2017* पर कहा गया है:

"इस नए अध्यादेश का मूल और आत्मा वास्तव में खंड *5* है, जो मूल विधेयक की धारा *29* ए है। मैं केवल यह समझा सकता हूं कि एक बार जब कोई कंपनी समाधान प्रक्रिया में जाती है, तो आवेदन होंगे जहाँ तक कंपनी या उद्यम का संबंध है, संभावित समाधान प्रस्तावों के संबंध में आमंत्रित किया जाए। अब मूल अधिनियम में कई अयोग्यता खंड नहीं थे और इसलिए, खंड *29* ए उन लोगों का परिचय देता है जो पात्र नहीं हैं।

आवेदन करना। उदाहरण के लिए एक के संबंध में एक खंड है

अनाधिकृत दिवालिया जो आवेदन करने के योग्य नहीं है; एक व्यक्ति जो निदेशक के रूप में कंपनी अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित किया गया है, वह आवेदन नहीं कर सकता है और एक व्यक्ति जो एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है, वह आवेदन नहीं कर सकता है। अतः ये वैधानिक अयोग्यताएँ हैं। और उन लोगों के संबंध में खंड *(*सी*)* में अयोग्यता भी है जो हैं

निगमित देनदार और जो बोली लगाने के आवेदन की तारीख तक ब्याज का भुगतान करके खाते को चालू नहीं करते हैं, यानी आप यह नहीं कह सकते कि मेरे पास एन. पी. ए. है। मैं खाते को चालू नहीं कर रहा हूँ। खाते एन. पी. ए. बने रहेंगे और फिर भी मैं इसके लिए आवेदन करने जा रहा हूं। प्रभावी रूप से इस खंड का अर्थ यह होगा कि जो लोग प्रबंधन में हैं और जिनके कारण यह दिवालिया या गैर-निष्पादित परिसंपत्ति उत्पन्न हुई है, वे अब यह कहने की कोशिश करेंगे कि मैं खातों को चालू करने के मामले में किसी भी बकाया ऋण का निर्वहन नहीं करता हूं और फिर भी मैं आवेदन करना चाहूंगा और उद्यम को छूट मूल्य पर वापस स्थापित करना चाहूंगा, क्योंकि यह इस विशेष अधिनियम का उद्देश्य नहीं है, इसलिए खंड *5* को उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। *(* जोर दिया गया*)*

25. उपरोक्त विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण नीचे दिया गया है:

आर. सी. एल. ओ. एम. टी. ए. एल. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

"*2.* दिवाला समाधान और परिसमापन के लिए प्रावधान

संहिता में निगमित व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित नहीं किया था

समाधान योजना प्रस्तुत करने या अधिग्रहण में भाग लेने से

परिसमापन के समय कंपनी की परिसंपत्तियों की प्रक्रिया।

चिंता व्यक्त की गई है कि जो लोग अपने दुराचार के साथ

कंपनियों के चूक में योगदान दिया या अन्यथा अवांछनीय हैं, निषेध या प्रतिबंधों की कमी के कारण इस स्थिति का दुरुपयोग हो सकता है

लेनदारों की कीमत पर पुरस्कृत होते हुए देखा जाए। इसके अलावा, यह जांचने के लिए कि अवांछनीय व्यक्ति जिनके पास हो सकता है

इस तरह के प्रावधान के अभाव में अपनी समाधान योजनाओं को प्रस्तुत किया,

ऋणदाताओं की समिति को भी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है

बकाया राशियों को चुकाने के लिए एक उचित अवधि देना और

योग्य "।

(जोर दिया गया*)*

26. इसी पृष्ठभूमि में इस खंड का अर्थ निकाला जाना चाहिए।

एस. डॉ. मंजुला क्रिपेंडॉर्फ बनाम के माध्यम से एरा। राज्य *(*सरकार। में से

दिल्ली से*)* और अन्र। *, (2017) 15* एस. सी. सी. *133,* यह न्यायालय, संदर्भित करने के बाद

ई शाब्दिक निर्माण का सुनहरा नियम, और इसके पुराने समकक्ष

हेडन के मामले में सी. टी. नियम, रचनात्मकता के सिद्धांत को संदर्भित करता है।

प्रस्तुतिकरण इस प्रकार हैः

" 122. रचनात्मक व्याख्या के उदाहरण तब होते हैं जब न्यायालय देखता है

शाब्दिक भाषा के साथ-साथ इसके उद्देश्य या उद्देश्य दोनों पर

कानून द्वारा उपयोग किए गए शब्दों को बेहतर ढंग से निर्धारित करने के लिए

ड्राफ्ट्समैन

में से

कानून

डी. आर. में

मतलब।

वेंकटचलम बनाम। परिवहन

[डी. आर.

वेंकटचलम बनाम। ट्रांसपोर्ट कम्र. , *(1977) 2* एस. सी. सी. *273]*

इसका प्रारंभिक उदाहरण बेग के सहमत निर्णय में पाया जाता है,

जे. विद्वान न्यायाधीश ने इसे अच्छी तरह से रखा जब उन्होंने कहाः *(* एस. सी. सी पी. *287 ,*

पैरा *28)*

"28. हालाँकि, यह शुरू करने के लिए तेजी से फैशनेबल हो रहा है।

किसी प्रावधान या अध्याय के लिए क्या बुनियादी है, इसके कुछ सिद्धांत के साथ

या किसी क़ानून में या यहाँ तक कि हमारे संविधान में भी व्याख्या करने के लिए

और किसी विशेष प्रावधान या नियम का अर्थ निर्धारित करें।

एक अनुमानित "बुनियादी" आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया। मुझे लगता है।

अगर मैं ऐसा कहता हूं, तो निर्माण की यह नई विधि *[2018] 12* एस. सी. आर. को प्रस्तुत करती है।

घोड़े के सामने गाड़ी। यह हमें गंभीरता से गुमराह करने के लिए उपयुक्त है जब तक कि निर्माण के इस तरह के तरीके का उपयोग करने की प्रवृत्ति की जांच नहीं की जाती है या

इस न्यायालय द्वारा ठीक किया गया। कानून में किसी धारा या अध्याय के लिए जो बुनियादी है, वह प्रदान किया गया हैः सबसे पहले, क़ानून में ही उपयोग किए गए शब्दों द्वारा; दूसरा, उस संदर्भ में जिसमें कोई प्रावधान होता है, या, दूसरे शब्दों में, क़ानून को समग्र रूप से पढ़कर; तीसरा, प्रस्तावना द्वारा जो "कुंजी" के अर्थ की आपूर्ति कर सकता है अनिश्चितता या संदेह के मामलों में कानून; और, चौथा, जहां अनिश्चितता को हल करने के लिए निर्माण के लिए कुछ और सहायता की आवश्यकता हो सकती है, विधायी इतिहास द्वारा जो उस व्यापक संदर्भ या परिप्रेक्ष्य को प्रकट करता है जिसमें किसी विशेष आवश्यकता को पूरा करने या किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई प्रावधान किया गया था। अंतिम उल्लिखित विधि में हेडन मामले में निर्धारित शरारत नियम का एक अनुप्रयोग शामिल है *[*हेडन मामला, *(1584) 3* को

प्रतिनिधि *7a: 76* ई. आर. *637]* बहुत पहले।

XXX XXX XXX *127.* इस प्रकार अंग्रेजी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलियाई और हमारे अपने सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि "लक्ष्मण रेखा" को वास्तव में कड़ाई से शाब्दिक से दूर जाने के लिए बढ़ाया गया है।

व्याख्या का नियम पुराने अंग्रेजी मामले के नियम पर वापस

और न्यायिक परिणाम पर पहुंचने से पहले किसी विशेष प्रावधान का संदर्भ। वास्तव में, पहिया पूरा चक्कर लगा चुका है। यह नियम द्वारा शुरू हुआ जैसा कि *1584* में हेडन मामले में कहा गया था *[*हेडन मामले, *(1584) 3* सह प्रतिनिधि *7a: 76* ई. आर. *637]*, जिसे तब प्रिवी काउंसिल और सदन द्वारा निर्धारित शाब्दिक व्याख्या नियम द्वारा बाधित किया गया था।

1800 के दशक के मध्य में लॉर्ड्स के, और नियम को फिर से लागू करने के लिए वापस आ गए हैं

कुछ हद तक जो सबसे अधिक सम्मानित रूप से *400* से अधिक रखा गया था

कई साल पहले हेडन मामले में *[*हेडन मामले में, *(1584) 3* सह प्रतिनिधि *7a:*

76 ई. आर. *637] "*।

27. धारा *29* ए की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या, दोनों के आधार पर

अतिरिक्त और जिस संदर्भ में प्रावधान अधिनियमित किया गया था,

इसके पहले, उसी के बारे में हमारी व्याख्या को सूचित करें। हम चिंतित हैंविषय को उसके उपखंड *(*ग*), (*च*), (i)* और *(*जे*)* के साथ संशोधित करें।

28. यह ध्यान दिया जाएगा कि *2017* के अध्यादेश में शामिल धारा *29* ए की प्रारंभिक पंक्तियाँ धारा एआरसीईएलओआरएमआईटीईएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v* की प्रारंभिक पंक्तियों से अलग हैं।

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

29 ए, जैसा कि *2017* के संशोधन अधिनियम में निहित है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वाक्यांश "सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति" *2017* के अध्यादेश में इसकी अनुपस्थिति के कारण विशिष्ट है। "प्रवर्तक" की अवधारणाएँ,

"प्रशासन "और" नियंत्रण "जो अध्यादेश के तहत धारा *29* ए की प्रारंभिक पंक्तियों में निहित थे, उन्हें अब *2017* के संशोधन अधिनियम के उपखंड *(*सी*)* में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि *2017* का संशोधन अधिनियम *2017* के अध्यादेश में निहित भाषा की तुलना में व्यापक महत्व की भाषा के साथ खुलता है, जो उन सभी व्यक्तियों को शामिल करने का इरादा दर्शाता है जो समाधान योजना प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

29. संशोधन अधिनियम की धारा *29* ए की प्रारंभिक पंक्तियाँ उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की न्यायिक स्थिति के विपरीत एक वास्तविक स्थिति का उल्लेख करती हैं। यह "प्रावधान के माध्यम से देखें" का एक विशिष्ट उदाहरण है, ताकि कोई व्यक्ति उन व्यक्तियों तक पहुँच सके जो वास्तव में "नियंत्रण" में हैं, चाहे संयुक्त रूप से, या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर। एक लकड़ी की, शाब्दिक, व्याख्या स्पष्ट रूप से कॉर्पोरेट घूंघट को फाड़ने की अनुमति नहीं देगी जब यह उस "व्यक्ति" की बात आती है जिसकी पात्रता में जाना है। हालांकि, एक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक व्याख्या, जैसे कि धारा *29* ए के रूप में ऐसे प्रावधान की व्याख्या की महसूस की गई आवश्यकता, अकेले ही नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक शेयरधारक उस कंपनी से एक अलग कानूनी इकाई है जिसमें वह शेयर रखता है। यह आम तौर पर सच हो सकता है, लेकिन

जब समाधान योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से स्थापित एक निगमित वाहन की बात आती है, तो यह न केवल अनुमेय है, बल्कि सक्षम प्राधिकारी के लिए यह पता लगाना अनिवार्य है कि ऐसी कंपनी बनाने वाले घटक कौन हैं। ऐसे मामलों में, सालोमोन *v* में निर्धारित सिद्धांत। ए सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड *[1897]* एसी *22* लागू नहीं होगा। क्योंकि ऐसे मामलों में यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक व्यक्ति या संस्थाएं कौन हैं जो संयुक्त रूप से या सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं, और जिन्होंने समाधान योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से इस तरह के कॉर्पोरेट वाहन की स्थापना की है।

30. कॉर्पोरेट घूंघट को भेदने का सिद्धांत स्वयं सॉलोमन *(ऊपर)* सिद्धांत के रूप में भी स्थापित है। जीवन बीमा निगम में

भारत का वी। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और अन्य। , *(1986) 1* एस. सी. सी. *264,* इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 90. यह प्रस्तुत किया गया था कि तेरह कपारो कंपनियाँ केवल नाम की तेरह कंपनियाँ थीं; वे केवल एक थीं और वे एक व्यक्ति थे, श्री स्वराज पॉल। श्री स्वराज पॉल को पीछे छिपे हुए देखने के लिए केवल कॉर्पोरेट घूंघट को छेदना पड़ा।

यह *[2018] 12* एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्तुत किया कि तेरह कंपनियों की ओर से तेरह आवेदन किए गए थे ताकि उस योजना को दरकिनार किया जा सके जिसमें भारतीय के प्रत्येक अनिवासी की ओर से एक प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गई थी। राष्ट्रीयता या मूल, या प्रत्येक कंपनी जिसके *60* प्रतिशत शेयर भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के गैर-निवासियों के स्वामित्व में थे। हमारा ध्यान वालरस्टीनर बनाम में लॉर्ड डेनिंग एम. आर. की सुरम्य घोषणा की ओर आकर्षित किया गया था। मोइर *[(1974) 3* सभी ई. आर. *217]* और टाटा इंजीनियरिंग में इस न्यायालय के निर्णय और

लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य *[(1964) 6* एससीआर *885],* सीआईटी बनाम। श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड *[(1967) 1* एस. सी. आर. *934]* और कामगार बनाम। एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड *[(1985) 4* एस. सी. सी. *114]*। जबकि यह सालोमोन बनाम के बाद से दृढ़ता से स्थापित है। ए. सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड *[1897* एसी *22]* ने निर्णय लिया कि एक कंपनी

एक स्वतंत्र और कानूनी व्यक्तित्व है जो उन व्यक्तियों से अलग है जो इसके सदस्य हैं, तब से यह माना गया है कि कॉर्पोरेट पर्दा हटाया जा सकता है, कॉर्पोरेट व्यक्तित्व को नजरअंदाज किया जा सकता है और व्यक्तिगत सदस्यों को मान्यता दी जा सकती है कि वे कुछ असाधारण परिस्थितियों में कौन हैं, पेनिंगटन ने अपने कंपनी कानून *(*चौथा संस्करण*)* में कहा है:

" कंपनियों के अलग कानूनी व्यक्तित्व के सिद्धांत पर कानून द्वारा चार रास्ते बनाए गए हैं। अब तक इनमें से सबसे व्यापक कानून लागू करके बनाया गया है।

अलग कानूनी व्यक्तित्व के सिद्धांत के रोजगार पर उनकी सफलता के लिए, और वास्तव में कानून इस हद तक चला गया है कि कुछ परिस्थितियों में कराधान भारी हो सकता है यदि कंपनियाँ
करदाता द्वारा अपने कर दायित्व को कम करने के प्रयास में नियोजित किया जाता है, यदि वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अन्य साधनों का उपयोग करता है। कंपनियों का कराधान एक जटिल विषय है और यह

इस पुस्तक के दायरे से बाहर है। जो पाठक इस विषय को आगे बढ़ाना चाहता है, उसे निगम कर पर कई मानक पाठ्य पुस्तकों में संदर्भित किया जाता है।

आय कर, पूँजीगत लाभ कर और पूँजी अंतरण कर।

अलग निगमित के सिद्धांत पर अन्य प्रयास

कंपनी अधिनियम, *1948* की दो धाराओं द्वारा व्यक्तित्व को उस सिद्धांत की न्यायिक अवहेलना द्वारा बनाया गया है जहां सार्वजनिक हित की सुरक्षा सर्वोपरि है, या जहां कंपनी का गठन दायित्वों से बचने के लिए किया गया है।

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

कानून द्वारा अधिरोपित, और कुछ मामलों में निहित अदालतों द्वारा कि एक कंपनी अपने सदस्यों के लिए एक एजेंट या ट्रस्टी है। ”

पाल्मर के कंपनी कानून *(23* वीं संस्करण*)* में, इंग्लैंड में वर्तमान स्थिति और उन अवसरों को बताया गया है जब कॉर्पोरेट पर्दा हो सकता है। उठाए जाने की गणना की गई है और चौदह में वर्गीकृत किया गया है

श्रेणियाँ। इसी तरह गोवर के कंपनी कानून *(*चौथा संस्करण*)* में, एक अध्याय 'पर्दा उठाने' के लिए समर्पित है और विभिन्न अवसरों पर चर्चा की जाती है जब ऐसा किया जा सकता है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड *[(1964) 6* एससीआर *885]* में कंपनी चाहती थी कि कॉर्पोरेट पर्दा हटा दिया जाए ताकि कंपनी द्वारा दायर याचिका की रखरखाव को बनाए रखा जा सके।

संविधान, इसे कंपनी के शेयरधारकों द्वारा दायर एक के रूप में मानते हुए। कंपनी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था

इस आधार पर कि कंपनी के साथ एक नागरिक के रूप में व्यवहार करना संभव नहीं था

लि. *[(1967) 1* एस. सी. आर. *934]* निगमित पर्दा हटा लिया गया और आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए आयकर की चोरी को रोका गया। कानूनी अग्रभाग के पीछे। वर्कमेन वी। संबद्ध रबड़

उद्योग लिमिटेड *[(1985) 4* एस. सी. सी. *114]* रिज़ॉर्ट को कल्याणकारी कानून से बचने के लिए उपकरणों को रोकने के लिए घूंघट उठाने के सिद्धांत का पालन करना पड़ा। इस बात पर जोर दिया गया कि इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए न कि लेन-देन के रूप को। आम तौर पर और मोटे तौर पर, हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट पर्दा उठाया जा सकता है जहां एक क़ानून ही है।

अटूट रूप से जुड़ा हुआ, वास्तव में, एक चिंता का हिस्सा है। के वर्गों की गणना करना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। ऐसे मामले जहां घूंघट उठाने की अनुमति है, क्योंकि वह आवश्यक है

आवश्यक रूप से प्रासंगिक वैधानिक या अन्य प्रावधानों पर निर्भर करता है, उद्देश्य जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है, आक्षेपित आचरण, सार्वजनिक हित के तत्व की भागीदारी, पक्षकार जो प्रभावित हो सकते हैं आदि। *(*जोर दिया गया।*)*

31. कानून के इस कथन का भारत संघ बनाम में पालन किया गया था। अमरो बैंक और अन्य, *(2013) 16* एस. सी. सी. *490,* पैराग्राफ *43 4* पर इस प्रकार हैः

" 43. हमारा विचार है कि एक दी गई स्थिति में एफ. ई. आर. ए. के तहत काम करने वाले अधिकारियों ने पाया कि *[2018] 12* एस. सी. आर. तक पहुँचने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा *29 (1) (*ए*)* का प्रावधान, प्राधिकरण हमेशा हटा सकता है

पर्दा और जाँच करें कि क्या पक्षों ने किसी भी मामले में प्रवेश किया है

धोखाधड़ी, नकली, घुमावदार उपकरण ताकि वैधानिक स्थिति से निपटा जा सके

धारा *29 (1) (*ए*)* जैसे प्रावधान। यह सामान्य कानून है कि सभी आवश्यक जानकारी का खुलासा न करने या गलत अभ्यावेदन करने से प्राप्त कोई भी अनुमोदन/अनुमति धोखाधड़ी का अभ्यास करके प्राप्त अनुमोदन/अनुमति के समान है और इसलिए यह अमान्य है। संघ में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है

भारत बनाम. रमेश गांधी *[(2012) 1* एससीसी *476]*।

44. एस्कॉर्ट्स मामले *[(1986) 1* एस. सी. सी. *264]* में भी, इस न्यायालय ने यह विचार लिया है कि गणना करना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है।

ऐसे मामलों के वर्ग जहां घूंघट उठाने की अनुमति है, क्योंकि

अनिवार्य रूप से प्रासंगिक वैधानिक या अन्य पर निर्भर होना चाहिए

प्रावधान, उद्देश्य जिसे प्राप्त करने की इच्छा है, विवादित आचरण, जनहित के तत्व की भागीदारी, प्रभावित होने वाले पक्षों पर प्रभाव, आदि। एस्कॉर्ट्स मामले *[(1986) 1* एस. सी. सी. *264]* में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः *(* एससीसी पीपी। *335-36 ,* पैरा *90)*

*" 90. ... .*आम तौर पर और व्यापक रूप से, हम कह सकते हैं कि निगमित पर्दा उठाया जा सकता है जहां एक क़ानून स्वयं पर्दा उठाने पर विचार करता है, या धोखाधड़ी या अनुचित आचरण को रोकने का इरादा है, या एक कर कानून या एक लाभकारी क़ानून से बचने की कोशिश की जाती है या जहां संबद्ध कंपनियां अटूट रूप से हैं।

वास्तव में, एक चिंता का हिस्सा होने के रूप में जुड़ा हुआ है।

32. इसी तरह बलवंत राय सलूजा और अन्र में। आदि। वी. हवा।

1 लिमिटेड और ओआरएस। *, (2014) 9* एस. सी. सी. *407,* यह न्यायालय निम्नलिखित एस्कॉर्ट्स में

(ऊपर.*),* आयोजितः

इस सिद्धांत पर प्रसिद्ध मामले में चर्चा की गई थी सालोमोन वी। सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड *[1897* एसी *22]* लॉर्ड हैल्सबरी एल. सी., के तथ्यों के लिए इस सिद्धांत की प्रयोज्यता को नकारते हुए

मामले में कहा गया हैः *(* एसी पीपी। *30 & 31)*

आर. सी. एल. ओ. एम. टी. ए. एल. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

" [एक कंपनी*]* के साथ किसी भी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, जिसके अधिकार और देनदारियाँ *[*कानूनी रूप से*]* उसके लिए उपयुक्त हैं. जो भी उनके विचार या योजनाएं हो सकती हैं जो

इसे अस्तित्व में लाया। "

सालोमन मामले *[1897* ए. सी. *22]* के बाद के अधिकांश मामलों में, घूंघट को छेदने के सिद्धांत को इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया गया कि कंपनी एक "दिखावा" या "अग्रभाग" थी। हालाँकि, उक्त सिद्धांत की प्रयोज्यता पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं थी।

71. हाल के दिनों में, कानून को बेन हाशम बनाम में मुंबी, जे. द्वारा तैयार किए गए छह सिद्धांतों के इर्द-गिर्द स्पष्ट किया गया है। अली

शाइफ़ *[*बेन हाशम बनाम। अली शैफ, *2008* ई. डब्ल्यू. एच. सी. *2380 (*एफ. ए. एम.*)]*। छह सिद्धांत, जैसा कि मामले के पैरा *159-64* में पाया गया है, इस प्रकार हैं:

(i) किसी कंपनी का स्वामित्व और नियंत्रण पर्याप्त नहीं था -

कॉर्पोरेट घूंघट को भेदने को उचित ठहराएँ;

((ii) न्यायालय निगमित पर्दा को छेद नहीं कर सकता है, यहां तक कि
कंपनी में तीसरे पक्ष के हितों की अनुपस्थिति, केवल इसलिए कि

((iv) विचाराधीन अनुचितता को देयता से बचने या छिपाने के लिए कंपनी संरचना के उपयोग से जोड़ा जाना चाहिए; *(v)* निगमित पर्दा को छेदने को उचित ठहराने के लिए, गलत काम करने वालों द्वारा कंपनी पर नियंत्रण और अनुचितता, यानी उनके द्वारा एक उपकरण के रूप में कंपनी का उपयोग या दुरुपयोग, दोनों होना चाहिए।

अपने गलत कामों को छिपाने के लिए; और

(vi) कंपनी एक "अग्रभाग" हो सकती है, भले ही इसे मूल रूप से किसी भ्रामक इरादे से शामिल नहीं किया गया था, बशर्ते कि इसका उपयोग प्रासंगिक लेनदेन के समय धोखे के उद्देश्य से किया जा रहा हो। हालाँकि, अदालत कॉर्पोरेट घूंघट को केवल वहाँ तक भेदती जहाँ तक यह आवश्यक था ताकि उस विशेष गलती के लिए एक उपाय प्रदान किया जा सके जिसे नियंत्रित करने वाले
कंपनी ने किया था

72. बेन हाशम मामले द्वारा निर्धारित सिद्धांत *[*बेन हाशम बनाम। अली शायिफ, *2008* ई. डब्ल्यू. एच. सी. *2380 (*एफ. ए. एम.*)] [2018] 12* एस. सी. आर. रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लार्ड न्यूबर्गर द्वारा यू. के. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोहराया गया

प्रेस्ट वी में। पेट्रोडेल रिसोर्सेज लिमिटेड *[(2013) 2* एसी *415],* पैरा *64* पर यूकेएससी। लॉर्ड समप्शन, प्रेस्ट मामले में *[(2013) 2* एसी *415],* अंत में निम्नानुसार देखा गयाः *(* एसी पी। *488,* पैरा *35)*

"35. मेरा निष्कर्ष है कि अंग्रेजी कानून का एक सीमित सिद्धांत है।

जो तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति किसी मौजूदा कानूनी दायित्व या दायित्व के अधीन होता है या किसी मौजूदा कानूनी प्रतिबंध के अधीन होता है जो वह

जानबूझकर बच जाता है या जिसके प्रवर्तन को वह जानबूझकर अपने नियंत्रण वाली कंपनी में हस्तक्षेप करके विफल कर देता है। अदालत तब कंपनी या उसके नियंत्रक को उस लाभ से वंचित करने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट घूंघट को छेद सकती है जो अन्यथा वे कंपनी के अलग कानूनी व्यक्तित्व द्वारा प्राप्त करते। इस सिद्धांत को उचित रूप से सीमित के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि लगभग हर मामले में जहां परीक्षण संतुष्ट होता है, तथ्य व्यवहार में कंपनी और उसके नियंत्रक के बीच एक कानूनी संबंध का खुलासा करेंगे।

जो कॉर्पोरेट घूंघट को छेदना अनावश्यक बना देगा। "

73. भारत में इस सिद्धांत के संबंध में कानून की स्थिति को विभिन्न निर्णयों में गिना गया है। एल. आई. सी. बनाम में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड *[(1986) 1* एस. सी. सी. *264]* ने कॉर्पोरेट घूंघट के सिद्धांत पर चर्चा करते हुए कहा किः *(* एससीसी पीपी। *335-36 ,* पैरा *90)*

"90. ..... आम तौर पर और व्यापक रूप से, हम कह सकते हैं कि निगमित पर्दा उठाया जा सकता है जहां एक क़ानून स्वयं पर्दा उठाने पर विचार करता है, या धोखाधड़ी या अनुचित आचरण को रोकने का इरादा है, या एक कर कानून या एक लाभकारी क़ानून से बचने की कोशिश की जाती है या जहां संबद्ध कंपनियां अटूट रूप से हैं।

वास्तव में, एक चिंता का हिस्सा होने के रूप में जुड़ा हुआ है। मामलों के वर्गों की गणना करना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। जहां पर्दा उठाने की अनुमति है, क्योंकि यह आवश्यक रूप से प्रासंगिक वैधानिक या अन्य प्रावधानों पर निर्भर करना चाहिए, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई है, विवादित आचरण, सार्वजनिक हित के तत्व की भागीदारी, उन पक्षों पर प्रभाव जो

प्रभावित हो सकता है, आदि।

33. इसी तरह दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम। स्किपर

निर्माण कंपनी *(*पी*)* लिमिटेड और अन्य, *(1996) 4* एस. सी. सी. *622,* यह

आयोजितः

आर. सी. एल. ओ. एम. टी. ए. एल. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

" 24. सालोमोन वी। सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड *[1897* एसी *22]* हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा था,

" कंपनी कानूनी रूप से ग्राहकों से पूरी तरह से अलग व्यक्ति है; और, हालांकि यह हो सकता है कि निगमन के बाद व्यवसाय ठीक वैसा ही हो जैसा पहले था, वही व्यक्ति प्रबंधक हैं, और वही लाभ प्राप्त करते हैं, कंपनी कानूनी रूप से ग्राहकों का प्रतिनिधि या उनके लिए न्यासी नहीं है। न ही सदस्य के रूप में अभिदाता किसी भी मामले में उत्तरदायी हैं।

आकार या रूप, प्रदान की गई सीमा और तरीके को छोड़कर

उस अधिनियम द्वारा "।

हालाँकि, तब से अदालतों ने उक्त नियम के कई अपवादों को मान्यता दी है। हालांकि उन सभी का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे लिए प्रासंगिक है "जब कॉर्पोरेट व्यक्तित्व को धोखाधड़ी या अनुचित आचरण के लिए एक लबादा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है"। *[* गोवरः आधुनिक कंपनी कानून-चौथा संस्करण। *(1979)* पी पर। *137.]* पेनिंगटन *(*कंपनी कानून-*5* वीं संस्करण। *1985* पी पर। *53)* यह भी कहा गया है कि "जहां सार्वजनिक हितों की सुरक्षा सर्वोपरि है

महत्व या जहां कंपनी का गठन कानून द्वारा लगाए गए दायित्वों से बचने के लिए किया गया है, अदालत कॉर्पोरेट घूंघट की अवहेलना करेगी। कानून के प्रोफेसर, एस. ओट्टोलेंघी ने अपने लेख में "कॉर्पोरेट घूंघट के पीछे झाँकने से लेकर इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करने तक "कहते हैं

" संयुक्त राज्य अमेरिका में 'घूंघट को छेदने' की अवधारणा बहुत अधिक है

ब्रिटेन की तुलना में अधिक विकसित। आदर्श वाक्य, जो सेनबोर्न, जे. द्वारा निर्धारित किया गया था और तब से कानून के रूप में उद्धृत किया गया था, यह है कि 'जब कानूनी इकाई की धारणा का उपयोग सार्वजनिक सुविधा को हराने, गलत को सही ठहराने, धोखाधड़ी की रक्षा करने या अपराध का बचाव करने के लिए किया जाता है, तो कानून निगम को व्यक्तियों के संगठन के रूप में मानेगा'। यही बात विभिन्न यूरोपीय क्षेत्राधिकारों में भी देखी जा सकती है।

[(1990) 53 आधुनिक कानून समीक्षा *338]*

वास्तव में, *1912* तक, एक अन्य अमेरिकी प्रोफेसर एल. मौरिस वर्मसर ने इस विषय पर अमेरिकी फैसलों की जांच एक शानदार लेख में की थी।

इकाई *"[*बारहवीं कोलंबिया लॉ रिव्यू *496* में प्रकाशित*]* और निम्नलिखित शब्दों में उनकी केंद्रीय हिस्सेदारी का सारांश दियाः

" विभिन्न वर्गों के मामले जहां निगमित की अवधारणा

इकाई को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए और अलग किए गए घूंघट में अब *[2018] 12* एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संक्षेप में समीक्षा की गई। कौन सा सामान्य नियम, यदि कोई हो, निर्धारित किया जा सकता है? सामान्यीकरण का निकटतम अनुमान जो अधिकारियों की वर्तमान स्थिति की आवश्यकता होगी वह यह हैः जब निगमित इकाई की अवधारणा को धोखाधड़ी के लिए नियोजित किया जाता है

लेनदार, एक मौजूदा दायित्व से बचने के लिए, एक क़ानून को दरकिनार करने के लिए, एकाधिकार प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए, या तलवारबाजी की रक्षा करने के लिए या

अपराध, अदालतें इकाई के जाल को दरकिनार कर देंगी, कॉर्पोरेट कंपनी को लाइव, अप-एंड-डूइंग, पुरुष और महिला शेयरधारकों के संगठन के रूप में मानेंगी, और वास्तविक लोगों के बीच न्याय करेंगी।

लोग।

25. पामर के कंपनी कानून में, इस विषय पर खंड के भाग *II* में चर्चा की गई है। *I.* कई परिस्थितियाँ निर्धारित की गई हैं जहाँ अदालत कॉर्पोरेट पर्दा की अवहेलना करेगी। आठवें अपवाद को उद्धृत करना हमारे उद्देश्यों के लिए पर्याप्त होगा। यह चलता हैः

"अदालतों ने आगे खुद को 'पर्दा उठाने' के लिए तैयार दिखाया है जहां निगमन के उपकरण का उपयोग किसी अवैध या अनुचित उद्देश्य के लिए किया जाता है। जहां भूमि के विक्रेता ने हस्तांतरण करके विशिष्ट प्रदर्शन के लिए कार्रवाई से बचने की मांग की। जिस भूमि पर उन्होंने इस उद्देश्य के लिए एक कंपनी के अनुबंध का उल्लंघन किया था, अदालत ने कंपनी को केवल 'दिखावा' माना और विक्रेता और कंपनी दोनों के खिलाफ विशिष्ट प्रदर्शन के लिए आदेश दिया।

कंपनी कानून पर सभी टिप्पणीकारों द्वारा इसी तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं जिनका उल्लेख करना हम आवश्यक नहीं समझते हैं।

26. पाल्मर और गोवर द्वारा बताए गए कानून को मंजूरी दे दी गई है। टेल्को बनाम में इस न्यायालय द्वारा। बिहार राज्य *[(1964) 6* एससीआर *885]*। निर्णय का निम्नलिखित अंश उपयुक्त हैः

"..... गोवर ने सात श्रेणियों के मामलों को वर्गीकृत किया है जहां एक कॉर्पोरेट निकाय का पर्दा हटा दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक तर्कसंगत, सुसंगत और अपरिवर्तनीय सिद्धांत विकसित करना संभव है जिसे इस प्रश्न को निर्धारित करने में लागू किया जा सकता है कि निगम का पर्दा हटाया जाना चाहिए या नहीं। मोटे तौर पर कहा गया है, जहां धोखाधड़ी को रोकने का इरादा है, या किसी के साथ व्यापार करना है

दुश्मन को पराजित करने की कोशिश की जाती है, निगम का पर्दा न्यायिक निर्णयों द्वारा हटा दिया जाता है और शेयरधारकों को माना जाता है

वे व्यक्ति जो वास्तव में निगम के लिए काम करते हैं। आर. सी. एल. ओ. एम. टी. ए. एल. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.*

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

27. डीएचएन फूड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड बनाम लंदन बरो ऑफ टावर हैमलेट्स *[(1976) 3* ऑल ई. आर. *462]* अपील की अदालत ने कंपनियों के एक समूह से निपटा। लॉर्ड डेनिंग ने अनुमोदन के साथ गोवर के कंपनी कानून में बयान को उद्धृत किया कि

"एक समूह के भीतर विभिन्न कंपनियों की अलग-अलग कानूनी संस्थाओं की अनदेखी करने और देखने की सामान्य प्रवृत्ति का प्रमाण है।

इसके बजाय पूरे समूह की आर्थिक इकाई पर "।

रोल्स के विद्वान मास्टर ने कहा कि "यह समूह वस्तुतः है

एक साझेदारी के समान जिसमें तीनों कंपनियाँ हैं भागीदार "। उन्होंने इसे "एक में तीन" का मामला कहा-और, वैकल्पिक रूप से,

"तीन में एक" के रूप में।

28. निगमित इकाई की अवधारणा को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किया गया था और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना लेकिन अवैध कार्य करने या लोगों को धोखा देने के लिए नहीं। जहां, इसलिए, निगमित चरित्र को अवैधता करने या दूसरों को धोखा देने के उद्देश्य से नियोजित किया जाता है, अदालत निगमित चरित्र की अनदेखी करेगी और निगमित आवरण के पीछे की वास्तविकता को देखेगी ताकि इसे सक्षम किया जा सके

पक्षों के बीच न्याय करने के लिए उचित आदेश पारित करें

चिंतित हैं। तथ्य यह है कि तेजवंत सिंह और उनके परिवार के सदस्यों ने कई निगमित निकायों का गठन किया है, इस अदालत को उन सभी को तेजवंत सिंह और परिवार से संबंधित और नियंत्रित एक इकाई के रूप में मानने से नहीं रोकता है, अगर यह पाया जाता है कि ये निगमित निकाय हैं। शव केवल कपड़े हैं जिनके पीछे तेजवंत सिंह और /

लोगों को धोखा दें "। *(* जोर दिया गया*)* *34.* इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहां एक क़ानून स्वयं निगम को हटा देता है

समग्र रूप से समूह की ओमिक इकाई।*35. 29* ए के प्रारंभिक वाक्य में "संयुक्त रूप से कार्य करना" अभिव्यक्ति को "संयुक्त उद्यम समझौतों" के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि श्री रोहतगी ने तर्क दिया है। उन्होंने फकीर चंद गुलाटी बनाम के विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया। उप्पल एजेंसियां प्रा. लिमिटेड और ए. एन. आर.

(2008) 10 एस. सी. सी. *345,* और लॉरेल एनर्जेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, *(2017) 8* एस. सी. सी. *541,* उनके इस कथन को पुष्ट करने के लिए कि एक संयुक्त उद्यम संविदात्मक रूप से सहमत है।

आर्थिक गतिविधि पर नियंत्रण साझा करना। हमें डर है कि ये निर्णय पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं। "संयुक्त रूप से कार्य करना" अभिव्यक्ति से केवल यह देखा जा सकता है कि क्या कुछ व्यक्ति एक साथ आए हैं और एक साथ कार्य करने के अर्थ में "संयुक्त रूप से" कार्य कर रहे हैं। यदि यह तथ्यों पर बनाया जाता है, तो "संयुक्त उद्यम" का कोई अतिरिक्त तत्व नहीं देखा जाता है जैसा कि कानून में समझा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण वाक्यांश "इन कॉन्सर्ट" है। संहिता की धारा *3 (37)* के अनुसार, उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ, लेकिन संहिता में परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अन्य बातों के साथ-साथ एस. ई. बी. आई. अधिनियम, *1992* द्वारा परिभाषित हैं।

कंपनी अधिनियम, *2013* का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में क्रमशः उन्हें सौंपा गया है। एस. ई. बी. आई. अधिनियम, *1992* की धारा *11* और *30* द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, *2011* के अधिग्रहण विनियमों को एस. ई. बी. आई. द्वारा जारी किया गया है।

36. मूल रूप से, एस. ई. बी. आई. *(*शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण*)* विनियम, *1994* ने "सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों" को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

आई. एक कंपनी, उसकी धारक कंपनी, या एक ही प्रबंधन के तहत ऐसी कंपनियों या कंपनियों की सहायक या तो व्यक्तिगत रूप से या
सब एक-दूसरे के साथ।

ii. एक कंपनी जिसके कोई निदेशक हों, या कोई व्यक्ति जिसे सौंपा गया हो

कंपनी की निधियों के प्रबंधन के साथ; *iii.* खंड *(i)* में निर्दिष्ट कंपनियों के निदेशक और उनके

सहयोगी; और

iv. म्यूचुअल फंड, वित्तीय संस्थान, मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर और कोई भी निवेश कंपनी जिसमें किसी भी व्यक्ति के पास है

निदेशक, निधि प्रबंधक, न्यासी, या शेयरधारक के रूप में उस कंपनी की चुकता पूंजी का कम से कम *2* प्रतिशत ब्याज।

स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए "सहयोगी" का अर्थ है:

ए. धारा *6* के अर्थ के भीतर उस व्यक्ति का कोई भी रिश्तेदार

कंपनी अधिनियम, *1956 (1956* का *1);*

बी. निदेशक या उसके रिश्तेदार, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से हों या कुल मिलाकर, ऐसी कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के *2* प्रतिशत से अधिक हिस्सेदार हों।

इसे *1997* में *1997* के विनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, और फिर

2011 के अधिग्रहण विनियमों द्वारा आगे।

37. अधिग्रहण पर न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती समिति की रिपोर्ट, जिसके अनुसार *1997* के विनियम बनाए गए थे, में कहा गया हैः

वीएसः

" *2.22* 'संगीत समारोह में अभिनय करने वाले व्यक्ति' की परिभाषा

"सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों की सार्वजनिक प्रस्तावों के लिए विशेष प्रासंगिकता होती है, क्योंकि अक्सर एक अधिग्रहणकर्ता किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर किसी कंपनी में शेयर या मतदान अधिकार इस तरह से प्राप्त कर सकता है कि उसके द्वारा किए गए अधिग्रहण सीमा से नीचे रहें। यद्यपि सामूहिक रूप से व्यक्तियों के मतदान अधिकारों के साथ लिया जाता है, लेकिन सीमा को पार किया जा सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि

"संगीत समारोह में अभिनय करने वाले व्यक्ति" को परिभाषित करें।

एक अधिग्रहणकर्ता के साथ मिलकर काम करने के लिए, व्यक्तियों को कुछ "उज्ज्वल रेखा" परीक्षणों को पूरा करना होगा। उनके पास उद्देश्यों की समानता और हितों का एक समुदाय होना चाहिए जो शेयरों का अधिग्रहण या सीमा सीमा से परे मतदान अधिकार हो सकता है, या कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है और किसी कंपनी में शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त करने के उनके कार्य को इस सामान्य उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। में निहित है

इन व्यक्तियों की ठोस कार्रवाई का एक तत्व होना चाहिए

सहयोग करें। और जैसा कि देखा गया है, इस सहयोग को कई तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या एक समझौते के माध्यम से-औपचारिक या अनौपचारिक। समिति का विचार था

कि विनियम *2* के उपखंड *(*घ*)* में "सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों" की वर्तमान परिभाषा को मजबूत करने की आवश्यकता हैः

पूर्वगामी में चर्चा की गई सभी सामग्रियों को शामिल करना

पैराग्राफ स्पष्ट रूप से कॉन्सर्ट में अभिनय के महत्व को सामने लाने के लिए।

"ब्राइट लाइन" परीक्षणों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसमें कार्य करेगा

संगीत कार्यक्रम। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो अधिग्रहणकर्ता के संबंध में अपनी स्थिति से या अपने *[2018] 12* एस. सी. आर. की प्रकृति से।

जब तक इसके विपरीत साबित न हो जाए, तब तक आम तौर पर यह माना जा सकता है कि व्यवसाय सामूहिक रूप से किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, इन व्यक्तियों के खिलाफ सबूत के बोझ के साथ सामूहिक रूप से व्यक्ति होने का एक खंडन योग्य अनुमान लगाया जाएगा। समिति का विचार था कि हालांकि ऐसे सभी व्यक्तियों को शामिल करने के लिए अनुमान का जाल डाला जाना चाहिए, लेकिन इसे बहुत व्यापक रूप से नहीं डाला जाना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति की अपनी सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखने की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण किया जा सके। दूसरे शब्दों में, अनुमान की अच्छी तरह से परिभाषित सीमाएँ होनी चाहिए।

XXX XXX XXX *2.23* 'संगीत समारोह में अभिनय करने वाले व्यक्तियों' पर सबूत का बोझ

समिति ने आगे कहा कि मौजूदा विनियमों में,

'मेलजोल में अभिनय करने वाले व्यक्तियों' पर सबूत का कोई बोझ नहीं है। एक बार जब सबूत का भार उन व्यक्तियों पर डाला जाता है जिनके बारे में माना जाता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि व्यक्तियों को इस तरह की श्रेणियों में बांटा जाए कि वे केवल उसी श्रेणी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मौजूदा प्रावधानों के सामान्य अध्ययन का तात्पर्य है कि विनियमन *2* के खंड *(*घ*)* के उपखंड *(i)* से *(iv)* में उल्लिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित व्यक्ति को किसी अन्य श्रेणी से संबंधित व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने वाला माना जा सकता है। इस प्रकार, एक कंपनी को एक मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड, या किसी अन्य निकाय के साथ मिलकर काम करने के लिए माना जा सकता है, भले ही वे सभी स्पष्ट रूप से स्वतंत्र संस्थाएं हों।

कोई भी संबंध। असंबंधित पक्षों के बीच एक सामान्य उद्देश्य की ऐसी अकाट्य धारणा अतार्किक होगी और कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी। व्यक्तियों के बीच अंतर किया जाना चाहिए।

जिनके बारे में यह माना जा सकता है कि वे सामूहिक रूप से अभिनय कर रहे हैं जब तक कि वे इसके विपरीत साबित न हो जाएं और अन्य जो सामूहिक रूप से अभिनय कर रहे हों, भले ही उनके खिलाफ ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस संदर्भ में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि यूके सिटी कोड ऑफ टेकओवर एंड मर्जर, इसी कारण से, सामूहिक रूप से काम करने वाले व्यक्तियों को विभाजित किया गया है। समूह इस तरह से कि ये व्यक्ति प्राकृतिक रूप से

व्यवहार की प्रक्रिया को केवल एक ही समूह के किसी अन्य व्यक्ति के साथ सामूहिक रूप से कार्य करने के रूप में माना जाए। इसने खंडन योग्य अनुमानों को बढ़ाने के लिए पैटर्न निर्धारित करने का काम किया।

आर. सी. एल. ओ. एम. टी. ए. एल. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

समिति ने सिफारिश की है कि

सङ्गीत समारोह में अभिनय करने वाले व्यक्तियों की परिभाषा में, व्यक्ति

एक ही समूह में इस तरह से समूहीकृत किया जाए या
श्रेणी कि वे इस तरह के संबंध रखते हैं

स्वयं के रूप में एक धारणा को बढ़ाने को उचित ठहरा सकते हैं
सामान्य प्रक्रिया जिसमें वे कार्य कर रहे हैं

संगीत कार्यक्रम। उदाहरण के लिए, एक म्यूचुअल फंड के प्रायोजक को उसी म्यूचुअल फंड की ट्रस्टी कंपनी या परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के साथ मिलकर काम करने के लिए माना जा सकता है; इसी तरह एक व्यापारी बैंकर को अधिग्रहणकर्ता के रूप में अपने ग्राहक के साथ मिलकर काम करने के लिए माना जा सकता है। लेकिन कोई अनुमान नहीं

ऐसा बनाया जा सकता है कि एक समूह के व्यक्ति दूसरे समूह के व्यक्तियों के साथ मिलकर काम कर रहे हों। यह सबूत से साबित करना होगा कि वे सामूहिक रूप से अभिनय कर रहे हैं। *(* संदर्भः प्रतिवेदन का भाग-*II*-विनियम के उप-विनियम *(1)* का उपखंड *(*ङ*)* *2) .*

सङ्गीत समारोह में अभिनय करने वाले व्यक्तियों की परिभाषा जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है। एक खंडन योग्य अनुमान का संकेत देगा। जो सवाल उठ रहा है

यह कौन तय करेगा कि क्या अनुमान का खंडन किया गया है।

निर्णय लेने की जिम्मेदारी एस. ई. बी. आई. के पास होगी और कुछ समय तक

समय आने पर इस विषय पर न्यायशास्त्र का विकास होगा।

38. 2011 के अधिग्रहण विनियमों के विनियम *2 (1) (*क्यू*)* द्वारा, सामूहिक रूप से कार्य करने वालों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

*" (क्यू) "*सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति" का अर्थ है -

(1) ऐसे व्यक्ति जो अधिग्रहण के एक सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य के साथ

किसी लक्ष्य में हिस्सेदारी या मतदान का अधिकार, या उस पर नियंत्रण का प्रयोग करना

कंपनी, एक समझौते या समझ के अनुसार, औपचारिक या

अनौपचारिक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेयरों के अधिग्रहण या लक्षित कंपनी में मतदान के अधिकार, या नियंत्रण के प्रयोग के लिए सह-संचालन। *(2)* पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों को व्यक्ति माना जाएगा।

एक ही श्रेणी के अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करना,

जब तक कि इसके विपरीत स्थापित नहीं किया जाता है,

(i) एक कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनी और उसी प्रबंधन या नियंत्रण के तहत कोई भी कंपनी; *[2018] 12* एस. सी. आर.

((ii) एक कंपनी, उसके निदेशक और कोई भी व्यक्ति जिसे यह काम सौंपा गया हो।

कंपनी का प्रबंधन*;*

*((*ग*)* इस उपखंड की मद *(i)* और *(ii)* में निर्दिष्ट कंपनियों के निदेशक और ऐसे निदेशकों के सहयोगी*;*

(v) तत्काल रिश्तेदार*;* *((vi)* एक पारस्परिक निधि, उसके प्रायोजक, न्यासी, न्यासी कंपनी और

परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी*;*

(viii) एक उद्यम पूंजी कोष और उसके प्रायोजक, न्यासी, न्यासी कंपनी और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी*;*
((viii) एक वैकल्पिक निवेश कोष और उसके प्रायोजक, न्यासी,

न्यासी कंपनी और प्रबंधक*;*

(ix) [* *]*

(x) एक व्यापारी बैंकर और उसका ग्राहक, जो एक अधिग्रहणकर्ता है*;*

(xi) एक पोर्टफोलियो प्रबंधक और उसका ग्राहक, जो एक अधिग्रहणकर्ता है*;* *(xii)* अधिग्रहणकर्ता के बैंक, वित्तीय सलाहकार और स्टॉक दलाल, या किसी भी कंपनी की जो अधिग्रहणकर्ता की एक होल्डिंग कंपनी या सहायक है, और जहां अधिग्रहणकर्ता एक व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के तत्काल रिश्तेदारः

बशर्ते कि यह उपखंड उस बैंक पर लागू नहीं होगा जिसकी एकमात्र भूमिका सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग प्रदान करने की है।

इन नियमों के तहत एक खुले प्रस्ताव के संबंध में सेवाएं या गतिविधियाँ*;*

(xiii) एक निवेश कंपनी या निधि और कोई भी व्यक्ति जिसका ऐसी निवेश कंपनी या निधि में शेयरधारक या यूनिटहोल्डर के रूप में हित है, जिसके पास निवेश कंपनी की चुकता पूंजी या निधि की इकाई पूंजी का कम से कम *10* प्रतिशत है, और कोई अन्य निवेश कंपनी या निधि जिसमें ऐसा व्यक्ति या उसका सहयोगी चुकता राशि का कम से कम *10* प्रतिशत रखता है।

उस निवेश कंपनी की पूँजी या उस निधि की इकाई पूँजीः

बशर्ते कि इस उपखंड में निहित कुछ भी बोर्ड के साथ पंजीकृत पारस्परिक निधियों की इकाइयों के धारण पर लागू नहीं होगा;
स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए "सहयोगी"

किसी व्यक्ति का अर्थ है -

((क) ऐसे व्यक्ति का कोई निकटतम रिश्तेदार;

((ख) वे न्यास जिनके ऐसे व्यक्ति या उनके निकटतम रिश्तेदार

ट्रस्टी; *(ग)*
साझेदारी फर्म जिसमें ऐसा व्यक्ति या उसका तत्काल

((घ) हिंदू अविभाजित परिवारों के सदस्य जिनमें से ऐसा व्यक्ति
एक सह-भागीदार है; "

39. उपयोग की जाने वाली व्यापक भाषा से यह देखा जाएगा कि कोई भी

समझ, भले ही यह अनौपचारिक हो, और भले ही यह किसी लक्षित कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना हो, शामिल है। खंड *(क्यू)* के उपखंड *(2)* के तहत, एक काल्पनिक कल्पना अधिनियमित की जाती है, जिसके द्वारा उल्लिखित श्रेणियों में एक धारणा उठाई जाती है कि एक व्यक्ति एक के भीतर आता है।

पर्दा को केवल फाड़ा नहीं जाता है, बल्कि विनियमन *2 (1) (क्यू) (2)* के उपखंड *(i)* से *(iv)* तक के उपखंडों द्वारा इसे विकृत कर दिया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि "निकट संबंधी" भी उपखंड *(v)*-यानी पिता और पुत्र द्वारा कवर किए जाते हैं। भाई आदि। विनियमन *2 (1) (क्यू) (2)* के स्पष्टीकरण में "सहयोगी" की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है, जिसमें न केवल तत्काल रिश्तेदार शामिल हैं, बल्कि अन्य रूप भी शामिल हैं जिनमें एक व्यक्ति को दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है-जिसमें ट्रस्ट, साझेदारी फर्म और एचयूएफ का रूप शामिल है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ भी व्यक्ति संयुक्त रूप से कार्य करते हैं

या समाधान योजना प्रस्तुत करने वाले "व्यक्ति" के साथ मिलकर, ऐसे सभी व्यक्ति धारा *29* ए के दायरे में आते हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि मार्च, *2018* की दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट, संयुक्त रूप से या सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों की व्यापक परिभाषा को निम्नानुसार कम करना चाहती थीः

" *14.3* 'संयुक्त रूप से या सामूहिक रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति' शब्द को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है और एस. ई. बी. आई. *(*शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण*)* विनियम, *2011* में प्रदान की गई परिभाषा का उपयोग करने से व्यक्ति का एक अत्यंत व्यापक सरगम शामिल होता है।
धारा *29* क के दायरे में। व्यवहार में, यह स्पष्ट नहीं है कि खंड *(*जे*)* में 'जुड़े हुए व्यक्ति' शब्द केवल *[2018] 12* एस. सी. आर. पर लागू होता है या नहीं।

अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए, अयोग्यता का विस्तार एक व्यक्तियों में दुर्बलताओं के कारण समाधान आवेदन

इस प्रावधान की व्याख्या पूल को सिकुड़ सकती है समाधान आवेदक। तदनुसार, समिति ने महसूस किया कि

शब्द, "., यदि ऐसा व्यक्ति, या कोई अन्य व्यक्ति कार्य कर रहा है संयुक्त रूप से या ऐसे व्यक्ति के साथ "की पहली पंक्ति में

धारा *29* ए को हटाया जाना चाहिए। यह स्पष्ट करेगा कि धारा *29* ए समाधान आवेदक पर लागू होती है और इसकी केवल जुड़ा हुआ व्यक्ति। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि

कोई भी जो एक सामान्य उद्देश्य के साथ कार्य करता है

प्रस्ताव आवेदक शेयर, मतदान अधिकार प्राप्त करने के लिए या

परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए निगमित देनदार का नियंत्रण आवश्यक है।

निम्नलिखित खंड को खंड *(*जे*)* के स्पष्टीकरण में संबंधित व्यक्ति की परिभाषा में खंड *(iv)* के रूप में जोड़ा जाना चाहिए, *"(iv)* कोई भी व्यक्ति जो संकल्प आवेदक के साथ, शेयरों के अधिग्रहण या मतदान का सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य

निगमित देनदार में अधिकार, या उस पर नियंत्रण का प्रयोग करना,

एक समझौते या समझ के अनुसार, औपचारिक या

अनौपचारिक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेयरों के अधिग्रहण या मतदान के अधिकार, या नियंत्रण के प्रयोग के लिए सह-संचालन

निगमित देनदार। " "

रिपोर्ट के हिस्से को विधायिका द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि कोई भी नहीं

ई ने सुझाव दिया कि कानून में बदलाव किए गए हैं।

40. टेक्नीप में एस. ए. वी. एस. एम. एस. होल्डिंग *(*प्रा.*)* लिमिटेड और ओआरएस। , *(2005)* सी *465*, यह न्यायालय भगवती समिति की रिपोर्ट को संदर्भित करने के बाद

97 , निम्नलिखित रूप में वर्णित हैः

आर. सी. एल. ओ. एम. टी. ए. एल. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

" 54. इस तरह के संगीत कार्यक्रम की स्थापना के लिए आवश्यक प्रमाण का मानक एक संभावना है और इसे स्थापित किया जा सकता है।

"यदि उनके संबंध आदि, उनके आचरण और उनके सामान्य हित को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे एक साथ काम कर रहे होंगेः वास्तविक समन्वित अभिनय का प्रमाण आम तौर पर प्राप्त करना मुश्किल होता है, और इस पर जोर नहीं दिया जाता है। ईस्ट कोस्ट कमर्शियल कंपनी लिमिटेड, *(1967) 1* एससीआर *821]*। *(* एस. सी. आर पी. *829* एच*)*

55. यह तय करते समय कि क्या कोई कंपनी ऐसी थी जिसमें जनता धारा के अर्थ के भीतर काफी रुचि रखती थी। *23* - आयकर अधिनियम, *1922* के बारे में इस न्यायालय ने कहाः

"परीक्षा यह नहीं है कि क्या उन्होंने वास्तव में एक साथ काम किया है, बल्कि यह है कि क्या परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो मानव अनुभव करती हैं।

हमें बताता है कि यह सुरक्षित रूप से लिया जा सकता है कि वे एक साथ काम कर रहे होंगे। यह बताना आवश्यक नहीं है कि इस तरह के ठोस कृत्यों को साबित करने के लिए किस तरह के सबूत हैं। प्रत्येक मामले का फैसला अनिवार्य रूप से उसके अपने तथ्यों पर किया जाना चाहिए। *[* सी. आई. टी वी. जुबली मिल्स लिमिटेड, *(1963)*

48 आईटीआर *9 (*एससी*),* पी। *20]*

56. गिनीज पी. एल. सी. एंड डिस्टिलर्स कंपनी पी. एल. सी. में *[*गिनीज पी. एल. सी. एंड डिस्टिलर्स कंपनी पी. एल. सी. *(*पी. पर *25-8-1987* और *2-9-1987* पर पैनल सुनवाई। *10052-* पैनल के निर्णयों के कारण।*)]* अधिग्रहण पैनल के सामने सवाल यह था कि क्या गिनीज ने पिपेटैक के साथ मिलकर काम किया था जब पिपेटैक ने डिस्टिलर्स कंपनी पीएलसी में शेयर खरीदे थे। विभिन्न कारकों को लिया गया था

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचार करें कि गिनीज ने डिस्टिलर्स कंपनी पर नियंत्रण पाने के लिए पिपेटैक के साथ मिलकर काम किया था। पैनल ने कहाः

"सामूहिक रूप से अभिनय करने की प्रकृति के लिए आवश्यक है कि परिभाषा को जानबूझकर व्यापक शब्दों में तैयार किया जाए। इसमें एक समझ के साथ-साथ एक समझौता, और एक अनौपचारिक के साथ-साथ एक औपचारिक व्यवस्था शामिल है, जो एक कंपनी का नियंत्रण हासिल करने के लिए शेयर खरीदने के लिए सहयोग की ओर ले जाती है। यह आवश्यक है, क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाएं अक्सर अनौपचारिक होती हैं, और समझ एक संकेत से उत्पन्न हो सकती है। समझ मौन हो सकती है, और परिभाषा उन स्थितियों को शामिल करती है जहाँ पक्ष इस आधार पर कार्य करते हैं

एक 'सिर हिलाने या पलक झपकाने' का. जब तक कि व्यक्ति इस समझौते या समझ की घोषणा नहीं करते हैं, तब तक शायद ही कभी कार्रवाई का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है।

संगीत कार्यक्रम, और पैनल को अपने अनुभव पर ध्यान देना चाहिए और

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वे किसी *[2018] 12* एस. सी. आर. में शामिल हैं।

लेन-देन में किसी न किसी प्रकार की समझ होती है और वे एक दूसरे के सहयोग से काम कर रहे होते हैं। *[* गिनीज पी. एल. सी. और डिस्टिलर्स कंपनी पी. एल. सी. *(*आई. डी. *2* और आई. डी *1* पर पैनल सुनवाई*)*

पी। *10052* पैनल के निर्णयों के कारण।*)]* " *(* जोर दिया गया*)*

41. एम/एस में। दाइची सैंक्यो कंपनी लिमिटेड बनाम। जयराम

चिगुरुपति और ओआरएस। *, (2010) 7* एस. सी. सी. *449,* इस न्यायालय ने "सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों" की अवधारणा का उल्लेख किया और कहा कि एक

एस. ई. बी. आई. नियमों के तहत एक लक्षित कंपनी के शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण के लिए साझा सामान्य उद्देश्य। एक आकस्मिक संबंध आ रहा है दुर्घटना या संयोग से अस्तित्व में आना स्पष्ट रूप से "सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों" के बराबर नहीं हो सकता है। इस न्यायालय ने कहाः

" *49.* अवधारणा के दूसरे अंग के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक निश्चित लक्षित कंपनी के शेयरों आदि के पर्याप्त अधिग्रहण के साझा सामान्य उद्देश्य और उद्देश्य के साथ एक साथ जुड़ने की आवश्यकता होती है। "संगीत समारोह में अभिनय करने वाले व्यक्ति" तब तक नहीं हो सकते जब तक कि

लक्षित कंपनी के शेयरों आदि के पर्याप्त अधिग्रहण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक साझा सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य है। क्योंकि, साझा सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य के तत्व को अस्वीकार करने के लिए "सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति" का विचार इस प्रकार है

आपराधिक अपराध करने के लिए किसी भी समझौते के बिना एक आपराधिक साजिश के रूप में अर्थहीन। "संगीत समारोह में अभिनय करने वाले व्यक्तियों" का विचार
यह दुर्घटना या संयोग से अस्तित्व में आने वाले आकस्मिक संबंध के बारे में नहीं है। यह संबंध केवल दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मन की बैठक से ही अस्तित्व में आ सकता है, जो अधिग्रहण या अधिग्रहण के साझा सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य की ओर ले जाता है।

लक्षित कंपनी के शेयरों आदि का पर्याप्त अधिग्रहण। यह एक और बात है कि सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य हो सकता है

एक समझौते या एक समझ का अनुसरण, औपचारिक या अनौपचारिक;
शेयरों आदि का अधिग्रहण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है या सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति शेयरों के वास्तविक अधिग्रहण में सहयोग कर सकते हैं।

शेयर आदि या वे ऐसे अधिग्रहण में सहयोग करने के लिए सहमत हो सकते हैं। फिर भी, साझा सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य का तत्व "सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों" के संबंध के अस्तित्व में आने के लिए अनिवार्य है। *(* जोर दिया गया*)*

प्रावधान द्वारा बनाई गई धारणा पर आते समय, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एआरसीईएलओआरएमआईटीटीएएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v* द्वारा इंगित किए गए डीमिंग प्रावधान को खंडन के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

शब्द *"*जब तक कि इसके विपरीत स्थापित न हो*"* *(*दाइची *(*ऊपर*)* के पैराग्राफ *54* को देखें*)*। अंत में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई व्यक्ति सामूहिक रूप से काम कर रहा है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। *(* दाइची *(*ऊपर*)* का पैराग्राफ *57* देखें।

42. जब हम धारा *29* ए के उपखंड *(*सी*)* पर आते हैं, तो पहली बात जिस पर तर्क दिया गया था, जिस पर पक्षकार आपस में झगड़ रहे थे, वह वह समय था जब उपखंड *(*सी*)* को कार्यशील कहा जा सकता है। श्री रोहतगी के अनुसार, मूल उपखंड *(*सी*)* में, संशोधन से पहले, समय अनिवार्य रूप से निगमित दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख होनी चाहिए।

समाधान प्रक्रिया, जैसा कि खंड द्वारा ही उल्लेख किया गया है। मेसर्स साल्वे और सिंघवी के अनुसार, यह स्पष्ट है कि चूंकि एक समाधान योजना प्रस्तुत करने की बात की जाती है, इसलिए यह ऐसी योजना प्रस्तुत करने का समय है न कि किसी पूर्ववर्ती चरण का।

43. हमारे अनुसार, यह स्पष्ट है कि धारा *29* ए के प्रारंभिक शब्द इस बात का संकेत देते हैं कि उपखंड *(*सी*)* को किस समय पर काम करना है।

धारा *29* ए के शुरुआती शब्दों में कहा गया है: कोई व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने का पात्र नहीं होगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि अयोग्यता का चरण तब जुड़ता है जब एक समाधान आवेदक द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत की जाती है। श्री रोहतगी द्वारा व्यक्त किया गया विपरीत दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि कॉर्पोरेट दिवालियापन की शुरुआत की तारीख

समाधान प्रक्रिया केवल यह गणना करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है कि क्या किसी व्यक्ति के गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष समाप्त हो गया है। इसके अलावा, उपयोग की गई अभिव्यक्ति *"*है*"* है, जैसा कि डॉ. सिंघवी ने सही तर्क दिया है, प्रेसेंटी में है। इसकी तुलना *"*किया गया है*"* अभिव्यक्ति से की जानी चाहिए, जिसका उपयोग उपखंड *(*घ*)* और *(*छ*)* में किया जाता है, जो समय के पूर्ववर्ती बिंदु को संदर्भित करता है। नतीजतन,

*"*समाधान योजना प्रस्तुत करते समय*"* शब्दों को प्रस्तुत करना *2018* का संशोधन स्पष्ट करने वाला है, क्योंकि यह हमेशा उस समय के बारे में सही व्याख्या थी जब धारा *29* ए के उपखंड *(*सी*)* में अयोग्यता संलग्न होगी। वास्तव में, यह संशोधन मार्च, *2018* की दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट के अनुसार किया गया था।

उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है:

" धारा *29* ए *(*सी*)* की प्रयोज्यता के संबंध में, समिति ने यह भी चर्चा की कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि धारा *29* ए *(*सी*)* के अनुसार अयोग्यता लागू होगी यदि ऐसे एन. पी. ए. खाते समाधान आवेदक या उससे जुड़े व्यक्तियों के पास हैं।
आर. पी. को समाधान योजना प्रस्तुत करने का समय। *"[2018] 12* एस. सी. आर.

44. उपखंड *(ग)* के तत्व यह हैं कि समाधान योजना प्रस्तुत करने की अयोग्यता तब जुड़ जाती है जब कोई व्यक्ति, जैसा कि उपखंड *(ग)* में निर्दिष्ट किया गया है।

इस उप-धारा को लागू करने के उद्देश्य से, तीन चीजों में से कोई एक, जो असंगत है, स्थापित करने की आवश्यकता है। निगमित देनदार धारा *29* ए में निर्दिष्ट व्यक्ति के प्रबंधन के अधीन हो सकता है, निगमित देनदार ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में एक व्यक्ति हो सकता है, या निगमित देनदार एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका ऐसा व्यक्ति प्रवर्तक।

45. "प्रबंधन" शब्द एक निगमित देनदार के न्यायिक प्रबंधन को संदर्भित करेगा। ए का न्यायिक प्रबंधन

निगमित देनदार आमतौर पर निदेशक मंडल में निहित होता है, और इसमें "प्रबंधक" की परिभाषाओं के अनुसार, "प्रबंधन" शामिल होता है। कंपनी अधिनियम, *2013* की धारा *2 (53), 2 (54)* और *2 (59)* में क्रमशः निदेशक और अधिकारी का उल्लेख किया गया है।

46. "नियंत्रण" शब्द को कंपनी अधिनियम, *2013* की धारा *2 (27)* में निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" (27) " नियंत्रण में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा।

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें उनकी हिस्सेदारी या हिस्सेदारी भी शामिल है।

प्रबंधन अधिकार या शेयरधारक समझौते या मतदान

समझौते या किसी अन्य तरीके से; '

47. अतः "नियंत्रण" अभिव्यक्ति को दो भागों में परिभाषित किया गया है। पहला भाग न्यायिक नियंत्रण को संदर्भित करता है, जिसमें किसी कंपनी के अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार शामिल है। दूसरा भाग वास्तविक नियंत्रण को संदर्भित करता है। जब तक कोई व्यक्ति या व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से, प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, उन्हें "नियंत्रण में" कहा जा सकता है। एक प्रबंधन निर्णय एक निर्णय है जो लिया जाना है कि कॉर्पोरेट निकाय को अपने दिन-प्रतिदिन के मामलों में कैसे चलाया जाना है। एक नीतिगत निर्णय एक ऐसा निर्णय होगा जो दिन-प्रतिदिन के मामलों, यानी दीर्घकालिक निर्णयों से परे होगा। जब तक प्रबंधन या नीतिगत निर्णय आर्केलार्मिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिए जा सकते हैं या वास्तव में लिए जा सकते हैं।

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

शेयरधारिता, प्रबंधन अधिकार, शेयरधारक समझौतों, मतदान समझौतों या अन्यथा के आधार पर नियंत्रण मौजूद कहा जा सकता है।

48. इस प्रकार, धारा *29* ए *(सी)* में "नियंत्रण" अभिव्यक्ति केवल सकारात्मक नियंत्रण को दर्शाती है, जिसका अर्थ है कि केवल विशेष को अवरुद्ध करने की शक्ति। कंपनी के संकल्पों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यहाँ "प्रबंधन" के विपरीत "नियंत्रण" का अर्थ है वास्तविक प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों का वास्तविक नियंत्रण जो वास्तव में लिए जा सकते हैं या लिए जा सकते हैं। ए.

मैसर्स सुभकम वेंचर्स *(I)* प्राइवेट लिमिटेड बनाम में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड *(2009* की अपील संख्या *8)* ने एस. ई. बी. आई. *(*शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण*)* विनियम, *1997* के तहत "नियंत्रण" के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं, जिसमें "नियंत्रण" को परिभाषित किया गया है।

विनियमन *2 (1) (*ई*)* में कंपनी अधिनियम, *2013* की धारा *2 (27)* के समान शब्दों में। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया किः

"*6. .....* नियंत्रण शब्द को अधिग्रहण संहिता के विनियमन *2 (1) (*सी*)* में परिभाषित किया गया है जिसमें "अधिकांश लोगों को नियुक्त करने का अधिकार शामिल है।

समझौते या किसी अन्य तरीके से। यह परिभाषा प्रतीत होती है कि
पृष्ठ *353* पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी *(*आठवां संस्करण*)* में दिए गए शब्द के समान जहां इस शब्द को नीचे परिभाषित किया गया हैः

"नियंत्रण-प्रबंधन को निर्देशित करने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शक्ति
और किसी व्यक्ति या संस्था की नीतियां, चाहे मतदान प्रतिभूतियों के स्वामित्व के माध्यम से, अनुबंध द्वारा, या अन्यथा; प्रबंधन, निर्देशन या देखरेख करने की शक्ति या प्राधिकरण।

परिभाषा के अनुसार, नियंत्रण एक सक्रिय शक्ति है न कि प्रतिक्रियाशील शक्ति। यह एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा एक अधिग्रहणकर्ता आदेश दे सकता है

लक्ष्य कंपनी को वह करने के लिए जो वह करना चाहता है। नियंत्रण का वास्तव में अर्थ है *[2018] 12* एस. सी. आर.

पहल करके स्थिति का निर्माण या नियंत्रण करना। जिस शक्ति के द्वारा एक अधिग्रहणकर्ता केवल एक कंपनी को वह करने से रोक सकता है जो बाद वाला करना चाहता है, वह अपने आप में नियंत्रण नहीं है। उस स्थिति में, अधिग्रहणकर्ता पहल करने के बजाय केवल प्रतिक्रिया दे रहा है। यह एक सकारात्मक शक्ति है न कि एक नकारात्मक शक्ति। बोर्ड द्वारा प्रबंधित कंपनी में, यह निदेशक मंडल होता है जो नियंत्रण में होता है। यदि किसी अधिग्रहणकर्ता के पास अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति है, तो यह स्पष्ट है।

कि वह कंपनी के नियंत्रण में होगा लेकिन केवल यही नहीं है

नियंत्रण में रहने का तरीका। यदि एक अधिग्रहणकर्ता को नियंत्रित करना था
किसी कंपनी के प्रबंधन या नीतिगत निर्णय, जिसमें वह होगा

नियंत्रण करें। यह उसकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों के आधार पर या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों के कारण या किसी अन्य तरीके से हो सकता है। परीक्षण वास्तव में यह है कि अधिग्रहणकर्ता ड्राइविंग सीट पर है या नहीं। रूपक को आगे बढ़ाने के लिए, सवाल यह होगा कि क्या वह संचालन, त्वरक, गियर और ब्रेक को नियंत्रित करता है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, तो केवल वही

कंपनी के नियंत्रण में होगा। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक मामले में पूछा जाने वाला प्रश्न यह होगा कि क्या अधिग्रहणकर्ता कंपनी के पीछे की प्रेरक शक्ति है और क्या वह संगठन को प्रस्ताव प्रदान करने वाला है। यदि हाँ, तो वह नियंत्रण में है लेकिन अन्यथा नहीं। संक्षेप में

नियंत्रण का अर्थ है प्रभावी नियंत्रण।

49. हम सोचते हैं कि ये अवलोकन उपयुक्त हैं, और इन पर लागू होते हैं

50. धारा *29* ए *(*सी*)* "ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन या नियंत्रण में" एक निगमित देनदार की बात करती है। अभिव्यक्ति "नीचे" केवल नकारात्मक या प्रतिक्रियाशील नियंत्रण के विपरीत, यह सकारात्मक या सक्रिय नियंत्रण का सुझाव देता प्रतीत होता है। यह तब और भी स्पष्ट हो जाता है जब

"प्रबंधन या नियंत्रण ", दोनों शब्द एक दूसरे से रंग लेते हैं, जिस स्थिति में समाज का सिद्धांत भी माना जाना चाहिए

आवेदन करें। इस प्रकार देखा जाए तो उपखंड *(*ग*)* और *(*छ*)* में जिसका उल्लेख किया गया है, वह न्यायिक या वास्तविक रूप से सक्रिय या सकारात्मक नियंत्रण है, न कि केवल नकारात्मक क्षेत्रीय भारत निजी सीमित।

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

नियंत्रण जो कंपनी अधिनियम की धारा *2 (27)* में निहित "नियंत्रण" शब्द की परिभाषा के विस्तृत अध्ययन से प्रवाहित हो सकता है,

2013 , जो समावेशी है और प्रकृति में संपूर्ण नहीं है।

51. हममें से एक *(*नरीमन, जे.*)* द्वारा हाल ही में दिए गए एक फैसले में चिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम। प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

भारत, *(2018) 7* एस. सी. सी. *443*, इस न्यायालय ने एस. ई. बी. आई. विनियमों में "नियंत्रण" की परिभाषा का उल्लेख करने के बाद, इस तथ्य पर निर्णय दिया कि एक कार्यकारी निदेशक, एक निश्चित मासिक वेतन पर, इस्तीफे के बाद, एस. ई. बी. आई. विनियमों के अर्थ के भीतर "नियंत्रण" का प्रयोग करने वाला व्यक्ति नहीं माना जा सकता है। इस न्यायालय ने अनुमोदन के साथ निम्नलिखित परीक्षण का उल्लेख किया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम। किशोर आर. अजमेरा, *(2016) 6* एससीसी *368:*

"*26.* यह कानून का एक मौलिक सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप का प्रमाण प्रत्यक्ष आधार के रूप में हो सकता है।

साक्ष्य या, कई मामलों की तरह, इस तरह के प्रमाण का अनुमान लगाए गए और लगाए गए आरोपों के आसपास उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता से तर्क की एक तार्किक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। जबकि प्रत्यक्ष साक्ष्य किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक अधिक निश्चित आधार है, फिर भी, इसके अभाव में न्यायालय असहाय नहीं हो सकते हैं। यह न्यायिक कर्तव्य है कि तत्काल और

उन घटनाओं के आसपास के निकट तथ्य और परिस्थितियाँ जिन पर आरोप/आरोप लगाए गए हैं और उन तक पहुँचने के लिए जो न्यायालय को एक उचित निष्कर्ष प्रतीत होगा। द.

परीक्षण हमेशा यह होगा कि कौन सी अनुमानित प्रक्रिया है

विवेकपूर्ण/विवेकपूर्ण व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए गोद लेगा।

(जोर दिया गया*)*

52. तीसरी अवधारणा एक प्रवर्तक की है। कंपनी अधिनियम, *2013* की धारा *2 (69)* द्वारा प्रवर्तक को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" (69) " प्रवर्तक "का अर्थ है एक व्यक्ति

((ख) जिसका कंपनी के मामलों पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण है, या
अप्रत्यक्ष रूप से चाहे वह शेयरधारक, निदेशक या अन्यथा हो; या

(ग) जिसकी सलाह, निर्देश या निर्देशों के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल कार्य करने का आदी हैः

बशर्ते कि उपखंड *(ग)* में कुछ भी किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा।
जो केवल एक पेशेवर क्षमता में कार्य कर रहा है; "

53. यहाँ फिर से, उपखंड *(ए)* एक न्यायिक स्थिति को संदर्भित करता है, अर्थात्,

जिस तरह से, उसे ऐसी कंपनी का प्रवर्तक कहा जा सकता है। उपखंड *(ग)* के तहत, ऐसे व्यक्ति को किसी कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति हो सकता है जो वास्तव में बोर्ड को कार्य करने की सलाह देता है, निर्देश देता है या निर्देश देता है। प्रावधान के तहत, केवल एक व्यक्ति जो एक में कार्य करता है उपखंड *(ग)* में व्यावसायिक क्षमता को शामिल नहीं किया गया है।

54. धारा *29* ए *(सी)* की व्याख्या अब स्पष्ट हो जाती है। किसी भी

व्यक्ति जो समाधान योजना प्रस्तुत करना चाहता है, यदि वह संयुक्त रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर ऐसा करता है, तो कौन सा व्यक्ति या अन्य व्यक्ति

निगमित देनदार, जिसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जिसके ऋणों का भुगतान निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने से पहले कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए नहीं किया गया है, का प्रबंधन या नियंत्रण या प्रवर्तक होना, जमा करने के लिए अयोग्य हो जाता है।

एक समाधान योजना। इसलिए यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि यदि कोई व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करना चाहता है, और यदि ऐसा व्यक्ति या कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है

संयुक्त रूप से या ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर कोई भी व्यक्ति, एक निगमित देनदार का प्रबंधन, नियंत्रण या प्रवर्तक होता है जिसे एक

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने से एक साल पहले गैर-निष्पादित परिसंपत्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य है। पहला प्रावधान उपखंड *(ग)* में यह स्पष्ट किया गया है कि अयोग्यता को केवल तभी हटाया जा सकता है जब समाधान योजना प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले उस पर ब्याज और गैर-निष्पादित संपत्ति से संबंधित शुल्कों के साथ सभी अतिदेय राशियों का भुगतान करता है। इस प्रकार कानून की स्थिति स्पष्ट है। कोई भी व्यक्ति जो संयुक्त रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर समाधान योजना प्रस्तुत करना चाहता है, जिनमें से कोई भी उपरोक्त अवधि में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कॉर्पोरेट देनदार का प्रबंधन, नियंत्रण या प्रवर्तक हो सकता है, उसे पहले यह करना होगा कि

भुगतान करें

गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत उक्त निगमित देनदार का ऋण

धारा *29* ए *(सी)* के तहत पात्र बनने के लिए परिसंपत्ति।

55. हालांकि, मेसर्स साल्वे और सिंघवी ने तर्क दिया है कि

आर्केलार्मिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v* में निहित अभिव्यक्ति "समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले"।

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

परंतुक को व्यावसायिक रूप से समझदारी से पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए, इस प्रावधान की व्याख्या इसे व्यवहार्य बनाने और ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए की जानी चाहिए ताकि बैंक आम तौर पर एन. पी. ए. से अधिकतम संभव राशि की वसूली कर सकें, न कि केवल उस निगमित ऋणदाता के एन. पी. ए. से जिसके संबंध में वह समाधान योजना प्राप्त कर रहा है। इस संदर्भ में, इसलिए, यदि कोई ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति अपनी समाधान योजना के एक भाग के रूप में एन. पी. ए. की पूरी राशि का भुगतान कर सकता है, जिसे समाधान योजना को स्वीकार करने और लागू करने से पहले विनियोजित किया जाना है, तो यह आम तौर पर पर परंतुक और क़ानून दोनों के उद्देश्य को पूरी तरह से पूरा करेगा। उनके अनुसार, किसी कानून के शब्दों को कठिनाई या बेतुकेपन से बचने के लिए उपयुक्त रूप से बदला जा सकता है। हमें डर है कि हम उपरोक्त निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकते। परंतुक की सरल भाषा यह स्पष्ट करती है कि अयोग्यता को केवल तभी हटाया जा सकता है जब समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले आवश्यक भुगतान किया जाए। इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि, व्यावसायिक रूप से, कोई भी व्यक्ति कभी भी एक सट्टा बोली नहीं लगाएगा, जिसमें वह किसी अन्य संबंधित निगमित देनदार के ऋण का भुगतान करेगा, जिसे एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यह सुनिश्चित किए बिना कि उसकी समाधान योजना स्वीकार की जाएगी, क्योंकि यह समाधान आवेदकों के पूल को शून्य तक सीमित कर देगा, और इसलिए धारा *29* ए *(सी)* के परंतुक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को कम कर देगा। सबसे पहले, यह स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो समाधान योजनाएँ प्रस्तुत कर सकते हैं, या तो स्वयं या सामूहिक रूप से, या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से जिनके पास ऋण नहीं हैं जिन्हें एन. पी. ए. के रूप में घोषित किया जाता है। इसके अलावा, यह कहना बहुत मुश्किल है कि नहीं परिस्थिति चाहे जो भी हो, समाधान योजना प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के एन. पी. ए. बकाया का भुगतान करेगा, जिसके साथ वह सामूहिक रूप से या संयुक्त रूप से काम कर रहा है। देय राशि ऐसी हो सकती है कि यह उस व्यक्ति के समय के लायक हो सकता है, उन व्यक्तियों के साथ जिनके साथ वह संगीत कार्यक्रम में काम कर रहा है या

संयुक्त रूप से, पहले संबंधित निगमित देनदार के बकाया का भुगतान करना, जिसके खाते को एन. पी. ए. घोषित किया गया है, क्योंकि ऐसा बकाया नगण्य हो सकता है।

व्याख्या भी उस उद्देश्य के अनुरूप है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है, अर्थात्, अन्य कॉर्पोरेट देनदार जिन्हें एन. पी. ए. के रूप में घोषित किया जाता है, जिनके ऋण कभी भी पूरी तरह से मंजूरी नहीं दी जा सकती है, संहिता के तहत एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती के रूप में मंजूरी दी जानी चाहिए। इसलिए, कानून को "व्यवहार्य" बनाने के लिए, जैसा कि मेसर्स *[2018] 12* एस. सी. आर. द्वारा सुझाव दिया गया है।

साल्वे और सिंघवी, हम परंतुक की सरल भाषा की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं और उन शब्दों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं जिनका विपरीत प्रभाव होगा।

56. चूँकि धारा *29* ए *(सी)* एक व्यापक प्रावधान है, इसलिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति निगमित देनदार के प्रभारी हैं, जिनके लिए ऐसी समाधान योजना बनाई गई है, वे पहले अपने ऋणों का भुगतान किए बिना कंपनी पर नियंत्रण हासिल करने के लिए किसी अन्य रूप में वापस न आएं। संहिता ने ऐसे व्यक्तियों को दो समूहों में विभाजित किया है, जैसे - धारा *29* ए के उपखंड *(सी)* और *(जी)* के अवलोकन से पता चलता है। यदि कोई व्यक्ति किसी निगम के प्रवर्तक, या प्रबंधन, या नियंत्रण में रहा है।

जो उपखंड *(जी)* के उल्लंघन में नहीं पड़ते हैं, जो धारा *29* ए के उपखंड *(सी)* के तहत समाधान योजना प्रस्तुत करने के पात्र हैं, यदि वे व्यक्ति हैं जो पूर्व में निगमित देनदार के प्रबंधन या नियंत्रण में थे।

57. सक्षम प्राधिकारी के लिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति,

जो अन्यथा अपात्र हैं और उपखंड *(ग)* से प्रभावित हैं, वे अन्य तरीकों से उपखंड *(ग)* के परंतुक से बाहर नहीं निकलते हैं, ताकि परंतुक के परिणामों से बचा जा सके। इस उद्देश्य के लिए, इस तथ्य के बावजूद कि

उपखंड *(ग)* के तहत अयोग्यता को संलग्न करने के लिए प्रासंगिक समय समाधान योजना प्रस्तुत करने का समय है, इस समय के यथोचित निकट पूर्ववर्ती तथ्यों को हमेशा देखा जा सकता है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या धारा *29* क में निर्दिष्ट व्यक्ति, वास्तव में, समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले उपखंड *(ग)* के परन्तुक के परिणामों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यदि तथ्यों के आधार पर यह दिखाया जाता है कि समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले उचित रूप से निकट समय पर धारा *29* ए में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामलों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है, ताकि संबंधित गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के ऋणों का भुगतान करने से बचा जा सके, जैसे कि

समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य माना जाना चाहिए, या अन्यथा धारा *29* ए की उप-धारा *(सी)* के पहले परंतुक के उद्देश्य के साथ-साथ सार्वजनिक हित में उक्त उपखंड द्वारा प्राप्त किए जाने वाले बड़े उद्देश्य दोनों को विफल कर दिया जाएगा।

58. जब हम उपखंड *(च)* पर आते हैं, तो यह स्पष्ट है कि, यदि कोई

धारा *29* ए में उल्लिखित व्यक्तियों को आरसीईएलओआरएमआईटीटीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v* से प्रतिबंधित किया गया है।

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

प्रतिभूतियों में या प्रतिभूति बाजार तक पहुँच-फिर से, समाधान योजना प्रस्तुत करने वाला अयोग्य व्यक्ति संलग्न करता है। उपखंड के तहत

विदेश में स्थित व्यक्ति किसी भी विकलांगता के अधीन है जो खंड *(च)* के अनुरूप है, ऐसा व्यक्ति भी बाधित हो जाता है। ई. वी. मथाई बनाम

न्यायाधीश, कोट्टायम और अन्य। *, (1969) 2* एससीसी *194,* द

ssion "के अनुरूप" को निम्नानुसार समझाया गया थाः

" श्री दाफ्तारी ने तर्क दिया कि धारा *4* लागू नहीं थी क्योंकि *1965* के अधिनियम की धारा *34 (1)* से एक अलग इरादा सामने आया था। हम खुद को इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ पाते हैं। धारा *34 (1)* के प्रावधान में कहा गया है कि एक कानूनी कार्यवाही जो *1959* के निरस्त अधिनियम के तहत शुरू की जा सकती थी, जारी रखी जा सकती थी या लागू की जा सकती थी, नए अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत शुरू की जा सकती है। श्री डाफ्टरी ने इसे पूरा करने की कोशिश की

यह आग्रह करते हुए कि *1959* के अधिनियम की धारा *11 (4)* में कोई संबंधित प्रावधान नहीं है। *1959* की धारा *11* की उप-धारा *(1)* अधिनियम में कहा गया हैः

" किसी अन्य कानून या अनुबंध में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, एक किरायेदार को बेदखल नहीं किया जाएगा, चाहे वह डिक्री के निष्पादन में हो या अन्यथा, सिवाय इसके कि -
इस अधिनियम के प्रावधानः

प्रदान किया गया "।

धारा *11* की उप-धारा *(4) (i)* ने हालांकि मकान मालिक को बेदखली के लिए आवेदन करने और उसे अंदर रखने का निर्देश देने वाले आदेश का अधिकार दिया। भवन का स्वामित्वः

" यदि किरायेदार ने मकान मालिक की सहमति के बिना पट्टे या उप के तहत अपना अधिकार हस्तांतरित कर दिया है-तो पूरे भवन या किसी अन्य इमारत को किराए पर दें।

यदि पट्टा उसे ऐसा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, या मकान मालिक ने ऐसे उप-किराए पर देने के लिए सहमति नहीं दी है;

हम खुद को श्री डैफ्टरी के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ पाते हैं कि

1959 के अधिनियम की धारा *11* का उपरोक्त उद्धृत प्रावधान *1965* के अधिनियम की धारा *34* की उप-धारा *(1)* के परंतुक के अर्थ के भीतर "एक संगत प्रावधान" नहीं था। पत्राचार का अर्थ है "अनुरूप होना या समान होना, अनुरूप होना"। इसका अर्थ "समान होना" नहीं है और इसलिए *1965* के अधिनियम की धारा *34 (1)* के प्रासंगिक प्रावधानों को एक प्रावधान माना जाना चाहिए।

1959 के अधिनियम की धारा *11 (4)* के अनुरूप. *"[2018] 12* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

59. इसके आलोक में, यह स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति को एक द्वारा निषिद्ध किया गया है

किसी विदेशी देश में प्रतिभूति बाजार का प्रतिभूतियों में व्यापार करने या प्रतिभूति बाजार तक पहुँच से नियामक, उपखंड *(i)* के तहत अक्षमता तब संलग्न करेगा।

60. जब हम उपखंड *(*जे*)* पर आते हैं, तो एक "जुड़े हुए व्यक्ति" को परिभाषित किया जाता है जिसका अर्थ है तीन श्रेणियों में उल्लिखित व्यक्ति।

इसमें तीन उपखंड हैं। स्पष्टीकरण *1* का पहला उपखंड फिर से हमें समाधान आवेदक की "प्रवर्तक", "प्रबंधन" और "नियंत्रण" की उन्हीं तीन परिभाषाओं पर वापस ले जाता है। उपखंड *(ii)* के तहत, फिर से, ए

"संबंधित व्यक्ति "एक ऐसा व्यक्ति है जो कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय के प्रवर्तक, या प्रबंधन या नियंत्रण में है। समाधान योजना का कार्यान्वयन। और उपखंड *(iii)* के तहत, धारक कंपनियों, सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों को परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम, *2013* के तहत, या खंड *(1)* और *(2)* में संदर्भित व्यक्तियों के संबंधित पक्ष भी जुड़े हुए व्यक्ति बन जाते हैं।

1 1 2018 के दिवाला और दिवालियापन संहिता *(*दूसरा संशोधन*)* अधिनियम द्वारा "संबंधित पक्ष" की नई परिभाषा को *6.6.2018* से संहिता की धारा *5 (24-A)* के रूप में निम्नानुसार जोड़ा गया है: "*(24-*क*)* किसी व्यक्ति के संबंध में "संबंधित पक्ष" का अर्थ है *(*क*)* एक व्यक्ति जो व्यक्ति का रिश्तेदार है या व्यक्ति के जीवनसाथी का रिश्तेदार है*;*

*(*बी*)* एक सीमित देयता साझेदारी, या एक सीमित देयता साझेदारी या एक साझेदारी फर्म का भागीदार, जिसमें व्यक्ति एक भागीदार है*;*

*(*ग*)* एक व्यक्ति जो एक ऐसे न्यास का न्यासी है जिसमें न्यास के लाभार्थी में व्यक्ति शामिल है, या न्यास की शर्तें न्यासी को एक शक्ति प्रदान करती हैं जिसका उपयोग व्यक्ति के लाभ के लिए किया जा सकता है*;*

*(*घ*)* एक निजी कंपनी जिसमें व्यक्ति निदेशक है और अपने रिश्तेदारों के साथ दो प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखता है। अपनी शेयर पूंजी से*;*

(ङ) एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें व्यक्ति निदेशक है और रिश्तेदारों के साथ दो प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखता है। इसकी चुकता शेयर पूंजी का;

(च) एक निगमित निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, व्यक्ति की सलाह, निर्देश या निर्देशों पर कार्य करता है; *(छ)* एक सीमित देयता साझेदारी या एक साझेदारी फर्म जिसके भागीदार या कर्मचारी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, व्यक्ति की सलाह, निर्देशों या निर्देशों पर कार्य करते हैं;

(ज) एक व्यक्ति जिसकी सलाह, निर्देश या निर्देशों पर व्यक्ति कार्य करने का आदी है; *(i)* एक ऐसी कंपनी, जिसमें व्यक्ति या व्यक्ति अपने संबंधित पक्ष के साथ पचास प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। कंपनी की शेयर पूंजी या कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति को नियंत्रित करता है।

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, *(ए)* किसी व्यक्ति के संदर्भ में "रिश्तेदार" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित तरीके से दूसरे से संबंधित है, अर्थात्:

पुरातात्विक भारत निजी लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

61. अब हम समान रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं कि दिवालिया प्रक्रिया को किस समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना है। *62.* पिछला कानून, अर्थात् बीमार औद्योगिक कंपनी *(*विशेष प्रावधान*)* अधिनियम, *1985* और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, *1993*, जिसमें बीमार कंपनियों के पुनर्वास और उनके द्वारा लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान का प्रावधान किया गया था, पूरी तरह से विफल पाए गए। मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड और ए. एन. आर. में हमारे फैसले में इस पर ध्यान दिया गया था। वी. औद्योगिक और औद्योगिक बोर्ड

वित्तीय पुनर्निर्माण और अन्य। , *(2016) 4* एससीसी *1:*

"*40.* प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के अधिनियमन के बाद संसद ने जो दिशा अपनाई है, उसका एक दिलचस्प संकेत वित्तीय परिसंपत्तियाँ और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, *2002* भी इस संदर्भ में कुछ प्रासंगिकता रखता है। दिवाला और कंपनियों को बंद करने से संबंधित इराडी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि *1987* से *2000* तक बी. आई. एफ. आर. को भेजे गए *3068* मामलों में से *1062* मामलों को छोड़कर सभी का निपटारा कर दिया गया है। निपटाए गए मामलों में से *264* मामलों को फिर से शुरू किया गया, *375* मामलों को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया के लिए बातचीत चल रही थी, *741* मामलों को बंद करने की सिफारिश की गई थी और *626* मामलों को विचार योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था। ये तथ्य और आंकड़े खुद के लिए बोलते हैं और एक बड़ी बात रखते हैं।

((i) हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य, *(ii)* पति,

*((*ग*)* पत्नी,

((iv) पिता,

((v) माँ,

(vi) बेटा,

(vii) बेटी,

((viii) पुत्र की पुत्री और पुत्र,

(xviii) पिता का भाई और बहन, *(xix)* माता का भाई और बहन, और *(ख)* जहां कहीं भी बेटे, बेटी, बहन या भाई का संबंध है, उनके जीवनसाथी को भी शामिल किया जाएगा; *"[2018] 12* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बीमार औद्योगिक कंपनी *(*विशेष प्रावधान*)* अधिनियम, *1985* की उपयोगिता पर प्रश्न चिह्न। समिति ने आगे बताया कि बीमार औद्योगिक कंपनियों की प्रभावशीलता *(*विशेष

प्रावधान*)* अधिनियम, *1985*, जैसा कि पहले बताया गया है, बी. आई. एफ. आर. द्वारा मामलों के निपटारे में भारी देरी के कारण गंभीर रूप से कमजोर हो गया है। *(* रिपोर्ट के पैरा *5.8,5.9* और *5.15* देखें।*)* नतीजतन, समिति ने सिफारिश की कि बीमार औद्योगिक कंपनी *(*विशेष प्रावधान*)* अधिनियम, *1985* को निरस्त किया जाना चाहिए और इसके तहत पुनरुद्धार और पुनर्वास के प्रावधानों को कंपनी अधिनियम, *1956* की संरचना में ही शामिल किया जाना चाहिए।

42. यह संशोधन अधिनियम चुनौती के दायरे में आया, जिसे चुनौती भारत संघ बनाम में संविधान पीठ के फैसले में समाप्त हुई। आर, गांधी, अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिएशन, *(2010) 11* एस. सी. सी. *10* जिसके द्वारा कुछ परिवर्तनों के साथ संशोधनों को बरकरार रखा गया था। इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अनुशंसित।

43. कंपनी अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद बीमार औद्योगिक कंपनी *(*विशेष प्रावधान*)* निरसन अधिनियम, *2003* आया। यह विशेष अधिनियम बीमार औद्योगिक कंपनी *(*विशेष प्रावधान*)* अधिनियम, *1985* को निरस्त करने के लिए था। इसके कुछ प्रावधानों को कंपनी अधिनियम में शामिल किया गया है। इस प्रकार, कंपनी संशोधन अधिनियम, *2002* और एस. आई. सी. ए. निरसन अधिनियम एक विधायी योजना का हिस्सा बने और दोनों में से किसी को भी अभी तक लागू नहीं किया गया है।

वास्तव में, यहां तक कि आरसीईएलओआरएमआईटीटीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी। सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

अधिनियम, *2013*, जो कंपनी अधिनियम, *1956* को निरस्त करता है, में अध्याय *19* शामिल है जिसमें धारा *253* से *269* शामिल हैं जो पुनरुद्धार से संबंधित हैं।

2013 के अधिनियम में बीमार औद्योगिक कंपनी *(*विशेष प्रावधान*)* अधिनियम, *1985*। हालाँकि, यह अध्याय भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। ये वैधानिक प्रावधान, हालांकि अभी तक लागू नहीं किए गए हैं, इस तथ्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत हैं कि बीमार औद्योगिक कंपनी *(*विशेष प्रावधान*)* अधिनियम, *1985* की

धारा *22 (1)* को वैधानिक रूप से बाहर करने की मांग की गई है, संसद बीमार औद्योगिक कंपनियों को बचाने और उनका पुनर्वास करने से बच रही है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय सार्वजनिक धन की वसूली में निहित सार्वजनिक हित को विश्वास दिलाना। इन प्रावधानों से यह भी पता चलता है कि उपरोक्त निर्माण

वित्तीय प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के प्रावधान

परिसंपत्तियाँ और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, *2002* बनाम बीमार औद्योगिक कंपनियाँ *(*विशेष प्रावधान*)* अधिनियम, *1985*, बीमार औद्योगिक कंपनियों के पुनर्जीवित या पुनर्वास पर अदालत की प्रक्रिया के बाहर लेनदारों को अपने ऋण का भुगतान करने में सक्षम होने के पक्ष में झुकता है। वास्तव में, एक अन्य दिलचस्प दस्तावेज बैंकिंग विनियमन की धारा *36 (2)* के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्तुत किए गए वर्ष के लिए भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति पर रिपोर्ट है। अधिनियम, *1949*। तालिका *IV.14* में रिपोर्ट संबंधित आंकड़े प्रदान करती है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में रुझान बैंक-वार, समूह-वार। उक्त तालिका के अनुसार, वर्ष *2011-2012* के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का प्रारंभिक शेष *746* अरब रुपये था, लेकिन *2011-2012* के लिए समापन शेष राशि केवल *1172* अरब रुपये थी। प्रतिभूतिकरण के माध्यम से वसूल की गई कुल राशि और

वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, *2002* के प्रवर्तन ने पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की, लेकिन फिर भी, उक्त अधिनियम के तहत बरामद की गई राशि कुल बरामद राशि का *70* प्रतिशत थी। बैंकों को देय ऋणों की वसूली के तहत वसूल की गई राशि

और वित्तीय संस्थान अधिनियम, *1993* का गठन केवल *28* प्रतिशत था। यह सब दर्शाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जो राशि वसूलनी है, वह चौंका देने वाले आंकड़ों में है और

आखिरकार कम से कम एक वैधानिक उपाय *[2018] 12* एस. सी. आर. का साबित हुआ है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कुछ प्रभावकारिता। इस न्यायालय को ऐसी व्याख्या देने से घृणा होगी जो इसके तहत वसूली प्रक्रिया को विफल कर दे।

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिभूति हित अधिनियम, *2002* के प्रवर्तन ने कम से कम कुछ हद तक काम किया है। *(* जोर दिया गया*)*

63. इन दोनों अधिनियमों के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूतियों का प्रवर्तन किया गया।

ब्याज अधिनियम, *2002*। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उक्त अधिनियम के तहत वसूल की गई राशि में पिछले दो की तुलना में सुधार दर्ज किया गया है।

अधिनियम, लेकिन यह अभी तक अपर्याप्त पाया गया था।

64. संहिता को बहुत विचार-विमर्श के बाद और विभिन्न समिति रिपोर्टों के अनुसार पारित किया गया था, जैसा कि अभिनव उद्योगों में आयोजित किया गया है।

लिमिटेड वी. आईसीआईसीआई बैंक और ए. एन. आर. *(2018) 1* पैराग्राफ *12* पर एस. सी. सी. *407*। उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जो उक्त पैराग्राफ में पुनः प्रस्तुत किया गया है, यह स्पष्ट करता है कि दिवाला और दिवालियापन के लिए मौजूदा ढांचा न केवल अपर्याप्त और अप्रभावी था, बल्कि इसके परिणामस्वरूप समाधान में अनुचित देरी हुई। अतः संहिता के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक ऐसे मामलों को समयबद्ध तरीके से हल करना है। इससे न केवल ऋण बाजारों के विकास में सहायता मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा

उद्यमिता, लेकिन व्यापार करने में आसानी में भी सुधार करेगी और अधिक निवेश की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे उच्च आर्थिक विकास और विकास होगा।

65. उक्त निर्णय के पैराग्राफ *16* में दिवालियापन कानून सुधार समिति की नवंबर, *2015* की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है और गति को इस प्रकार संदर्भित किया गया हैः

"गति महत्वपूर्ण है।

दिवालियापन संहिता के काम करने के लिए गति दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, जबकि "शांत अवधि" एक संगठन को चालू रखने में मदद कर सकती है, स्वामित्व और नियंत्रण की पूरी स्पष्टता के बिना, महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। प्रभावी नेतृत्व के बिना, फर्म क्षीण हो जाएगी और विफल हो जाएगी। देरी जितनी लंबी होगी, उतनी ही अधिक संभावना है कि परिसमापन ही एकमात्र जवाब होगा। दूसरा, परिसमापन मूल्य समय के साथ उतनी ही परिसंपत्तियों के रूप में कम होता जाता है

मूल्यह्रास की उच्च आर्थिक दर से पीड़ित हैं।

लेनदारों के दृष्टिकोण से, एक अच्छी प्राप्ति आम तौर पर प्राप्त की जा सकती है यदि फर्म को एक चालू संस्था के रूप में बेचा जाता है।

इसलिए, जब आरसीईएलओआरएमआईटीईएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

विलम्ब परिसमापन को प्रेरित करता है, मूल्य विनाश होता है। इसके अलावा, परिसमापन में भी, देरी होने पर प्राप्ति कम होती है। अतः विलम्ब मूल्य विनाश का कारण बनता है। इस प्रकार, एक उच्च वसूली दर प्राप्त करना मुख्य रूप से स्रोतों की पहचान करने और उनका मुकाबला करने के बारे में है।

देरी "।

66. समिति ने तब कुछ सिद्धांतों को चुना जिनके भीतर दिवाला और दिवालियापन संहिता काम करेगी। उनमें से एक यह है कि

यह एक समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा, जिसे बढ़ाया नहीं जाएगा, ताकि परिसंपत्ति के आर्थिक मूल्य को संरक्षित किया जा सके *(*अभिनव उद्योगों *(*ऊपर*)* के पृष्ठ *427* पर सिद्धांत संख्या *8* यू. टी. देखें*)*।

67. संहिता की योजना निर्धारित करने के बाद, इस न्यायालय ने आगे कहा

पकड़ने के लिए:

"31. बाकी दिवालिया समाधान प्रक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। पूरी प्रक्रिया को धारा *12* के तहत आवेदन के प्रवेश की तारीख से *180* दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है और इसे केवल *180* दिनों से आगे *90* दिनों से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है यदि लेनदारों की समिति *75* प्रतिशत मतदान शेयरों के मतदान द्वारा ऐसा निर्णय लेती है। यह देखा जा सकता है कि समय यह देखने में महत्वपूर्ण है कि क्या कॉर्पोरेट निकाय हो सकता है

अपने पैरों पर वापस खड़े हो जाएँ, ताकि परिसमापन को रोका जा सके।

XXX XXX XXX

33. धारा *30* के तहत, कोई भी व्यक्ति जो निगमित निकाय को अपने पैरों पर खड़ा करने में रुचि रखता है, वह समाधान पेशेवर को एक समाधान योजना प्रस्तुत कर सकता है, जो एक सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार की जाती है। इस योजना में भुगतान के लिए प्रावधान होना चाहिए

दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत, योजना की मंजूरी के बाद निगमित देनदार के मामलों का प्रबंधन, और योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण। यह तभी होता है जब ऐसी योजना को वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम *75* प्रतिशत के मत से अनुमोदित किया जाता है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का समाधान होता है कि अनुमोदित योजना, धारा *30* में उल्लिखित वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो वह अंततः ऐसी योजना को मंजूरी देता है, जो तब निगमित देनदार के साथ-साथ उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, गारंटरों और अन्य हितधारकों के लिए बाध्यकारी होती है। महत्वपूर्ण रूप से, और यह इस विषय पर पिछले कानून से एक बड़ा विचलन है, जिस क्षण न्यायनिर्णायक प्राधिकरण समाधान योजना को मंजूरी देता है, प्राधिकरण द्वारा धारा *14 [2018] 12* एस. सी. आर. के तहत पारित स्थगन आदेश।

प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा। संहिता की योजना, इसलिए, अपने पूर्व प्रबंधन की शक्तियों को विभाजित करके और इसे एक पेशेवर एजेंसी को सौंपकर, इसे जारी रखने का प्रयास करना है।

निगमित निकाय का व्यवसाय एक चालू संस्था के रूप में तब तक चलता रहता है जब तक कि एक समाधान योजना तैयार नहीं की जाती है, जिस स्थिति में प्रबंधन को योजना के तहत सौंप दिया जाता है ताकि निगमित निकाय अपने ऋणों का भुगतान करने और अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम हो। यह सब *6* महीने की अवधि के भीतर और *90* दिनों के अधिकतम विस्तार के साथ किया जाना है अन्यथा हेलीकॉप्टर नीचे आ जाता है और परिसमापन प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

68. यह इस पृष्ठभूमि में है कि हमें ओ. डी. ई. के प्रावधानों पर विचार करना चाहिए, जहां तक संहिता की आवश्यकता है कि या तो निगमित देनदार किसी अन्य प्रबंधन द्वारा नियंत्रित किया जाए और एक चालू संस्था के रूप में चलाया जाए या, यदि बीमार है, तो परिसमापन में चला जाए। जहां तक इस मामले का संबंध है, इसके कुछ प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

"5. (12) "दिवाला शुरू होने की तारीख का अर्थ है निगमित दिवाला शुरू करने के लिए आवेदन स्वीकार करने की तारीख।

धाराओं के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान प्रक्रिया

7,9 या धारा *10*, जैसा भी मामला हो सकता है:

XXX XXX XXX (14) "दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि का अर्थ है एक सौ अस्सी दिनों की अवधि जो दिवाला शुरू होने की तारीख से शुरू होती है और एक सौ अस्सी तारीख को समाप्त होती है।

दिन;

(25) "समाधान आवेदक का अर्थ है एक व्यक्ति, जो व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से, धारा *25* की उप-धारा *(2)* के खंड *(*एच*)* के तहत किए गए निमंत्रण के अनुसार समाधान पेशेवर को एक समाधान योजना प्रस्तुत करता है; *(26)* "समाधान योजना "का अर्थ है भाग *II* के अनुसार एक चालू संस्था के रूप में निगमित देनदार के दिवाला समाधान के लिए समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तावित एक योजना; आरसीईएलओआरएमआईटीईएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.*

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया और इसमें एक अंतरिम समाधान पेशेवर शामिल है; *XXX XXX XXX*

7. वित्तीय लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत। *(1)* एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से, या वित्तीय लेनदार की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

सरकार, किसी निगमित देनदार के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दायर कर सकती है जब कोई चूक हुई हो। स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, चूक में न केवल आवेदक वित्तीय लेनदार के लिए बल्कि निगमित देनदार के किसी अन्य वित्तीय लेनदार के लिए बकाया वित्तीय ऋण के संबंध में चूक शामिल है।

(क) सूचना उपयोगिता के साथ दर्ज किए गए डिफ़ॉल्ट का रिकॉर्ड या ऐसा अन्य रिकॉर्ड या डिफ़ॉल्ट का सबूत जो निर्दिष्ट किया जा सकता है; *(बी)* एक अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए प्रस्तावित समाधान पेशेवर का नाम; और

(ग) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी। *(4)* न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, उप-धारा *(2)* के तहत आवेदन प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर, किसी सूचना उपयोगिता के रिकॉर्ड से या उप-धारा *(3)* के तहत वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के आधार पर चूक के अस्तित्व का पता लगाएगा।

(5) जहाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का समाधान होता है कि *(क)* चूक हुई है और उप-धारा *(2)* के तहत आवेदन पूरा हो गया है, और प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है, वह आदेश द्वारा *[2018] 12* एस. सी. आर. को स्वीकार कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसा आवेदन; या

(ख) चूक नहीं हुई है या उप-धारा *(2)* के तहत आवेदन अधूरा है या प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है, वह आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है:

बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, उप-धारा *(5)* के खंड *(*बी*)* के तहत आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से ऐसी सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर आवेदक को अपने आवेदन में दोष को सुधारने के लिए नोटिस देगा। *(6)* निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उप-धारा *(5)* के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने की तारीख से शुरू होगी।

12. दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय-सीमा। — *(1)* उप-धारा *(2)* के अधीन, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। ऐसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन के प्रवेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन।

(2) समाधान पेशेवर निगम की अवधि बढ़ाने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक आवेदन दायर करेगा।

दिवाला समाधान प्रक्रिया एक सौ अस्सी दिनों से आगे, यदि लेनदारों की समिति की बैठक में मतदान शेयरों के छियासठ प्रतिशत के वोट से पारित प्रस्ताव द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिया जाता है। *(3)* उप-धारा *(2)* के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट है कि मामले का विषय ऐसा है कि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरसीईएलओआरएमआईटीटीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नहीं हो सकती है।

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

एक सौ अस्सी दिनों के भीतर पूरा किया जाए, तो वह आदेश द्वारा ऐसी प्रक्रिया की अवधि को एक सौ अस्सी दिनों से आगे की अवधि तक बढ़ा सकता है जो वह उचित समझता है, लेकिन नब्बे से अधिक नहीं।

दिनः

बशर्ते कि निगमित दिवालियापन की अवधि का कोई विस्तार

XXX XXX XXX *30.* समाधान योजना प्रस्तुत करना। *(1)* एक समाधान आवेदक

सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार किए गए समाधान पेशेवर को एक हलफनामे के साथ एक समाधान योजना प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें कहा गया हो कि वह धारा *29*-ए के तहत पात्र है। *(2)* समाधान पेशेवर अपने द्वारा प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की जांच करेगा ताकि यह पुष्टि की जा सके कि प्रत्येक समाधान योजना

(क) निगमित देनदार के अन्य ऋणों के भुगतान को प्राथमिकता देते हुए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों के भुगतान का प्रावधान करता है;

(ख) परिचालन ऋणदाताओं के ऋणों का भुगतान बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से करने का प्रावधान है जो धारा के तहत निगमित ऋणदाता के परिसमापन की स्थिति में परिचालन ऋणदाताओं को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगा।

53 ; (ग) समाधान योजना के अनुमोदन के बाद निगमित देनदार के मामलों के प्रबंधन का प्रावधान करता है;

((घ) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण;

(ई) उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है;

(च) ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है जो इसके द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं

बोर्ड।

स्पष्टीकरण। खंड *(ङ)* के प्रयोजनों के लिए, यदि कंपनी अधिनियम, *2013 (2013* का *18)* या कंपनी के लिए तत्काल लागू किसी अन्य कानून के तहत शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता है।

समाधान योजना के तहत कार्यों का कार्यान्वयन, इस तरह की मंजूरी *[2018] 12* एस. सी. आर.

यह माना जाएगा कि यह दिया गया है और यह उस अधिनियम या कानून का उल्लंघन नहीं होगा।

(3) समाधान पेशेवर ऋणदाताओं की समिति को उसके अनुमोदन के लिए ऐसी समाधान योजनाएं प्रस्तुत करेगा जो उप-धारा *(2)* में निर्दिष्ट शर्तों की पुष्टि करती हैं। *(4)* लेनदारों की समिति वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम साठ-छह प्रतिशत के वोट से एक समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है, इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता और ऐसी अन्य आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं:

बशर्ते कि लेनदारों की समिति एक को मंजूरी नहीं देगी

दिवाला और दिवालियापन संहिता *(संशोधन)* अध्यादेश, *2017* के प्रारंभ से पहले प्रस्तुत समाधान योजना *(* ऑर्ड। *2017* का *7),* जहां समाधान आवेदक धारा *29*-ए के तहत अयोग्य है और समाधान पेशेवर को एक नई समाधान योजना आमंत्रित करने की आवश्यकता हो सकती है जहां इसके साथ कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध नहीं है:

बशर्ते कि जहां पहले परंतुक में निर्दिष्ट समाधान आवेदक धारा *29*-ए के खंड *(सी)* के तहत अयोग्य है, समाधान आवेदक को लेनदारों की समिति द्वारा ऐसी अवधि, जो तीस दिनों से अधिक नहीं हो, धारा *29*-ए के खंड *(सी)* के परंतुक के अनुसार अतिदेय राशियों का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी:

धारा *12* की धारा *(3)* और निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उस उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। अनुभाग।

बशर्ते कि दिवाला और दिवालियापन संहिता *(*संशोधन*)* अध्यादेश, *2018 (*अध्यादेश*)* द्वारा संशोधित धारा *29*-ए में पात्रता मानदंड। *2018* का *6)* उस समाधान आवेदक पर लागू होगा जिसने दिवाला और दिवालियापन संहिता *(*संशोधन*)* अध्यादेश, *2018* के प्रारंभ की तारीख तक समाधान योजना प्रस्तुत नहीं की है। *(5)* समाधान आवेदक ऋणदाताओं की समिति की बैठक में भाग ले सकता है जिसमें आवेदक की समाधान योजना पर विचार किया जाता हैः

आर. सी. एल. ओ. एम. टी. ए. एल. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

(6) समाधान पेशेवर ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को न्यायनिर्णायक को प्रस्तुत करेगा। प्राधिकरण।

31. समाधान योजना की स्वीकृति। — *(1)* यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि धारा *30* की उप-धारा *(4)* के तहत लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना धारा *30* की उप-धारा *(2)* में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो वह आदेश द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देगा जो बाध्यकारी होगी।

निगमित देनदार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, गारंटरों और समाधान योजना में शामिल अन्य हितधारकों के बारे में: बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, इस उप-धारा के तहत समाधान योजना के अनुमोदन के लिए एक आदेश पारित करने से पहले, यह संतुष्ट करेगा कि समाधान योजना में इसके प्रभावी होने के लिए प्रावधान हैं।

कार्यान्वयन।

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि समाधान योजना उप-धारा *(1)* में निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पुष्टि नहीं करती है, वह एक आदेश द्वारा समाधान योजना को अस्वीकार कर सकता है।

(3) उप-धारा *(1)* के तहत अनुमोदन के आदेश के बाद, *(* क*)* धारा *14* के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित अधिस्थगन आदेश का प्रभाव समाप्त हो जाएगा; और

(ख*)* समाधान पेशेवर निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन और समाधान योजना से संबंधित सभी रिकॉर्ड बोर्ड को उसके डेटाबेस पर दर्ज करने के लिए भेजेगा।

उप-धारा *(1)* के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो ऐसी कानून में प्रदान की गई है, जो भी बाद में हो: बशर्ते कि जहां समाधान योजना में संयोजन का प्रावधान है, जैसा कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, *[2018] 12* एस. सी. आर. की धारा *5* में संदर्भित है।

2002 (12 2003 का*),* समाधान आवेदक उस अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी प्राप्त करेगा लेनदारों की समिति द्वारा ऐसी समाधान योजना का अनुमोदन।

32. अपील करें। समाधान योजना को मंजूरी देने वाले आदेश की कोई भी अपील धारा *61* की उप धारा *(3)* में निर्धारित तरीके और आधारों पर होगी।

XXX XXX XXX

33. परिसमापन की शुरुआत। *(1)* जहाँ न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण,

या धारा *12* के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनुमत अधिकतम अवधि या धारा *56* के तहत फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया, मामला धारा *30* की उप-धारा *(6)* के तहत समाधान योजना हो सकता है, प्राप्त नहीं करता है; या

यह होगा *((i)* ऐसा आदेश पारित करना जिसमें निगमित ऋणी को इस अध्याय में निर्धारित तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता हो;

समाधान योजना की, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को निगमित देनदार को परिसमापन करने के लिए मतदान हिस्से के कम से कम साठ-छह प्रतिशत द्वारा अनुमोदित लेनदारों की समिति के निर्णय के बारे में सूचित करता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एक परिसमापन आदेश पारित करेगा जैसा कि उप-धारा *(1)* के खंड *(*बी*)* के उप-खंड *(i), (ii)* और *(iii)* में निर्दिष्ट है। *(3)* जहाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना का संबंधित निगमित ऋणी द्वारा उल्लंघन किया जाता है, वहाँ कोई भी

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

निगमित देनदार के अलावा अन्य व्यक्ति, जिसके हित इस तरह के उल्लंघन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, उप-धारा *(1)* के खंड *(*बी*)* के उप-खंड *(i), (ii)* और *(iii)* में निर्दिष्ट परिसमापन आदेश के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है।

(4) उप-धारा *(3)* के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि निगमित ऋणी ने समाधान योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो वह उप-धारा *(1)* के खंड *(*बी*)* के उप-खंड *(i), (ii)* और *(iii)* में निर्दिष्ट परिसमापन आदेश पारित करेगा। *(5)* धारा *52* के अधीन रहते हुए, जब परिसमापन आदेश पारित किया जाता है, तो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।

निगमित देनदारः बशर्ते कि एक मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही द्वारा शुरू की जा सकती है

परिसमापक, निगमित देनदार की ओर से, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के साथ।

(6) उप-धारा *(5)* के प्रावधान ऐसे लेनदेन के संबंध में कानूनी कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के परामर्श से अधिसूचित किया जा सकता है। *(7)* इस धारा के तहत परिसमापन के आदेश को निगमित देनदार के अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को निर्वहन की सूचना माना जाएगा, सिवाय इसके कि परिसमापक द्वारा परिसमापन प्रक्रिया के दौरान निगमित देनदार का व्यवसाय जारी रखा जाए।

XXX XXX XXX

60. निगमित व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण। — *(1)* निगमित ऋणदाताओं और व्यक्तिगत गारंटरों सहित निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान और परिसमापन के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण राष्ट्रीय कंपनी कानून होगा।

न्यायाधिकरण जिसका उस स्थान पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है जहाँ निगमित व्यक्ति का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

(2) उप-धारा *(1)* पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस संहिता में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, जहां एक निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या *[2018] 12* एस. सी. आर. की परिसमापन कार्यवाही होती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निगमित देनदार राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है, ऐसे निगमित देनदार के दिवाला समाधान या परिसमापन या दिवालियापन से संबंधित एक आवेदन, जैसा भी मामला हो, निगमित गारंटर या व्यक्तिगत गारंटर के,

ऐसे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया गया।

(3) किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण में लंबित निगमित देनदार की दिवाला समाधान प्रक्रिया या परिसमापन या दिवालियापन कार्यवाही, जैसा भी मामला हो, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी जाएगी। दिवाला समाधान प्रक्रिया या ऐसे निगमित देनदार की परिसमापन कार्यवाही के साथ।

(4) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के पास उप-धारा *(2)* के प्रयोजन के लिए इस संहिता के भाग *III* के तहत विचार किए गए ऋण वसूली न्यायाधिकरण की सभी शक्तियां निहित होंगी। *(5)* उस समय लागू किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, राष्ट्रीय कंपनी कानून

न्यायाधिकरण के पास विचार करने या निपटाने का अधिकार क्षेत्र होगा

(क) निगमित देनदार द्वारा या उसके विरुद्ध कोई आवेदन या कार्यवाही या कॉर्पोरेट व्यक्ति;

((ख) निगमित देनदार या निगमित व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कोई दावा, जिसमें उसकी किसी सहायक कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए दावे भी शामिल हैं।

भारत में स्थित; और

(ग) दिवाला समाधान या परिसमापन से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाली प्राथमिकताओं या कानून या तथ्यों का कोई प्रश्न।

इस संहिता के तहत निगमित देनदार या निगमित व्यक्ति की कार्यवाही।

(6) सीमा अधिनियम, *1963* में कुछ भी निहित होने के बावजूद

(36 1963 का*)* या उस समय लागू किसी अन्य कानून में, किसी वाद के लिए निर्दिष्ट सीमा की अवधि की गणना करने में या

इस भाग के तहत अधिस्थगन किया गया है, जिस अवधि के दौरान ऐसी अधिस्थगन लागू है, उसे बाहर रखा जाएगा। *61.* अपील और अपीलीय प्राधिकरण। *- (1)* कंपनी अधिनियम, *2013* के तहत निहित इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, आरसीईएलओआरएमआईटीईएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.*

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति

इस भाग के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की जा सकती है। *(2)* उप-धारा *(1)* के तहत प्रत्येक अपील तीस दिनों के भीतर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगीः

बशर्ते कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील दायर करने की अनुमति दे सकता है यदि यह संतुष्ट हो कि अपील दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था लेकिन ऐसी अवधि पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होगी।

(3) धारा *31* के तहत समाधान योजना को मंजूरी देने वाले आदेश के खिलाफ अपील निम्नलिखित आधारों पर दायर की जा सकती है, अर्थात्

((i) अनुमोदित समाधान योजना उस समय लागू किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है।
((ii) निगमित दिवाला समाधान अवधि के दौरान समाधान पेशेवर द्वारा शक्तियों के प्रयोग में भौतिक अनियमितता हुई है*;*

*((*ग*)* निगमित देनदार के परिचालन ऋणदाताओं को देय ऋणों का समाधान योजना में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से प्रावधान नहीं किया गया है*;*

((iv) अन्य सभी ऋणों की तुलना में प्राथमिकता में पुनर्भुगतान के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का प्रावधान नहीं किया गया है*;* या

(v) समाधान योजना बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मानदंड का पालन नहीं करती है।

ऐसे परिसमापन आदेश के संबंध में की गई भौतिक अनियमितता या धोखाधड़ी के आधार पर दायर किया जा सकता है। *62.* सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। *(1)* राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति

इस संहिता के तहत इस तरह के आदेश से उत्पन्न कानून के सवाल पर चालीस-पाँच दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करें। इस तरह के आदेश की प्राप्ति की तारीख।

(2) उच्चतम न्यायालय, यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति को चालीस *[2018] 12* एस. सी. आर. के भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

पाँच दिन, पंद्रह दिन से अधिक की अवधि के भीतर अपील दायर करने की अनुमति दें।

XXX XXX XXX

64. आवेदनों का शीघ्र निपटान। *(1)* कहाँ एक

इस संहिता में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया जाता है या कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा नहीं करने के कारणों को दर्ज करेगा; और राष्ट्रीय कंपनी कानून के अध्यक्ष
न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी कानून के अध्यक्ष

अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, इस प्रकार दर्ज किए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित में निर्दिष्ट अवधि बढ़ा सकता है -

अधिनियम लेकिन दस दिनों से अधिक नहीं।

(2) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण या प्राधिकरण को प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी।
इस संहिता के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण "।

शुरू से ही काम करें। एक वित्तीय लेनदार द्वारा धारा *7* के तहत एक आवेदन को स्वीकार करने से पहले, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा के तहत है। *7 (4)* , धारा *7 (4)* में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति के *14* दिनों के भीतर चूक के अस्तित्व का पता लगाने के लिए। इस बात का समाधान होने पर कि ऐसा चूक हुआ है, वह दोषों के सुधार के अधीन ऐसे आवेदन को स्वीकार कर सकता है, जो धारा *7 (5)* में प्रावधान कहता है कि

जुग्गिलाल कमलापत जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड और अन्य। *(2017) 16* एससीसी *143)*। निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया धारा *7 (6)* के माध्यम से आवेदन के प्रवेश की तारीख से शुरू होती है। धारा *7 (7)* न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को यह सूचित करना अनिवार्य बनाती है कि इस तरह के प्रवेश के *7* दिनों की अवधि के भीतर वित्तीय लेनदार और कॉर्पोरेट देनदार को आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने का आदेश या

अस्वीकृति।

पुरातात्विक भारत निजी लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

70. दिवाला समाधान को पूरा करने के लिए समय सीमा

प्रक्रिया धारा *12* में निर्धारित की गई है। आवेदन के प्रवेश की तारीख से *180* दिनों की अवधि धारा *12 (1)* द्वारा दी गई है। इसे अधिकतम *90* दिनों की अवधि के लिए तभी बढ़ाया जा सकता है जब लेनदारों की समिति, *66* प्रतिशत *2* के मत से, उक्त अवधि को बढ़ाने के लिए मतदान करती है, और केवल तभी जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट होता है कि ऐसी प्रक्रिया को लागू नहीं किया जा सकता है।

180 दिनों के भीतर पूरा किया गया। प्राधिकरण तब आदेश द्वारा ऐसी प्रक्रिया की अवधि को अधिकतम *90* दिनों तक बढ़ा सकता है *(*धारा *12 (2)* और *12 (3)* देखें*)*। धारा का परन्तुक भी महत्वपूर्ण है।

12 (3) जिसमें कहा गया है कि धारा *12* के तहत अवधि का कोई भी विस्तार

इसे एक से अधिक बार नहीं दिया जा सकता है। इसे धारा *30 (4)* के तीसरे परंतुक के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि दूसरे परंतुक में उल्लिखित *30* दिनों की अधिकतम अवधि उपरोक्त अवधि के विस्तार के एकमात्र अपवाद के रूप में स्वीकार्य है, जिसे इससे अधिक नहीं दिया गया है।

एक बार।

71. ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक परिणाम प्रदान किया जाता है, जिसमें

यदि उक्त अवधि या तो समाधान योजना की प्राप्ति के बिना या धारा *31* के तहत समाधान योजना की अस्वीकृति के बाद समाप्त हो जाती है। यह

परिणाम धारा *33* द्वारा प्रदान किया गया है, जो यह स्पष्ट करता है कि जब

इन दोनों आकस्मिकताओं में से कोई भी घटित होती है, कॉर्पोरेट देनदार को अध्याय *III* में निर्धारित तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता होती है। धारा *12*, संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के आलोक में और धारा *33* द्वारा प्रदान किए गए परिणाम के प्रकाश में, इसलिए, यह स्पष्ट करती है कि पहले उल्लिखित अवधि अनिवार्य हैं और उन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता है।

72. वास्तव में, धारा *12 (1)* की शाब्दिक भाषा भी इसे बनाती है।

स्पष्ट करें कि प्रावधान को अनिवार्य के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। "पूरा हो जाएगा" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, उप-धारा *(3)* यह स्पष्ट करती है कि *180* दिनों की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं।

2 यह ध्यान देने योग्य है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता *(*दूसरा संशोधन*)* अधिनियम, *2018 (2018* का *26)* ने अन्य बातों के साथ-साथ संहिता में *6* जून, *2018* से पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन किया, जहां तक कि विभिन्न निर्णयों के लिए ऋणदाताओं की समिति के *75* प्रतिशत अनुमोदन की कुछ धाराओं में आवश्यकता को धारा *21 (8)* में घटाकर *51* प्रतिशत कर दिया गया था *(*यानी समिति के किसी भी निर्णय के लिए आवश्यक मतों का न्यूनतम प्रतिशत, जहां संहिता में अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया है*)*, और धारा *12 (2)* में *66* प्रतिशत *(*यानी प्रक्रिया को *90* दिनों तक पूरा करने के लिए समय का विस्तार*), 22 (2) (*यानी समाधान की नियुक्ति*)*। पेशेवर*), 27 (2) (*यानी समाधान पेशेवर का प्रतिस्थापन*), 28 (3) (*यानी समाधान पेशेवर

द्वारा कुछ कार्यों के लिए अनुमोदन*), 30 (4) (*यानी समाधान योजना का अनुमोदन*),* और *33 (2) (*यानी परिसमापन की शुरुआत*)*।

ऑरली। साथ ही, धारा *12* का परंतुक यह स्पष्ट करता है कि विस्तार एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा। *73.* डिकटिंग अथॉरिटी द्वारा धारा *7* के तहत आवेदन को स्वीकार करने के बाद, संहिता की योजना इस प्रकार हैः

प्रारंभ तिथि, अर्थात, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा धारा *7* के तहत आवेदन के प्रवेश की तिथि।
(ii) धारा *17* के तहत, निगमित देनदार के मामलों का प्रबंधन इस प्रकार नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा किया जाना है, और

निगमित देनदार का निदेशक मंडल खड़ा होगा

हटा दिया गया। निगमित देनदार के अधिकारियों और प्रबंधकों को अब अंतरिम समाधान पेशेवर को रिपोर्ट करना है, जिनके पास है

निगमित देनदार की ओर से कार्य करने का अधिकार।

ऋणी और, सबसे महत्वपूर्ण रूप से, एक समिति का गठन करना लेनदार। यह कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की योजना से स्पष्ट है कि इसे जल्द से जल्द किया जाना है

जो, जैसा कि पहले कहा गया है, वित्तीय संस्थान के प्रवेश की तारीख से *270* दिनों की अधिकतम अवधि से अधिक नहीं हो सकता है।

लेनदारों का आवेदन।

(iv) धारा *21* के तहत, अंतरिम समाधान पेशेवर को कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ प्राप्त सभी दावों का मिलान करने के बाद और ऋणदाताओं की इस समिति का गठन करना है।

निगमित देनदार की वित्तीय स्थिति, दोनों को जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता है। लेनदारों की इस समिति में निगमित देनदार के वित्तीय लेनदार शामिल होंगे। ऋणदाताओं की इस समिति के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं।

प्रत्येक वित्तीय लेनदार के मतदान हिस्से का *51* प्रतिशत से कम नहीं।

आर. सी. एल. ओ. एम. टी. ए. एल. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

(v) धारा *22* के तहत, ऋणदाताओं की समिति की पहली बैठक इसके गठन के *7* दिनों के भीतर एक समाधान पेशेवर नियुक्त करने के लिए आयोजित की जानी है। लेनदारों की समिति या तो अंतरिम समाधान पेशेवर को जारी रखती है या *66* प्रतिशत के बहुमत से अंतरिम समाधान पेशेवर की जगह लेती है। अंतरिम समाधान पेशेवर को बदलने के लिए आवेदन को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजा जाना है, जो इसे भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड को अग्रेषित करेगा।

(पुष्टि के लिए इसके बाद *"*आईबीबीआई*")* के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस तरह की पुष्टि पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण तब समाधान पेशेवर की नियुक्ति करता है। यदि आई. बी. बी. आई. प्रस्तावित समाधान पेशेवर के नाम की प्राप्ति के *10* दिनों के भीतर पुष्टि नहीं करता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अंतरिम समाधान पेशेवर को तब तक समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करना जारी रखने का निर्देश देता है जब तक कि आई. बी. बी. आई. समाधान पेशेवर की नियुक्ति की पुष्टि नहीं करता है।

(vi) यह समाधान पेशेवर है जो तब निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन करता है, जो वास्तव में इस स्तर पर शुरू होती है *(*धारा *23* देखें*)*। धारा *25* तब इस समाधान पेशेवर के कुछ कर्तव्यों को निर्धारित करती है, जो मामलों पर लेनदारों की समिति के पूर्व अनुमोदन के अधीन कॉर्पोरेट देनदार के व्यावसायिक संचालन को जारी रखने के लिए हैं।

समाधान योजना तैयार करने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए आई. बी. बी. आई. द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। *(viii)* धारा *30* एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसमें एक समाधान आवेदक संकल्प के लिए एक समाधान योजना प्रस्तुत कर सकता है।

पेशेवर, जो तब यह देखने के लिए उक्त योजना की जांच करेगा कि यह धारा *30 (2)* की आवश्यकताओं के अनुरूप है। एक बार जब यह योजना ऐसी आवश्यकताओं के अनुरूप हो जाती है, तो योजना को धारा *30 (3)* के तहत अनुमोदन के लिए लेनदारों की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फिर इसे उप-धारा *(4)* के तहत कम से कम *66* प्रतिशत के मत से लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि लेनदारों की समिति एक समाधान योजना को मंजूरी नहीं देगी जहां समाधान आवेदक धारा *29* ए के तहत अयोग्य है, और समाधान पेशेवर को एक नई समाधान योजना आमंत्रित करने की आवश्यकता हो सकती है जहां कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध नहीं है। एक बार लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित होने के बाद, समाधान योजना को संहिता की धारा *31* के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना है। यह इस स्तर पर है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत समाधान योजना के लिए एक न्यायिक दिमाग लागू किया जाता है, जो

तब, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि योजना धारा *30* में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करती है *(*या पूरा नहीं करती है*)*, या तो अनुमोदन कर सकती है या

ऐसी योजना को अस्वीकार कर दें। *(ix)* ऐसी योजना को मंजूरी देने वाले आदेश की अपील केवल धारा *61 (3)* में निर्धारित सीमित आधारों पर है। हालांकि, एक अपील

समाधान योजना को अस्वीकार करने के आदेश से भी इसके तहत निहित होगा धारा *61.*

धारा *33* के तहत आरंभ किया जाता है यदि, *(1)* धारा *12* के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर या तो कोई समाधान योजना प्रस्तुत नहीं की जाती है, या एक समाधान योजना प्रस्तुत की जाती है।
न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया है; *(2)* जहां समाधान पेशेवर, समाधान योजना की पुष्टि से पहले,

निर्णय के न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को सूचित करता है

निगमित देनदार को समाप्त करने के लिए लेनदारों की समिति; या *(3)*

जहाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना का संबंधित निगमित देनदार द्वारा उल्लंघन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति

निगमित देनदार के अलावा जिनके हित इस तरह के उल्लंघन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, वे न्यायनिर्णायक पर लागू हो सकते हैं।

प्राधिकरण, जो तब ऐसे आवेदन पर परिसमापन आदेश पारित कर सकता है।

74. सी. आई. आर. पी. विनियमों का विनियम *40* ए एक मॉडल प्रस्तुत करता है।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया में, इस आधार पर कि मैं *180* दिनों के लिए उपलब्ध हूँ। इसमें इस प्रकार कहा गया हैः

" 40 ए. निगमित दिवाला समाधान के लिए मॉडल समय-सीमा

प्रक्रिया।

निम्नलिखित तालिका कॉर्पोरेट का एक मॉडल समयरेखा प्रस्तुत करती है।

दिवाला समाधान प्रक्रिया इस धारणा पर कि अंतरिम समाधान पेशेवर को प्रक्रिया शुरू होने की तारीख को नियुक्त किया जाता है और उपलब्ध समय एक सौ अस्सी दिन हैः

पुरातात्विक भारत निजी लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

इसका वर्णन

नवीनतम

अनुभाग/विनियमन

नॉर्म

समयरेखा

गतिविधि

की शुरुआत

धारा *16 (1)*

टी.

सीआईआरपी

और

आईआरपी की नियुक्ति

3 दिनों के भीतर

सार्वजनिक

से

विनियम *6 (1)*

टी *+ 3*

घोषणा

नियुक्ति

दावे आमंत्रित करना

आईआरपी का

14 दिनों के लिए

अनुभाग

से

प्रस्तुत करना

15 (1) (ग*)/*नियम

टी *+ 14*

नियुक्ति

दावे

6 (2) (ग*)* और *12 (1)*

आईआरपी का

90 वें दिन तक

प्रस्तुत करना

से

विनियम *12 (2)*

से

टी *+ 90*

दावे

शुरुआत

सत्यापन

से

प्राप्त दावे

विनियम *13 (1)*

टी *+ 21*

के तहत

विनियमन

7 दिनों के भीतर

12 (1)

से

द.

की रसीद

सत्यापन

से

दावा करें

प्राप्त दावे

विनियम *13 (2)*

टी *+ 97*

विनियमन के तहत

12 (2)

2 दिनों के भीतर

अनुभाग

के लिए आवेदन

21 (6 ए*) (*बी*)/*विनियमन

से

टी *+ 23*

एआर की नियुक्ति

का सत्यापन

16 ए*.*

प्राप्त दावे

और नहीं

प्रमाणित करने वाली रिपोर्ट

विनियम *17 (1)*

टी *+ 23*

विनियमन

सीओसी का गठन

12 (1)

[2018] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7 दिनों के भीतर

में से

अनुभाग

1 की पहली बैठक

का संविधान

22 (1) / विनियमन

टी *+ 30*

को सी, लेकिन

कोक

19 (1)

सात के साथ

दिनों का नोटिस

के लिए संकल्प

सबसे पहले

धारा *22 (2)*

बैठक द्वारा आर. पी. नियुक्त करें

टी *+ 30*

सीओसी

सीओसी

की नियुक्ति

मंजूरी मिलने पर

धारा *16 (5)*

.....

एए

आरपी

आई. आर. पी. करता है

यदि आरपी नहीं है

द्वारा नियुक्त

आर. पी. के कार्य

विनियम *17 (3)*

टी *+ 40*

40 का दिन

जब तक आरपी है

नियुक्त किया गया।

शुरुआत

7 दिनों के भीतर

नियुक्ति की

की नियुक्ति

आरपी का, लेकिन नहीं

विनियम *27*

टी *+ 47*

40 तारीख के बाद

मूल्यवान है।

एक दिन का

शुरुआत

प्रस्तुत करना

के लिए आवेदन

जारी करने से पहले

की वापसी

डब्ल्यू.

ईओआई

आवेदन

विज्ञापन मिटेड।

7 दिनों के भीतर

उसकी रसीद या

7 के दिन

निपटाने के लिए सी. ओ. सी.

अनुभाग

का संविधान

डब्ल्यू *+ 7*

आवेदन

12 ए/विनियमन

सीओसी,

30 ए.

जो भी हो

बाद में।

आवेदन जमा कर रहा है

ड्रॉ अल के साथ, यदि

3 दिनों के भीतर

को. सी. द्वारा अनुमोदित

डब्ल्यू *+ 10* द्वारा अनुमोदन

90 प्रतिशत के साथ

सीओसी

बहुमत मतदान,

आर. पी. द्वारा ए. सी. एल. ओ. एम. टी. ए. एल. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

आर. पी. बनाने के लिए

75 दिनों के भीतर

के बारे में राय

में से

टी *+ 75*

तरजीही और

शुरुआत

अन्य लेनदेन

आर. पी. एक बनाने के लिए

115 के भीतर

तय करना

के दिन

35 ए

टी *+ 115*

तरजीही और

शुरुआत

अन्य लेनदेन
फाइल के लिए आर. पी.

135 के भीतर

एए को आवेदन

जिन दिनों से

टी *+ 135*

उचित के लिए

शुरुआत

राहत

2 सप्ताह के भीतर

नियुक्ति की

आई. एम. प्रस्तुत करना

आरपी का, लेकिन नहीं

राज्य *36 (1)*

टी *+ 54*

54 वें से बाद में

सीओसी के लिए

एक दिन का

शुरुआत

75 दिनों के भीतर

फॉर्म जी प्रकाशित करें

में से

टी *+ 75*

ईओएल का निमंत्रण

शुरुआत

कम से कम *15*

जारी होने के दिन

ई. ओ. एल. प्रस्तुत करना

टी *+ 90*

इओल का *(*मान लीजिए

15 दिन*)*

10 दिनों के भीतर

अनंतिम सूची

ला सेंट से

राज्य *36* ए

टी *+ 100*

प्राप्ति का दिन

आरपी द्वारा आरएएस

इओल का

5 दिनों के लिए

प्रस्तुत करना

तारीख से

आपत्तियाँ

टी *+ 105*

अनंतिम

अस्थायी सूची

सूची

10 दिनों के भीतर

आर. ए. की अंतिम सूची

रसीद की

टी *+ 115*

आरपी द्वारा

आपत्तियों की संख्या *[2018] 12* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आरएफआरपी का मुद्दा,

5 दिनों के भीतर

सहित

के मुद्दे पर

टी *+ 105*

अनंतिम

मूल्यांकन मैट्रिक्स

सूची

और आईएम

विनियम *36* बी

कम से कम *30*

जारी होने के दिन

रसीद

आरएफआरपी का

टी *+ 135*

समाधान योजनाएं

(मान लीजिए *30*

दिन*)*

प्रस्तुत करना

जैसे ही

सीओसी ने मंजूरी दी

विनियम *39 (4)*

टी *+ 165*

द्वारा अनुमोदित

समाधान योजना

सीओसी

एए

की स्वीकृति

धारा *31 (1)*

द्वारा समाधान योजना

टी *= 180*

एए

एए: न्यायनिर्णायक प्राधिकरण; एआरः अधिकृत प्रतिनिधिः सी. आई. आर. पी.*:* निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया; सी. ओ. सी.*:* ऋणदाताओं की समिति; ईओएलः रुचि की अभिव्यक्ति; आईएमः सूचना ज्ञापन; आई. आर. पी.*:* अंतरिम समाधान पेशेवर; आर. ए.*:* समाधान आवेदक; आरपीः समाधान पेशेवर; आर. एफ. आर. पी.*:* निवेदन

समाधान योजना के लिए "।

सभी संबंधित अधिकारियों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे इस मॉडल का यथासंभव बारीकी से पालन करें।

75. अब यह निर्धारित किया जाना है कि क्या कोई चुनौती हो सकती है।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में किया जाना। मान लीजिए कि एक समाधान योजना को धारा *30 (2)* के तहत एक समाधान पेशेवर द्वारा सीमा पर अस्वीकार कर दिया जाता है। इस स्तर पर क्या यह संबंधित समाधान आवेदक के लिए समाधान पेशेवर की अस्वीकृति को चुनौती देने के लिए खुला है*?*

यह तय कानून है कि एक क़ानून को व्यवहार्य होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसकी व्याख्या को इस तरह से व्यवहार्य बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। आयकर आयुक्त, दिल्ली बनाम। एस. तेजा सिंह, *[1959]* सप। *1* एस. सी. आर. *394*, इस न्यायालय ने पृष्ठ *403* पर कहाः

पुरातात्विक भारत निजी लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

"अब हमें प्रश्न के एक पहलू का उल्लेख करना चाहिए, जो ऊपर बताए गए निष्कर्ष को दृढ़ता से मजबूत करता है। निर्माण के बारे में

प्रत्यर्थी द्वारा तर्क दिया गया, एस *18*-ए *(9) (*बी*)* एस एस के रूप में पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगा। *22 (1)* और *22 (2)* एस के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले अग्रिम अनुमानों के लिए कोई आवेदन नहीं हो सकता है। *18 -* ए *(3)*, और यदि हम इस तर्क को स्वीकार करते हैं, तो हमें यह मानना चाहिए कि यद्यपि विधायिका ने एस अधिनियमित किए हैं। *18 -* ए *(9) (*बी*)* एस के तहत अनुमान भेजने में विफलता लाने के उद्देश्य के साथ। *18 -* ए *(3)* एस के संचालन के भीतर। *28* , यह संकेत रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा। एक निर्माण जो ले जाता है

इस तरह के परिणाम से बचा जाना चाहिए, यदि संभव हो, तो उक्ति में व्यक्त सिद्धांत पर, "उट रेस मैजिस वैलेट क्काम पेरेत"। कर्टिस वी. स्टोविन *[1889] 22 Q.B.D.513* और विशेष रूप से

पृष्ठ *519* पर फ्राय, एल. जे. की निम्नलिखित टिप्पणियाँः

"हमें दी गई एकमात्र वैकल्पिक संरचना इस परिणाम की ओर ले जाएगी कि विधायिका का स्पष्ट इरादा धारा की भाषा में थोड़ी सी निष्क्रियता के कारण पूरी तरह से विफल हो गया है। अगर हमें इस निर्माण को अपनाना है, तो हमें इसके उद्देश्य को विफल करने के लिए अधिनियम का अर्थ लगाना चाहिए, न कि

अपने उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए एक दृष्टिकोण।

कानून पर क्रेज़, पी। *90* और क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल, दसवां संस्करण। , पीपी। *236-237* . "एक कानून

अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त *[1925] 10* कर *Cas.88,110 "*, व्यवहार्य होने के लिए, और अदालत द्वारा इसकी व्याख्या उस उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए होनी चाहिए, जब तक कि महत्वपूर्ण चूक या स्पष्ट न हो।
दिशा उस लक्ष्य को अप्राप्य बना देती है।

76. ऊपर उल्लिखित समयसीमा को देखते हुए, और इस तथ्य को देखते हुए कि एक समाधान आवेदक को कोई निहित अधिकार नहीं है कि उसकी समाधान योजना विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि इस स्तर पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद *226* के तहत दायर एक रिट याचिका

उच्च न्यायालय को इस आधार पर भी खारिज कर दिया जाएगा कि इस स्तर पर कोई भी अधिकार, मौलिक अधिकार से बहुत कम, प्रभावित नहीं होता है। यह धारा *30 (4)* के पहले परंतुक द्वारा भी स्पष्ट किया गया है, जिसके तहत एक समाधान पेशेवर केवल नई समाधान योजनाओं को आमंत्रित कर सकता है यदि कोई अन्य समाधान योजना पारित नहीं हुई है।

77. हालांकि, यह नहीं भूलना चाहिए कि एक समाधान पेशेवर केवल "जांच" और "पुष्टि" करने के लिए है कि प्रत्येक समाधान योजना अनुरूप है। धारा *30 (2)* द्वारा क्या प्रावधान किया गया है। धारा *25 (2) (i)* के तहत, *[2018] 12* एस. सी. आर.

विभिन्न आवेदकों द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को ऋणदाताओं की समिति को प्रस्तुत करने से पहले हर तरह से पूरा किया जाता है। संकल्प पेशेवरों को कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रस्तुत की गई समाधान योजनाएं पहले सभी मामलों में पूर्ण हों।

उन्हें लेनदारों की समिति के समक्ष रखा जाता है, जो इसे मंजूरी दे भी सकते हैं और नहीं भी। तथ्य यह है कि समाधान पेशेवर को यह भी पुष्टि करनी है कि एक समाधान योजना संहिता की धारा *29* ए सहित वर्तमान में लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है, केवल इसका मतलब है कि उसकी प्रथम दृष्टया राय लेनदारों की समिति को दी जानी चाहिए कि किसी कानून का उल्लंघन किया गया है या नहीं किया गया है। धारा *30 (2) (ई)* समाधान पेशेवर को यह "तय" करने का अधिकार नहीं देती है कि क्या संकल्प

योजना कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करती है या नहीं करती है। सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम *36* ए में विशेष रूप से निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

"*(8)* समाधान पेशेवर रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर उचित परिश्रम करेगा ताकि यह संतुष्ट किया जा सके कि संभावित

समाधान आवेदक अनुपालन करता है

(क) धारा *25* की उप-धारा *(2)* के खंड *(ज)* के प्रावधान;

(ख) धारा *29* क के लागू प्रावधान,

और

(ग) अन्य आवश्यकताएँ, जैसा कि निमंत्रण में निर्दिष्ट किया गया है

रुचि की अभिव्यक्ति।

(9) समाधान पेशेवर कोई स्पष्टीकरण मांग सकता है या
उप-विनियम *(8)* के तहत उचित परिश्रम करने के लिए संभावित समाधान आवेदक से अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज।

(10) समाधान पेशेवर समिति और रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने वाले सभी संभावित समाधान आवेदकों को रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि के दस दिनों के भीतर योग्य संभावित समाधान आवेदकों की एक अनंतिम सूची जारी करेगा।
(11) उप-विनियम *(10)* में निर्दिष्ट अनंतिम सूची में किसी संभावित समाधान आवेदक को शामिल करने या बाहर करने पर कोई आपत्ति सहायक दस्तावेजों के साथ की जा सकती है।

अनंतिम सूची जारी होने की तारीख से पाँच दिन।

(12) उप-विनियम *(11)* के तहत प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने पर समाधान पेशेवर अंतिम तिथि के दस दिनों के भीतर संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करेगा।

आपत्तियों की प्राप्ति के लिए, समिति को "।

78. इस प्रकार, समाधान पेशेवर का महत्व यह सुनिश्चित करना है कि एक समाधान योजना सभी मामलों में पूर्ण है, और एक देय कार्य का संचालन करना है।

यह क्रम में है। भले ही समाधान पेशेवर के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करते समय कारण देना आवश्यक नहीं है लेनदारों की समिति, यह चीजों की योग्यता में होगा यदि वह जोड़ता है

विचाराधीन समाधान योजनाओं में से प्रत्येक के संबंध में उसके द्वारा की गई उचित परिश्रम रिपोर्ट, और संक्षेप में यह बताना कि यह कानून के अनुरूप क्यों है या क्यों नहीं है।

79. धारा *30* के तहत अगला चरण लें। एक संकल्प

पेशेवर ने अपनी मंजूरी के लिए लेनदारों की समिति को एक समाधान योजना प्रस्तुत की है, लेकिन लेनदारों की समिति इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद ऐसी योजना को मंजूरी नहीं देती है, क्योंकि वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम *66* प्रतिशत का आवश्यक वोट प्राप्त नहीं किया जाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा *30 (4)* का पहला परंतुक इसका उत्तर देता है, जो यह है कि इस स्तर पर जो कुछ भी हो सकता है वह यह है कि समाधान पेशेवर को एक नई समाधान योजना आमंत्रित करने की आवश्यकता है।

निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जहां उसके पास कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध नहीं है। यह स्पष्ट है कि इस स्तर पर फिर से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि समाधान आवेदक में अपनी समाधान योजना को अनुमोदित करने का कोई निहित अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है, और क्योंकि अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

80. यह लेनदारों की समिति है जो अनुमोदन करेगी या

धारा *30* के वैधानिक मापदंडों को देखते हुए समाधान योजना को अस्वीकार कर दें।

सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम *39* के तहत, इसके उपखंड *(3)* में प्रावधान है:

"*(3)* समिति सर्वोत्तम समाधान योजना की पहचान करने के लिए मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार सख्ती से उप-विनियमन *(1)* के तहत प्राप्त समाधान योजनाओं का मूल्यांकन करेगी और इसे ऐसे संशोधनों के साथ मंजूरी दे सकती है जो उसे उचित लगेः

बशर्ते कि समिति अनुमोदन के कारणों को दर्ज करेगी

या किसी समाधान योजना को अस्वीकार करना।

यह विनियमन दर्शाता है कि लेनदारों की समिति की अस्वीकृति

29 ए, अंतिम नहीं है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, अर्ध-न्यायिक रूप से कार्य करते हुए, यह निर्धारित कर सकता है कि क्या समाधान योजना के प्रावधानों का उल्लंघन है समाधान आवेदक के साथ-साथ लेनदारों की समिति की दलीलें सुनने के बाद संहिता की धारा *29* ए सहित कोई भी कानून, जिसके बाद धारा *61* के तहत अपीलीय प्राधिकरण को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय से अपील की जा सकती है।

81. यदि, दूसरी ओर, एक समाधान योजना को लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, और इससे पहले एक समूह को पारित किया गया है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, इस निर्धारण को धारा *61* के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, और आगे भी चुनौती दी जा सकती है। धारा *62* के तहत उच्चतम न्यायालय के समक्ष, यदि धारा *62* में निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून का सवाल है। धारा *64* यह भी स्पष्ट करती है कि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पालन की जाने वाली समयसीमा बहुत महत्वपूर्ण है और यदि मामले का निपटारा नहीं किया जाता है तो एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए।

निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर। धारा *60 (5)*, जब यह बात करती है कि एन. सी. एल. टी. को निगमित ऋणी या निगमित व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ किसी भी आवेदन या कार्यवाही को स्वीकार करने या निपटाने का अधिकार क्षेत्र है, तो एन. सी. एल. टी. को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किए गए अर्ध-न्यायिक निर्धारण से पहले एक स्तर पर आवेदक के कहने पर हस्तक्षेप करने के अधिकार क्षेत्र के साथ निवेश नहीं करता है। धारा *60 (5)* में गैर-बाध्यकारी खंड एक अलग उद्देश्य के लिए बनाया गया हैः यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब संहिता के दायरे में आने वाले किसी निगमित देनदार द्वारा या उसके खिलाफ आवेदनों और कार्यवाही की बात आती है तो अकेले एन. सी. एल. टी. के पास अधिकार क्षेत्र है, यह स्पष्ट करते हुए कि किसी अन्य मंच के पास ऐसे आवेदनों या कार्यवाही को स्वीकार करने या निपटाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

पुरातात्विक भारत निजी लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

82. इस स्तर पर एक बात स्पष्ट की जानी चाहिए कि जब धारा *33* उप-धारा *(1)* में "न्यायनिर्णायक प्राधिकरण" की बात करती है, तो यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरण दोनों का उल्लेख करती है। प्राधिकरण। एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एक प्रस्ताव के पक्ष में निर्णय ले सकता है।

योजना, जिसके आदेश को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अलग रखा जा सकता है। अपीलीय प्राधिकरण का यह आदेश, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश को दरकिनार करते हुए, तब वह आदेश होगा जो धारा *33* के

प्रयोजनों के लिए समाधान योजना को अस्वीकार करता है। यही बात धारा *62* के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा अस्वीकृति के अंतिम आदेश पर भी लागू होगी। इस पर

सिद्धांत है कि, जैसा कि लच्मेश्वर प्रसाद शुकुल और ओआरएस में कहा गया है। वी. केशवर लाल चौधरी और अन्य। ए. आई. आर. *1941* एफ. सी. *5* और एक में अनुसरण किया

हमारे निर्णयों की संख्या, एक अपील मूल कार्यवाही की निरंतरता है। *83.* इस तथ्य को देखते हुए कि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. दोनों को संहिता के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों पर जल्द से जल्द निर्णय लेना है, हम इस तथ्य पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं कि अब दोनों उपरोक्त न्यायाधिकरणों द्वारा बड़ी मात्रा में मुकदमेबाजी को संभाला जाना है। ऐसे मामले में क्या होता है जब एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. ए. टी. संहिता की धारा *31* से उत्पन्न किसी मामले का निर्णय *180* दिनों की समय सीमा या *270* दिनों की विस्तारित समय सीमा से परे करता है*?* न्यायालय का कार्य -

किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचाना-यह एक सिद्धांत है जो हमारे न्यायशास्त्र में दृढ़ता से निहित है *(*जांग देखें*)*

सिंह बनाम। बृजलाल और ओआरएस। *[1964] 2* पृष्ठ *149* पर एस. सी. आर. *146* और ए. एस. अंतुले बनाम। आर. एस. नायक और अन्य। *[1988]* सप. *1* पृष्ठ *71* पर एस. सी. आर. *1)*। यह भी सच है कि एक न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया समय उस समय सीमा को शून्य पर निर्धारित नहीं करना चाहिए जिसके भीतर कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया होती है।

होना चाहिए। हालाँकि, हम यह नहीं भूल सकते कि हेलीकॉप्टर के गिरने का परिणाम कॉर्पोरेट मृत्यु है। संहिता का एकमात्र उचित निर्माण समय पर पूरा होने के बीच संतुलन बनाए रखना है। निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया, और निगमित देनदार को अन्यथा परिसमापन में डाला जा रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि निगमित देनदार में कई कर्मचारी और कर्मचारी होते हैं जिनकी दैनिक रोजी-रोटी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के परिणाम पर निर्भर करती है। यदि कोई समाधान आवेदक है जो कॉर्पोरेट देनदार को एक चालू संस्था के रूप में चलाना जारी रख सकता है, तो यह देखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि यह संभव हो। *3* इसका एक उचित और संतुलित निर्माण

3 भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड *(*परिसमापन प्रक्रिया*)* विनियम, *2016* के विनियम *32* में कहा गया है कि परिसमापक निगमित देनदार को ऋण के रूप में भी बेच सकता है।

चिंता हो रही है।

अतः कानून इस परिणाम की ओर ले जाएगा कि, जहां अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किसी समाधान योजना को बरकरार रखा जाता है, या तो उसके समक्ष अपील को अनुमति देने या खारिज करने के माध्यम से, मुकदमेबाजी में लिए गए समय की अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. निर्णय लेने में विलंब करेंगे। यह केवल यह कहने के लिए है कि एन. सी. एल. टी., या एन. सी. एल. ए. टी., या इस न्यायालय द्वारा *270* दिनों की अवधि से परे किसी आवेदन पर निर्णय लेने में समय लेने की स्थिति में, मामले पर निर्णय लेने के लिए कानूनी कार्यवाही में लिए गए समय को

संभवतः बाहर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अन्यथा एक अच्छी समाधान योजना को स्थगित करना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप निगमित मृत्यु हो सकती है, और इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों और श्रमिकों का विस्थापन हो सकता है।

मॉरीशस *13.10.2017* पर, स्पष्ट रूप से एक प्रस्तुत करने के उद्देश्य से समाधान योजना में निगमित देनदार अर्थात ई. एस. आई. एल. शामिल है। दो अन्य कंपनियाँ, अर्थात्। , ए. एच. एल. और ए. ई. एल. को भी उसी दिन मॉरीशस में शामिल किया गया था। श्री रवि रुइया के पुत्र श्री रेवंत रुइया *(*जो इसके प्रवर्तक थे*)*

85. 18.10.2017 पर, एईएल ने न्यूमेटल में *26.1%* की अपनी हिस्सेदारी एक समूह कंपनी को हस्तांतरित कर दी, अर्थात। , ईसीएल। यह समूह कंपनी अंततः 'कन्या न्यास' और 'ट्राइटन न्यास' के स्वामित्व में है, जिसके लाभार्थी श्री रवि रुइया, उनके भाई श्री शशि कांत रुइया और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनियां हैं। ई. सी. एल. को शामिल करने का उद्देश्य, जैसा कि न्यूमेटल की रुचि की अभिव्यक्ति से संबंधित उद्धरण में कहा गया है:

"ई. सी. एल. को ध्यान में रखते हुए कंपनी आई. एन. आर. *30* बिलियन की न्यूनतम ठोस निवल संपत्ति की आवश्यकता को पूरा करती है, एक समूह कंपनी के रूप में जो कंपनी में *26.1% (*छब्बीस अंक एक प्रतिशत*)* शेयर रखती है, *31* मार्च *201 (*पूरा हुए वित्तीय वर्ष से ठीक पहले*)* तक *2,974* मिलियन अमेरिकी डॉलर *(*दो हजार नौ सौ इकत्तर करोड़ अमेरिकी डॉलर*)* या आई. एन. आर. *192.8* बिलियन *(*एक सौ नब्बे अंक आठ अरब रुपये*)* की निवल संपत्ति है। कृपया चार्टर्ड आर्केलार्मिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v* के प्रमाण पत्र के लिए अनुलग्नक *I* देखें।

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

कंपनी का लेखाकार पात्रता मानदंड के संदर्भ में न्यूनतम मूर्त निवल मूल्य की आवश्यकता की संतुष्टि को प्रमाणित करता है जिसमें ए, ईसीएल के मूर्त निवल मूल्य को प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र शामिल है। यह ध्यान देने योग्य है कि मामले में

कंपनी को एक संभावित समाधान संघ के रूप में माना जाता है

आवेदक, यह न्यूनतम मूर्त निवल मूल्य की आवश्यकता को पूरा करना जारी रखता है क्योंकि कंपनी में उनकी संबंधित हिस्सेदारी के अनुपात में ए. ई. आई. और ई. सी. एल. की निवल संपत्ति के भारित औसत के आधार पर गणना की गई कंपनी की कुल मूर्त निवल संपत्ति आई. एन. आर. *50.33* बिलियन है, जो आई. एन. आर. *30* से अधिक है।

अरबों "। *86.* अगले ही दिन, श्री रेवंत रुइया ने एक अपरिवर्तनीय समझौता कर लिया

और विवेकाधीन विश्वास, अर्थात। , 'क्रिसेंट ट्रस्ट', और ए. एच. एल. की पूरी शेयर पूंजी को *10,000* अमेरिकी डॉलर के बराबर मूल्य पर ट्रस्ट में बसाया। इस न्यास के लाभार्थी सामान्य दान थे, साथ ही श्री शशि कांत रुइया *(*श्री रवि रुइया के भाई, कॉर्पोरेट देनदार के प्रवर्तक*)* के स्वामित्व वाले अधिकार और स्वयं श्री रेवंत रुइया के स्वामित्व वाली संस्थाएं थीं।

चैरिटी 'और एक' सोलिस एंटरप्राइजेज लिमिटेड ', एक निगमित कंपनी बरमूडा में, जिसकी शेयर पूंजी श्री रेवंत रुइया के पास है। न्यूमेटल ने *30.3.2018* दिनांकित एक प्रतिक्रिया के माध्यम से स्वीकार किया कि जबकि न्यास विलेख

प्रिज्मा ट्रस्ट के संबंध में ट्रस्टी को किसी भी अंग्रेजी या बरमूडा चैरिटी को लाभान्वित करने की अनुमति दी गई, "इस स्तर पर किसी विशेष चैरिटी का नाम नहीं लिया गया है"। एईएल का न्यासी एक 'रोन न्यासी', सिंगापुर है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्री रेवंत रुइया परम स्वाभाविक व्यक्ति थे जिन्होंने सोलिस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के माध्यम से प्रिज्मा ट्रस्ट के माध्यम से एईएल में लाभकारी रुचि रखी। यह न्यूमेटल द्वारा रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल को प्रस्तुत रिज़ॉल्यूशन प्लान की धारा *6.7* से निकलता है। दिलचस्प बात यह है कि *5.3.2018* दिनांकित एक हलफनामे में, प्रिज्मा ट्रस्ट के ट्रस्टी ने प्रस्तुत कियाः

"कि न्यासी *(*अपने लिए और उसके द्वारा नियंत्रित प्रत्येक व्यक्ति के लिए*)*, एतद्वारा पुष्टि करता है कि ए. ई. एल. या रिवांट रुइया न तो निम्नलिखित हैं और न ही करेंगे।

समाधान योजना का कार्यान्वयन, आर. ए. या ई. एस. आई. एल. *(*या विलय के पूरा होने पर परिणामी कंपनी*)* का प्रवर्तक होना या उस पर नियंत्रण होना या उसमें कोई प्रबंधन अधिकार होना *(*जिसमें बिना किसी सीमा के, *[2018] 12* एस. सी. आर. पर निदेशकों की नियुक्ति के अधिकार शामिल हैं*)*।

आर. ए. या ई. एस. आई. एल. का बोर्ड, या कोई विशिष्ट वीटो अधिकार या अधिकार

आर. ए. या ई. एस. आई. एल. की नीति या प्रबंधन को किसी भी मामले में निर्देशित करना। तरीका*)* "।

88. रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल ने इस हलफनामे को देखने के बाद सही ढंग से नोट किया कि इस तरह के बयान एक विवेकाधीन ट्रस्ट के वास्तव में स्वतंत्र ट्रस्टी द्वारा नहीं दिए गए होंगे, जो दर्शाता है कि ट्रस्टी श्री रेवंत रुइया के पूर्ण नियंत्रण में था। यह बदले में इंगित करता है कि प्रिज्मा ट्रस्ट नियंत्रण की श्रृंखला में एक और स्मोकस्क्रीन है, जो इस तथ्य को छिपाएगा कि एईएल पर वास्तविक नियंत्रण श्री रेवंत रुइया के अलावा किसी और के द्वारा नहीं है।

89. "लुईस कैरोल की एलिस इन वंडरलैंड में एलिस की अभिव्यक्ति जिज्ञासु और जिज्ञासु थी। श्री रेवंत की इस अद्भुत भूमि में

रुइया, एक दिन बाद *22.11.2017* पर, प्रिज्मा ट्रस्ट के न्यासियों ने अब *100%* के बराबर मूल्य पर ए. एच. एल. की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया।

क्रिसेंट ट्रस्ट के न्यासियों से लगभग *10,000* अमेरिकी डॉलर। इसी तारीख को, अध्यादेश के लागू होने से केवल एक दिन पहले

धारा *29* ए को लागू किया गया था, ईसीएल ने न्यूमेटल की शेयर पूंजी की अपनी हिस्सेदारी क्रिनियम बे को हस्तांतरित कर दी, जो वीटीबी बैंक की एक अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसके शेयर बदले

में रूसी सरकार के पास हैं। एईएल ने न्यूमेटल की शेयर पूंजी के *13.9%* का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों को भी क्रिनियम बे को हस्तांतरित कर दिया, जिससे न्यूमेटल में क्रिनियम बे की कुल हिस्सेदारी *40* प्रतिशत हो गई। उसी तारीख को, एईएल ने न्यूमेटल की शेयर पूंजी के *25.1%* का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों को भी इंडो को हस्तांतरित किया, और न्यूमेटल की शेयर पूंजी के *9.9%* का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों को भी टीपीई को हस्तांतरित किया। ये स्थानान्तरण संभवतः *10.2.2018* और *12.2.2018* के बीच हुए होंगे। दिनांक *12.2.2018* पर अपनी पहली समाधान योजना प्रस्तुत करते समय, न्यूमेटल की हिस्सेदारी इस प्रकार थीः

क्राइनियम खाड़ी

40 %

:

इंडो

25.1 %

:

टीआरओ

9.9 %

:

एईएल

25 %

:

बदले में ए. ई. एल. को नियंत्रित किया गया, घटनास्थल पर बहुत अधिक था, पकड़ के माध्यम से ए. ई. एल. न्यूमेटल की *25* प्रतिशत हिस्सेदारी।

पुरातात्विक भारत निजी लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खंड *4.4* के तहत। *4* ई. एस. आई. एल. के लिए समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने के प्रस्ताव के अनुरोध के अनुसार, यदि इसकी किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या योग्यता का उल्लंघन किया जाता है तो बकाया राशि को जब्त कर लिया जाएगा। संभावित समाधान आवेदक असत्य पाए जाते हैं। इस स्तर पर, प्रस्ताव के अनुरोध के जवाब में न्यूमेटल द्वारा पहले प्रस्तुत संकल्प योजना के प्रासंगिक उद्धरणों को पुनः प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। वही नीचे दिए गए हैंः

"4. ..... समाधान आवेदक एक नव स्थापित कंपनी है

जिसे एक प्रमुख भारतीय इस्पात व्यवसाय बनाने और उसे बनाए रखने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है और इस पर केंद्रित है

निगमित ऋणदाता का अधिग्रहण और परिवर्त्तन।

शेयरधारक जो वित्त, इस्पात, तेल और गैस, धातु खनन, भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापार विशेषज्ञता को शामिल करते हुए विभिन्न उद्योगों से गहरी विशेषज्ञता लाते हैं। क्रिनियम बे होल्डिंग्स लिमिटेड *("* क्रिनियम बे*)* वी. टी. बी. बैंक पी. जे. एस. सी. *("*वी. टी. बी. बैंक*")* की एक अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। वी. टी. बी. बैंक मास्को एक्सचेंज *("*एम. ओ. ई. एक्स*".)* और लंदन स्टॉक एक्सचेंज *("*एल. एस. ई*".)* में सूचीबद्ध सबसे बड़े उभरते बाजार समूहों में से एक है, जिसका वर्तमान बाजार पूंजीकरण लगभग यू. एस. *$12.3bn (*लगभग आई. एन. आर. *[2018] 12* एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसाधन क्षेत्र *(क)* त्याझप्रोमएक्सपोर्ट जे. एस. सी. *("*टी. पी. ई*".)* रूस में लौह और गैर लौह धातु विज्ञान परियोजना संचालन और निर्माण में एक प्रमुख इंजीनियरिंग एजेंसी है जिसके पास *60* से अधिक वर्षों और पूरी तरह से अनुभव है।

रूसी राज्य निगम, रोस्टेक के स्वामित्व में*;*

(ख) इंडो इंटरनेशनल ट्रेडिंग एफ. जेड. सी. ओ. *("*इंडो*"* या *"*आई. आई. टी. एफ*".),* एक प्रमुख वस्तु व्यापार कंपनी*;* और

(ग) ऑरोरा एंटरप्राइज ट्रेडिंग *(*एसआईसी*)* लिमिटेड *("*एईएल*"* या *"*ऑरोरा*")* क्षेत्रीय विशेषज्ञता के साथ एक वित्तीय निवेशक।

संकटग्रस्त परिसंपत्तियों*/*स्थितियों का प्रबंधन, ऋण का पुनर्गठन, निगमों का पुनर्गठन और नकदी प्रवाह के लिए रणनीतियों में सुधार। इसके अलावा इन शेयरधारकों को एशियाई बाजारों की अच्छी समझ है जो इन बाजारों में बड़े कॉरपोरेट्स के साथ काम करते हैं। उपरोक्त कारकों ने अपने शेयरधारकों की वित्तीय ताकत के साथ मिलकर न्यूमेटल को सफलतापूर्वक टर्नअराउंड को लागू करने के लिए एक मजबूत स्थिति में रखा।

XXX XXX आरसीईएलओआरएमआईटीटीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

वाणिज्यिक क्षेत्र से न्यूमेटल तक। ए. ई. एल. एक विशुद्ध वित्तीय निवेशक है। इस तरह के विवेकाधीन न्यास के लाभार्थी सामान्य धर्मार्थ संगठन और बरमूडा में निगमित कंपनी सोलिस एंटरप्राइज लिमिटेड हैं।

जिसकी शेयर पूंजी श्री रेवंत रुइया के पास है।

श्री रेवंत रुइया रवि रुइया के पुत्र हैं, जो मौजूदा सदस्यों में से एक हैं।

निगमित देनदार के प्रवर्तक "।

92. न्यूमेटल की समाधान योजना के खंड *6.7* में निर्धारित किया गया है कि यह

न्यूनतम मूर्त निवल मूल्य की आवश्यकता, जैसा कि प्रस्ताव के लिए इक्वेस्ट के तहत निर्धारित किया गया था, क्योंकि क्रिनियम बे के पास *40* प्रतिशत थान्यूमेटल का स्वामित्व, और उस वी. टी. बी. बैंक, क्रिनियम बे के किसी भी स्वामित्व का पर्याप्त निवल मूल्य था, जैसा कि *31.12.2016* पर था, प्रस्ताव के अनुरोध के तहत पुनर्भुक्ति का पालन करने के लिए। निर्णय पेशेवर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष हलफनामा, ने इस योजना पर ध्यान दिया

अतः उन्होंने कहाः

"कॉरपोरेट ऋणदाता की वेबसाइट पर इस प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित संभावित समाधान आवेदकों के लिए पात्रता मानदंड के पैरा *1* के तहत, संभावित समाधान आवेदकों को न्यूनतम वास्तविक निवल संपत्ति को संतुष्ट करने का विकल्प दिया गया था।

शेयरधारक। न्यूमेटल ने पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए अपने अकेले वित्तीय रुख को प्रस्तुत नहीं किया है या उस पर भरोसा नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रावधान का लाभ उठाने के लिए यह खुला नहीं है यह तर्क देने के लिए कि यह प्रतिवादी संहिता की धारा *29* ए के तहत पात्रता के मुद्दे का निर्धारण करते समय अपने घटकों/शेयरधारकों को नहीं देख सकता है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही आर. एफ. पी. दस्तावेज़ एक समाधान आवेदक को अपने घटकों/शेयरधारकों को देखने की अनुमति नहीं देता है।

अपने अनुभव को प्रदर्शित करते हुए, पूर्वगामी से यह स्पष्ट है कि न्यूमेटल ने अपने अनुभव को प्रदर्शित करने के लिए अपने घटकों/शेयरधारकों के अनुभव पर व्यापक रूप से भरोसा किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपने घटकों/शेयरधारकों के अनुभव पर भरोसा करने के बाद यह *[2018] 12* एस. सी. आर.

न्यूमेटल के लिए यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि यह प्रतिवादी मुद्दे का निर्धारण करते समय अपने घटकों/शेयरधारकों को नहीं देख सकता है।

संहिता की धारा *29* ए के तहत पात्रता।

93. न्यूमेटल की समाधान योजना के अंशों से यह स्पष्ट होता है कि चूंकि न्यूमेटल स्वयं एक नई निगमित इकाई थी, जिसकी अपनी कोई वित्तीय या अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं थे, इसलिए यह पूरी तरह से अपने प्रत्येक घटक शेयरधारकों की प्रमाण-पत्र पर निर्भर थी। इससे पता चलता है कि न्यूमेटल ने खुद अपनी समाधान योजना में खुलासा किया है कि इसका कॉर्पोरेट पर्दा है।

इसे हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इस घूंघट को उठाए बिना, प्रस्ताव के अनुरोध के किसी भी मानदंड को न्यूमेटल द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न्यूमेटल के चार शेयरधारक "संयुक्त रूप से कार्य करने वाले" व्यक्ति थे। धारा *29* क के अर्थ के भीतर। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि श्री साल्वे का यह तर्क कि वी. टी. बी. बैंक एक "जुड़े हुए व्यक्ति" है, उप-खंड *(*जे*)* के तहत अयोग्य होने के कारण, खारिज करना होगा, क्योंकि वी. टी. बी. बैंक स्वयं, क्रिनियम बे की अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

के माध्यम से, न्यूमेटल के तीन अन्य शेयरधारकों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति है, और इसलिए, धारा *29* ए के पहले भाग के भीतर ही आएगा। ऐसा होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि वी. टी. बी. बैंक संयुक्त रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों में से किसी एक से "जुड़ा हुआ" व्यक्ति है, क्योंकि यह स्वयं संयुक्त रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति है, और इसलिए

धारा *29* ए के पहले भाग के अंतर्गत आता है।

94. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि *29.3.2018* पर, ए. ई. एल. ने अपने

25 % अन्य तीन घटक शेयरधारकों को न्यूमेटल में हिस्सेदारी, जिससे न्यूमेटल में अपनी हिस्सेदारी को 'शून्य' के रूप में छोड़ दिया। रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के निमंत्रण के जवाब में, दूसरी रिज़ॉल्यूशन योजना, जो न्यूमेटल द्वारा *2.4.2018* पर प्रस्तुत की गई थी, में न्यूमेटल के घटक के रूप में *AEL* नहीं था; इसके बजाय, क्रिनियम बे ने न्यूमेटल की *40* प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ जारी रखा, जिसमें *TPE* की हिस्सेदारी अब *29.5%* और इंडो की *34.1%* तक बढ़ गई।

95. इस तथ्य को देखते हुए कि श्री रेवंत रुइया एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपने पिता श्री रवि रुइया *(*जो कॉर्पोरेट देनदार ईएसआईएल के प्रवर्तक थे*)* के साथ मिलकर काम करने वाला माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुभाग *29* ए *(*सी*)* पहली समाधान योजना प्रस्तुत करने की तारीख को आकर्षित किया जाएगा, अर्थात। *12.2.2018* , ए. ई. एल. के रूप में प्रिज्मा ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका अंतिम लाभार्थी स्वयं श्री रेवंत रुइया हैं। इससे पता चलता है कि ई. एस. आई. एल. की निगमित समाधान प्रक्रिया *(*यानी *2015* में*)* शुरू होने की तारीख से एक साल पहले घोषित एन. पी. ए. से राशि में वृद्धि होगी।

समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य।

एकमात्र तरीका जिसमें न्यूमेटल आर्केलार्मिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

सफलतापूर्वक एक समाधान योजना प्रस्तुत कर सकते हैं जो पहले ई. एस. आई. एल. के साथ-साथ रुइया समूह की कंपनियों के ऐसे अन्य कॉर्पोरेट देनदारों के ऋणों का भुगतान करना होगा, जिन्हें पहले एन. पी. ए. के रूप में घोषित किया गया था। अपनी समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले एक वर्ष की उपरोक्त अवधि। हालांकि, अगर दूसरी समाधान योजना की तारीख देखी जाए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री रेवंत रुइया घटनास्थल से पूरी तरह से गायब हो गए हैं, क्योंकि बची हुई तीन संस्थाओं को दो रूसी संस्थाओं और एक यू. ए. ई. इकाई के रूप में स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में बताया गया है। इसलिए, *2.4.2018* पर देखे जाने पर यह कहा जा सकता है कि श्री रेवंत रुइया घटनास्थल से गायब हो गए थे।

2.4.2018 पर समाधान योजना, न्यूमेटल की प्रारंभिक निगमित संरचना से शुरू होती है, और आज तक किए गए परिवर्तनों को जारी रखते हुए, यह स्पष्ट है कि *23.11.2017* पर धारा *29A* के लागू होने के बाद हुए सभी लेनदेन का उद्देश्य निस्संदेह धारा *29A (c)* के अनुप्रयोग से बचना है, जिसमें इसके प्रावधान भी शामिल हैं। इसलिए हमारा मानना है कि चाहे पहली या दूसरी समाधान योजना को ध्यान में रखा जाए, दोनों धारा *29* ए *(*सी*)* से स्पष्ट रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि न्यूमेटल के समावेश की तारीख से लेकर दूसरी समाधान योजना प्रस्तुत करने की तारीख तक श्री रेवंत रुइया की आसन्न उपस्थिति पाई गई है। *96.* श्री साल्वे द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह है कि वी. टी. बी. बैंक न्यूमेटल के प्रमुख घटक के रूप में, क्रिनियम बे की अपनी

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य है, क्योंकि वी. टी. बी. बैंक है।

धारा *29* ए के उपखंड *(i)* के साथ पठित उपखंड *(*च*)* के रूप में अपात्र लोगों को आकर्षित किया गया है।

97. फरवरी/मार्च *2014* में, रूसी संघ ने क्रीमिया के यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। नतीजतन, *6.3.2014* पर, के अध्यक्ष

संयुक्त राज्य अमेरिका ने कार्यकारी आदेश *13660* जारी किया

अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम और राष्ट्रीय आपातकालीन अधिनियम। उक्त आदेश में यूक्रेन की स्थिति में योगदान देने वाली रूसी संस्थाओं की संपत्ति को अवरुद्ध करने की मांग की गई थी। राष्ट्रपति द्वारा जारी कार्यकारी आदेश का सारांश देते हुए, ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने टिप्पणी कीः

"यूक्रेन/रूस-संबंधित प्रतिबंध कार्यक्रम द्वारा कार्यान्वित

विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय *(*ओ. एफ. ए. सी.*)* *6* मार्च को शुरू हुआ। *2014* , जब राष्ट्रपति, कार्यकारी आदेश *(*ई. ओ.*)* *13660* में,

कुछ व्यक्तियों के कार्य और नीतियाँ जिन्होंने उन्हें कमजोर किया था यूक्रेन में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ और संस्थान; खतरे में

शांति, सुरक्षा, स्थिरता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता

संपत्ति। के कार्यों और नीतियों के आगे के जवाब में कथित सहित रूसी संघ की सरकार

तीन बाद के कार्यकारी आदेश जिन्होंने के दायरे का विस्तार किया ई. ओ. *13660* में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल। एक साथ, ये

आदेश, अन्य बातों के अलावा, कुछ गतिविधियों के लिए जिम्मेदार या संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने को अधिकृत करते हैं।

यूक्रेन के संबंध में; सरकार के अधिकारियों के खिलाफ रूसी संघ; हथियारों में काम करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ या

रूसी संघ के संबंधित सामग्री क्षेत्र; और इसके खिलाफ

यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति और संस्थाएं। ई. ओ. *13662* ने कुछ लोगों पर प्रतिबंध लगाने को भी अधिकृत किया

रूसी संघ के निर्दिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाएं अर्थव्यवस्था। अंत में, ई. ओ. *13685* भी आयात को प्रतिबंधित करता है या

यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र में या उससे वस्तुओं, सेवाओं या प्रौद्योगिकी का निर्यात, साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यक्ति द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र में नया निवेश, जहां भी स्थित हो। *98.* इसके बाद विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय जारी किया गया

कार्यकारी आदेश *13662* के तहत संख्या *1* में कहा गया हैः

"निर्देश *1 (29* सितंबर, *2017* को संशोधित*)*

20 मार्च, *2014* के कार्यकारी आदेश *13662* की धारा *1 (*ए*) (*आई*), 1 (*बी*)* और *8* के अनुसार, "अतिरिक्त व्यक्तियों की संपत्ति को अवरुद्ध करना। यूक्रेन में स्थिति में योगदान *"(*आदेश*)* और *31* सी. एफ. आर.

§ 589.802 , काउंटरिंग रूसी का उचित ध्यान रखना

2017 के यूरोप और यूरेशिया अधिनियम में प्रभाव, और इसके बाद

धारा *1 (*ए*) (*आई*)* के तहत ट्रेजरी के सचिव का निर्धारण

वित्तीय सेवा क्षेत्र के संबंध में आदेश का

रूसी संघ की अर्थव्यवस्था, विदेशी क्षेत्रीय भारत निजी लिमिटेड के कार्यालय के निदेशक *v.*

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

परिसंपत्ति नियंत्रण विभाग के परामर्श से निर्धारित किया गया है

राज्य का, कि एक अमेरिकी व्यक्ति द्वारा या उसके भीतर निम्नलिखित गतिविधियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिबंधित है। "

यह, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने निर्देशात्मक संख्या जारी की

कार्यकारी आदेश *13662* में कहा गया हैः -

"निर्देश *2 (29* सितंबर, *2017* को संशोधित*)*

कार्यकारी आदेश *13662* के तहत

कार्यकारी आदेश *13662* की धारा *1 (*ए*) (*आई*), 1 (*बी*)* और *8* के अनुसार

20 मार्च, *2014* को "अतिरिक्त व्यक्तियों की संपत्ति को अवरुद्ध करना"

यूक्रेन में स्थिति में योगदान *"(*आदेश*)* और *31* सी. एफ. आर.

§ 589.802 , काउंटरिंग रूसी का उचित ध्यान रखना

2017 के यूरोप और यूरेशिया अधिनियम में प्रभाव, और इसके बाद

धारा *1 (ए) (आई)* के तहत ट्रेजरी के सचिव का निर्धारण

रूसी ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में आदेश का

संघ अर्थव्यवस्था, विदेशी परिसंपत्तियों के कार्यालय के निदेशक

नियंत्रण ने निर्धारित किया है, विभाग के परामर्श से

बता दें कि किसी अमेरिकी व्यक्ति द्वारा या उसके भीतर निम्नलिखित गतिविधियाँ

कानून द्वारा प्रदान की गई सीमा को छोड़कर या जब तक विदेश कार्यालय द्वारा लाइसेंस प्राप्त या अन्यथा अधिकृत नहीं किया जाता है, तब तक संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिबंधित है। परिसंपत्तियों का नियंत्रणः

(1) 16 जुलाई, *2014* को या उसके बाद और उससे पहले जारी किए गए नए ऋण के लिए

28 नवंबर, *2017*, के लिए वित्तपोषण के प्रावधान में सभी लेनदेन,

और *90* दिनों से अधिक की परिपक्वता के नए ऋण में अन्य लेनदेन

इस निर्देश या किसी पूर्व निर्देश के अधीन होने के लिए दृढ़ संकल्पित व्यक्ति

उसका संस्करण, उनकी संपत्ति, या संपत्ति में उनके हित। *(2) 28* नवंबर, *2017* को या उसके बाद जारी किए गए नए ऋण के लिए, सभी

में लेन-देन, वित्तपोषण का प्रावधान और अन्य लेन-देन

निर्धारित व्यक्तियों के *60* दिनों से अधिक के नए ऋण की परिपक्वता अवधि

इस निर्देश या उसके किसी पूर्व संस्करण के अधीन होने के लिए, उनके

संपत्ति, या संपत्ति में उनके हित।

इन व्यक्तियों के साथ या उनकी संपत्ति से जुड़ी अन्य सभी गतिविधियाँ

या संपत्ति में हितों की अनुमति है, बशर्ते ऐसी गतिविधियाँ हों

कार्यकारी आदेश *13660* के अनुसार अन्यथा निषिद्ध नहीं,

13661 , *13662* , या *13685* या कोई अन्य प्रतिबंध कार्यक्रम

विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा लागू किया गया। *"[2018] 12* एस. सी. आर.

99. निर्देशों के अधीन होने के लिए निर्धारित व्यक्तियों के नाम

कार्यकारी आदेश *13662* के तहत जारी किए गए पत्र 'क्षेत्रीय' में प्रकाशित किए जाते हैं। विदेशी परिसंपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा प्रकाशित प्रतिबंध पहचान सूची। इस सूची के अवलोकन से पता चलता है कि वी. टी. बी. बैंक इसके साथ संबद्ध विभिन्न संस्थाओं के साथ इसमें सूचीबद्ध है।

100. इसी तरह, *2014* के यूरोपीय संघ परिषद विनियमन *833* के तहत दिनांकित

31.7.2014 , रूसी कार्रवाइयों को देखते हुए कुछ प्रतिबंधात्मक उपाय

यूक्रेन में स्थिति को अस्थिर करने के लिए कुछ रूसी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें से वीटीबी बैंक एक था। इन उपायों में शामिल हैं:

"*(5)* पहुँच पर प्रतिबंध लागू करना भी उचित है
रूस को छोड़कर कुछ वित्तीय संस्थानों के लिए पूंजी बाजार

द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय स्थिति वाले संस्थान

एक के रूप में रूस के साथ अंतर-सरकारी समझौते
शेयरधारक। अन्य वित्तीय सेवाएँ जैसे जमा व्यवसाय,

द्वारा कवर किए गए संस्थानों को या उनसे भुगतान सेवाएं और ऋण

यह विनियमन, अनुच्छेद *5* में निर्दिष्ट लोगों के अलावा, नहीं हैं

इस विनियमन के अंतर्गत आता है।

इस विनियमन के अनुच्छेद *1* के तहत, 'हस्तांतरणीय प्रतिभूतियों' को परिभाषित किया गया था के रूप में:

"*(* च*)* 'हस्तांतरणीय प्रतिभूतियों' का अर्थ है प्रतिभूतियों के वे वर्ग

जिन्हें छोड़कर पूंजी बाजार पर बातचीत की जा सकती है

भुगतान के साधन, जैसे कि:

(i) कंपनियों में शेयर और शेयरों के समतुल्य अन्य प्रतिभूतियाँ
कंपनियों, साझेदारी या अन्य संस्थाओं और डिपॉजिटरी में

शेयरों के संबंध में प्राप्तियाँ,

((ii) बांड या प्रतिभूतिकृत ऋण के अन्य रूप, जिसमें डिपॉजिटरी भी शामिल है।

ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्तियाँ,

*((*ग*)* अधिग्रहण या बिक्री का अधिकार देने वाली कोई अन्य प्रतिभूतियाँ।

किसी भी

ऐसी हस्तांतरणीय प्रतिभूतियाँ या नकद निपटान को जन्म देना;

अनुच्छेद *V* में प्रावधान किया गया है:

"इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीदने, बेचने, प्रदान करने के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।

जारी करने में या अन्यथा निपटने में दलाली या सहायता

हस्तांतरणीय प्रतिभूतियाँ और मुद्रा-बाजार के साधन
90 दिनों से अधिक की परिपक्वता, *1* अगस्त *2014* के बाद जारी की गई।

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

इसके अलावा, अनुबंध *III* में वी. टी. बी. बैंक को 'प्रतिबंधात्मक उपायों' के अधीन संस्थानों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। *101.* श्री रोहतगी की ओर से जो तर्क दिया गया है, वह यह है कि धारा *29* ए के उपखंड *(i)* के साथ पठित उपखंड *(*च*)* के दायरे में आने के लिए व्यक्ति को अक्षमता के अधीन होना चाहिए, जो कि

भारत में प्रतिभूतियों में व्यापार करने या प्रतिभूति बाजारों तक पहुँचने के लिए एस. ई. बी. आई. द्वारा प्रतिबंध। इसलिए उपखंड *(*च*)* और *(i)* व्यक्तियों को संदर्भित करते हैं।

जो अपनी पूर्ववृत्तियों के कारण संहिता के तहत प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। यह वास्तव में दिवाला और दिवालियापन संहिता *(*संशोधन*)* अध्यादेश, *2017*, दिनांक *23.11.2017* की प्रस्तावना में कहा गया है, जिसने संहिता में धारा *29* ए को निम्नानुसार शामिल किया है:

"और चूंकि दिवाला समाधान प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए, कुछ व्यक्तियों को समाधान योजना प्रस्तुत करने से प्रतिबंधित करने का प्रावधान करना आवश्यक माना गया है, जो अपनी पूर्ववृत्तियों के कारण संहिता के तहत प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

(जोर दिया गया*)*

102. श्री रोहतगी ने इस बात पर जोर दिया कि संसद में संशोधन विधेयक पेश करते समय अपने भाषण में वित्त मंत्री ने कहा गया:

"और एक व्यक्ति जो एस. ई. बी. आई. के तहत प्रतिबंधित है, आवेदन नहीं कर सकता है।

इसलिए ये वैधानिक अयोग्यताएँ हैं।

इस उद्देश्य के आलोक में, धारा *29* ए *(*आई*)* को एक विकलांगता के रूप में पढ़ना होगा जो भारत के बाहर किसी क्षेत्राधिकार में समाधान आवेदक के रूप में आवेदन करने वाले व्यक्ति के पूर्ववर्ती आचरण को देखते हुए धारा *29* ए *(*एफ*)* के अनुरूप है।

103. ध्यान देने वाली बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ परिषद दोनों के अधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध वीटीबी बैंक की ओर से किसी भी कदाचार के कारण नहीं हैं। बल्कि, उन्हें राजनीतिक रूप से थोपा गया है, एक विशेष देश, यानी रूस के आचरण के कारण, जिसने अवैध रूप से यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता को कमजोर करने की कोशिश की है।

क्रीमिया और सेवस्तोपोल का विलय। हमारा विचार है कि श्री रोहतगी सही हैं, क्योंकि वी. टी. बी. बैंक को किसी भी धोखाधड़ी और/या अनुचित व्यापार प्रथाओं *[2018] 12* एस. सी. आर. के कारण भारत के बाहर किसी प्राधिकरण द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार करने या प्रतिभूति बाजारों तक पहुंचने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आमतौर पर प्रतिभूति बाजार में। एक द्वारा निषेधात्मक मंजूरी

इस प्रकार राजनीतिक कारणों से भारत के बाहर स्थित नहीं होगा

उपखंड *(i)* द्वारा संपादित। हालांकि, श्री साल्वे ने एक आदेश की ओर इशारा किया

19.9.2017 अमेरिकी जिंस वायदा व्यापार आयोग,

एन आयोजितः

"उत्तरदाताओं ने धारा *4* सी *(ए) (1)* और *(2)* का उल्लंघन किया

अधिनियम

उत्तरदाताओं के आर. यू. बी./यू. एस. डी. ब्लॉक व्यापार गैरकानूनी हैं

पंजीकृत, या दर्ज किया गया जो सही और प्रामाणिक मूल्य नहीं है। *XXX XXX XXX*

उत्तरदाताओं के आर. यू. बी./यू. एस. डी. ब्लॉक व्यापार के तहत काल्पनिक बिक्री थी

अधिनियम। उत्तरदाताओं ने ब्लॉक ट्रेडों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया

वायदा बाजार के उपयोग के माध्यम से जो अन्यथा नहीं था

वी. टी. बी. के लिए अदला-बदली बाजार में हासिल करना संभव है। के माध्यम से

ब्लॉक ट्रेडों में, वी. टी. बी. अपने क्रॉस-करेंसी जोखिम को वी. टी. बी. कैपिटल में स्थानांतरित करने में सक्षम था जो तब अदला-बदली में जोखिम को कम कर सकता था।

बाजार। वी. टी. बी. ने इनके लिए वी. टी. बी. कैपिटल से मूल्य निर्धारण प्राप्त किया

लेन-देन जो स्वीकार किया जा सकता था उससे अधिक अनुकूल था

वायदा बाजार में तीसरे पक्षों से प्राप्त। इसके साथ संरचना, उत्तरदाता, जैसा कि इरादा था, बाजार जोखिम को नकार दिया और

मूल्य प्रतिस्पर्धा से बचें। तदनुसार, प्रत्यर्थियों के ब्लॉक ट्रेड "वास्तविकता और सार के दृष्टिकोण से काल्पनिक" थे और अधिनियम की धारा *4* सी *(ए) (1)* और *(2) (ए)* का उल्लंघन था। गोल्डवर्म में, *7* कृषि। दिसंबर

*265,275 (*यह प्रदान करते हुए कि कपास वायदा व्यापार आयकर रिपोर्टिंग को पूरा करने के उद्देश्य से दर्ज किए गए हैं*)* लक्ष्य वास्तविकता के दृष्टिकोण से काल्पनिक थे और

पदार्थ *")*। इसके अलावा, उत्तरदाताओं के व्यापारों के कारण सीएमई को कीमतों की सूचना दी गई या दर्ज की गई जो अधिनियम की धारा *4* सी *(*ए*) (2) (*बी*)* का उल्लंघन करते हुए सही और प्रामाणिक कीमतें नहीं थीं। मॉर्गन स्टेनली एंड कंपनी, *[2012* ट्रांसफर बाइंडर*]* कॉम में देखें। फुत।

एल. रेप. *(* सी. सी. एच.*) 32,218 (*सी. एफ. टी. सी. जून *5,2012) (*निपटान आदेश*) (*धारा *4* सी *(*ए*)* का उल्लंघन करना जहां अवैध रूप से ए. आर. सी. एल. एम. आई. टी. ए. पी. आर. आई. वी. ए. एल. लिमिटेड *v.*

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

संबंधित पदों के लिए आदान-प्रदान के कारण गैर-प्रामाणिक कीमतों की सूचना दी गई या दर्ज की गई*)*। *XXX XXX XXX*

वी.

विषाणुओं की खोज

आयोग ने पूर्वगामी के आधार पर पाया कि,
प्रासंगिक अवधि, वीटीबी और वीटीबी कैपिटल ने धारा *4* सी *(*ए*) (1)* का उल्लंघन किया

और अधिनियम और विनियम *1.38 (*ए*)* के *(2)*। "

104. वी. टी. बी. बैंक ने यू. एस. कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें उसने स्वीकार या अस्वीकार किए बिना

निष्कर्षों या निष्कर्षों ने *50* लाख अमेरिकी डॉलर की राशि में नागरिक मौद्रिक दंड का भुगतान करने के लिए उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने से रोकने और रोकने की पेशकश की थी, और अपने उत्तराधिकारियों और नियुक्तियों को सहमति की शर्तों का पालन करने का आदेश दिया था। इस प्रस्ताव को आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, और समझौते के माध्यम से, उत्तरदाताओं द्वारा जो पेशकश की गई थी, उसके अलावा, उत्तरदाताओं ने उक्त आदेश दिनांक *19.9.2017* में निम्नानुसार सहमति व्यक्त कीः

" 3. उत्तरदाता आगे इस बात से सहमत हैं कि वे इसका पालन करेंगे

निम्नलिखित अतिरिक्त उपक्रमः

ए। उत्तरदाता निजी तौर पर बातचीत किए गए वायदा, विकल्प या एक दूसरे के साथ संयोजन लेनदेन में प्रवेश नहीं करेंगे।

इस आदेश की तारीख से दो साल की अवधि के लिए किसी भी अमेरिका स्थित वायदा विनिमय के माध्यम से*;*

105. इस आदेश को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मानते हुए भी कि कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन एक प्राधिकरण है जो

*(*श्री रोहतगी ने तर्क दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिभूति विनिमय आयोग वह प्राधिकरण है जो भारत में एस. ई. बी. आई. के साथ मेल खाता है*)*, यह स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा वी. टी. बी. बैंक पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

प्रतिभूतियों में व्यापार या प्रतिभूति बाजार तक पहुँच से। वी. टी. बी. बैंक ने जो कुछ भी किया है वह एक संघर्ष विराम आदेश के लिए सहमति है; पचास लाख अमेरिकी डॉलर की राशि में मौद्रिक दंड का भुगतान करने के लिए सहमति; और आगे

किसी विशेष सहायक कंपनी के साथ निजी तौर पर बातचीत किए गए वायदा विकल्पों में प्रवेश नहीं करने के लिए सहमति। वी. टी. बी. कैपिटल, ऑर्डर की तारीख से दो साल की अवधि के लिए किसी भी यू. एस. आधारित वायदा विनिमय पर या उसके माध्यम से। जाहिर है, निजी तौर पर बातचीत किए गए वायदा विकल्पों के संबंध में एक निषेध, *[2018] 12* एस. सी. आर.

या एक दूसरे के साथ संयोजन लेनदेन, प्रतिभूतियों में व्यापार या प्रतिभूति बाजार तक पहुँचने का निषेध नहीं है। इस प्रकार हम श्री रोहतगी से सहमत हैं कि वी. टी. बी. बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, क्रिनियम बे को धारा *29* ए के उपखंड *(i)* के साथ पठित उपखंड *(*च*)* के तहत कोई अयोग्यता नहीं है।

106. यह हमें अपीलार्थी यानी ए. एम. आई. पी. एल. के पास लाता है। जहाँ तक उत्तम गाल्वा का संबंध है, कॉर्पोरेट संरचना इस प्रकार हैः - एएमएसए एक है लक्ज़मबर्ग में सूचीबद्ध कंपनी। यह कंपनी समाधान आवेदक की अंतिम मूल कंपनी है, अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ए. एम. बी. डी. के माध्यम से, जो लक्ज़मबर्ग में निगमित एक कंपनी है, जो बदले में नीदरलैंड में निगमित एक कंपनी ओके होल्डिंग बी. वी. में *100%* शेयर रखती है, जो बदले में भारत में निगमित एक कंपनी ए. एम. आई. पी. एल. में *99.99%* शेयर रखती है। ए. एम. एन. एल. बी. वी. एक निगमित कंपनी है

नीदरलैंड, और एएमएसए की एक *100%* सहायक कंपनी है। यह इस समूह की कंपनी है

श्री एल. एन. मित्तल की, जिनके पास उत्तम गाल्वा में *29.05%* हिस्सेदारी थी *(7.2.2018* के अनुसार*)*।

107. 4.9.2009 पर, ए. एम. एन. एल. बी. वी. और उत्तम गाल्वा के भारतीय प्रवर्तकों के बीच एक सह-संवर्धन समझौता निष्पादित किया गया था, जो हैं -

मिगलानी परिवार बताया जाता है, जो मुंबई के निवासी हैं। सह-संवर्धन समझौते के अनुसार, विदेशी प्रवर्तक, अर्थात। , ए. एम. एन. एल. बी. वी. उत्तम गाल्वा के बोर्ड में आधे गैर-स्वतंत्र निदेशकों को नामित करने का हकदार था, जबकि दूसरे आधे को मिग्लानियों द्वारा नामित किया गया था। दोनों को संयुक्त रूप से सभी स्वतंत्र निदेशकों को नामित करना था। उक्त समझौते का खंड *16*, जिसे इसकी अनुसूची *II* के साथ पढ़ा जाता है, उन मामलों की एक सूची प्रदान करता है जिनके लिए ए. एम. एन. एल. बी. वी. के सकारात्मक मत की आवश्यकता होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तम में एएमएनएलबीवी की मूल हिस्सेदारी

गाल्वा *32* प्रतिशत था। दिसंबर *2017* तक ए. एम. एन. एल. बी. वी., मिगलानी समूह की हिस्सेदारी *31.82%* के हाथों में यह हिस्सेदारी घटकर *29.05%* रह गई थी। शेष शेयर जनता के पास थे। इसलिए यह सह-संवर्धन

समझौता न केवल ए. एम. एन. एल. बी. वी. को उत्तम गाल्वा के विदेशी प्रवर्तक के रूप में नामित करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि उत्तम गाल्वा का प्रबंधन और नियंत्रण संयुक्त रूप से विदेशी और भारतीय प्रवर्तकों द्वारा किया जाएगा।

इस सह-संवर्धन समझौते के अनुसार, ए. एम. एन. एल. बी. वी. ने *7.9.2009* पर *Rs.10* के अंकित मूल्य के *35,226,233* पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए प्रस्ताव पत्र जारी किया, जो उत्तम गाल्वा की शेयर पूंजी के *25.76%* का प्रतिनिधित्व करता है। इस पत्र में, बड़े पैमाने पर जनता के सामने यह खुलासा किया गया था कि ए. एम. एन. एल. बी. वी. इस कंपनी का प्रवर्तक बन रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण सकारात्मक मतदान ए. आर. सी. एल. एम. आई. टी. ए. एल. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.*

सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

अधिकार। *20.9.2011* पर, उत्तम गाल्वा के प्रवर्तक के रूप में एएमएनएलबीवी द्वारा उत्तम गाल्वा के ऋणदाता बैंकों को एक गैर-निपटान उपक्रम प्रदान किया गया था, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक भी शामिल था। आईडी*1* पर केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने उत्तम गाल्वा के खातों को एनपीए घोषित किया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तम गाल्वा के अब तक के सभी वार्षिक रिटर्न में ए. एम. एन. एल. बी. वी. की हिस्सेदारी को 'प्रवर्तक की हिस्सेदारी' के रूप में दिखाया गया है। *2017* तक की सभी वार्षिक रिपोर्टों में प्रवर्तकों की एक सूची शामिल थी, जिसमें ए. एम. एन. एल. बी. वी. शामिल था, जो कंपनी की शेयर पूंजी का *29.05%* हिस्सा रखता था और कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखता था। श्री साल्वे का तर्क है कि वास्तव में कोई नियंत्रण नहीं था क्योंकि ए. एम. एन. एल. बी. वी. ने कभी भी किसी निदेशक या निदेशक की नियुक्ति नहीं की थी।

108. ए. एम. आई. पी. एल. द्वारा अपनी पहली समाधान योजना प्रस्तुत करने से कुछ दिन पहले <आई. डी. *1]* को ए. एम. एन. एल. बी. वी. ने उत्तम गाल्वा में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी। भारतीय सह-प्रवर्तकों की एक कंपनी को बाजार से बाहर बिक्री के माध्यम से। , 'साईनाथ ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड '। जिन शेयरों को *Rs.120* के लिए खरीदा गया था, उन्हें प्रत्येक रुपये में बेचा गया था, जब उक्त तिथि पर शेयरों का बाजार मूल्य स्वीकार्य रूप से रु। *19.50* प्रति शेयर। शेयरों की उपरोक्त बिक्री खुली पेशकश किए बिना की गई थी।

2011 के अधिग्रहण विनियमों के तहत, इस आधार पर कि यह प्रवर्तकों के बीच शेयरों का अंतर-हस्तांतरण था, और इसलिए उक्त विनियमों के विनियम *10* के तहत ऐसी आवश्यकता से छूट दी गई थी। इसके अलावा, वास्तव में, उक्त शेयरों की बिक्री उत्तम गाल्वा के ऋणदाताओं की सहमति लिए बिना की गई थी, जिसकी सहमति आवश्यक थी।

ए. एम. एन. एल. बी. वी. द्वारा निष्पादित गैर-प्रकटीकरण उपक्रम के अनुसार। *7.2.2018* पर, उपरोक्त अंतर-हस्तांतरण के परिणामस्वरूप, कंपनी

कहा जाता है कि पदोन्नति समझौता स्वतः समाप्त हो गया है। प्रचुर सावधानी के साथ, समाप्ति का एक औपचारिक विलेख दर्ज किया गया था। ए. एम. एन. एल. बी. वी. ने उपरोक्त अंतर-हस्तांतरण को दर्ज करने के लिए एन. एस. ई. और बी. एस. ई. को पत्र संबोधित किए, जिन्होंने तदनुसार ए. एम. एन. एल. बी. वी. को क्रमशः *21.3.2018* और *23.3.2018* पर उत्तम गाल्वा के प्रवर्तक के रूप में अवर्गीकृत किया।

109. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि श्री एल. एन. मित्तल, जो समाधान आवेदक के अंतिम शेयरधारक हैं। ए. एम. आई. पी. एल., सीधे तौर पर ए. एम. एन. एल. बी. वी. का अंतिम शेयरधारक भी है, जो एक एल. एन. मित्तल समूह है।

कंपनी। जब विभिन्न कंपनियों का कॉर्पोरेट पर्दा *[2018] 12* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए. एम. आई. पी. एल. और ए. एम. एन. एल. बी. वी. दोनों श्री एल. एन. मित्तल द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित पाए जाते हैं, और इसलिए *2011* के अधिग्रहण विनियमों के विनियम *2 (1) (क्यू) (2) (आई)* के अनुसार सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। कि एएमएनएलबीवी उत्तम का प्रवर्तक है

उपरोक्त तथ्यों से गाल्वा स्पष्ट है, जैसा कि उत्तम गाल्वा के वार्षिक विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है। यथोचित रूप से निकटवर्ती तथ्य

गाल्वा को केवल धारा *29* ए *(सी)* द्वारा उल्लिखित अयोग्यता और इसके परिणामस्वरूप प्रावधान से बाहर निकलने के लिए बेचा गया था। तथ्य यह है कि जिन ऋणदाताओं के साथ ए. एम. एन. एल. बी. वी. का गैर-निपटान उपक्रम था, उनके पास है अभी तक किसी भी मंच को यह घोषणा करने के लिए नहीं भेजा गया है कि शेयरों की बिक्री, उनकी सहमति के बिना, गैर-स्थायी है, ए. एम. एन. एल. बी. वी. को दोषमुक्त नहीं करती है।

उत्तम गाल्वा में अपने शेयरों को बेचने से पहले अपनी सहमति प्राप्त करने में विफल रहने से। इस तरह की बिक्री निपटान न करने के सीधे विपरीत है।

ऋणदाताओं को दिया गया उपक्रम। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट है कि रु। *19.50* प्रत्येक को *1* रुपये के संकट मूल्य पर बेचा गया था, ताकि धारा *29* ए *(सी)* और उसके परंतुक के प्रावधानों को दूर किया जा सके। इसलिए यह स्पष्ट है कि उत्तम गाल्वा लेनदेन स्पष्ट रूप से

110. जहां तक केएसएस पेट्रॉन के संबंध में लेन-देन का संबंध है, तथ्य इस प्रकार हैं: *- 3.3.2011* पर, फ्रासेली, लक्ज़मबर्ग में पंजीकृत और निगमित एक इकाई, जिसका प्रबंधन और श्री एल. एन. मित्तल द्वारा नियंत्रित, नीदरलैंड में अधिवासित कंपनी के. एस. एस. ग्लोबल की हिस्सेदारी का *32.22%* था। के. एस. एस. होल्डिंग, के. एस. एस. इन्फ्रा ई. ए. एल. क्यू., फ्रासेली और के. एस. एस. ग्लोबल के बीच हुए एक शेयरधारक समझौते के अनुसार, पहली तीन कंपनियों में से प्रत्येक को के. एस. एस. के निदेशक मंडल में समान संख्या में निदेशक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था।

केएसएस ग्लोबल के निदेशक, जिनके पास भारत में निगमित कंपनी केएसएस पेट्रॉन की शेयर पूंजी का *100%* था। फ्रेज़ेली को के. एस. एस. ग्लोबल और उसके द्वारा नियंत्रित सभी कंपनियों के संबंध में बोर्ड और शेयरधारक दोनों स्तरों पर कुछ निर्दिष्ट मामलों के संबंध में निर्णयों पर सकारात्मक मतदान अधिकार भी दिए गए थे, जिसमें के. एस. एस. पेट्रॉन शामिल होगा। जैसा कि यहाँ ऊपर कहा गया है, केएसएस पेट्रॉन को *30.9.2015* पर एनपीए घोषित किया गया था। जैसा कि उत्तम गाल्वा के मामले में हुआ था, फ्रासेली ने अपने ए. एम. आई. पी. एल. द्वारा अपनी पहली समाधान योजना प्रस्तुत करने से केवल तीन दिन पहले *9.2.2018* पर के. एस.

एस. पेट्रोन में हिस्सेदारी। उसी दिन श्री एल. एन. मित्तल द्वारा फ्रासेली के माध्यम से नामित निदेशकों ने केएसएस ग्लोबल के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया।

पुरातात्विक भारत निजी लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और ओआरएस। *[* आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

111. उपरोक्त तथ्यों से, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि फ्रासेली, श्री एल. एन. मित्तल द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित एक कंपनी होने के नाते, के. एस. एस. ग्लोबल में एक तिहाई शेयर रखती है, जिसके पास के. एस. एस. पेट्रॉन में शेयर पूंजी का *100%* था, के. एस. एस. पेट्रॉन के संयुक्त नियंत्रण में था, अगर इन सभी कंपनियों के कॉर्पोरेट आवरण की अवहेलना की जाती है। इसके अलावा, *19.5.2011* के शेयरधारकों के समझौते से यह स्पष्ट होता है कि केएसएस ग्लोबल का संयुक्त नियंत्रण तीन संस्थाओं के बीच होगा, अर्थात। , के. एस. एस. होल्डिंग, के. एस. एस. इन्फ्रा ई. ए. एल. क्यू. और फ्रासेली, जिनमें से प्रत्येक को के. एस. एस. ग्लोबल के निदेशक मंडल में समान संख्या में निदेशक नियुक्त करने का अधिकार था। यही नहीं, बल्कि फ्रासेली को कुछ महत्वपूर्ण निर्दिष्ट मामलों पर सकारात्मक मतदान अधिकार भी दिए गए थे, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि, प्रस्तुत करने से ठीक पहले

आई. डी. *1,* ए. एम. आई. पी. एल. की समाधान योजना धारा *29* ए *(*सी*)* से प्रभावित होगी, क्योंकि श्री एल. एन. मित्तल की एक समूह कंपनी ने के. एस. एस. ग्लोबल पर अपनी हिस्सेदारी, निदेशकों की नियुक्ति के अधिकार और सकारात्मक मतदान अधिकारों द्वारा सकारात्मक नियंत्रण का प्रयोग किया, जो बदले में के. एस. एस. पेट्रॉन में आई. डी. *2* हिस्सेदारी रखती थी। फिर से, उत्तम गाल्वा के मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि केएसएस ग्लोबल में फ्रासेली की हिस्सेदारी की बिक्री, केएसएस ग्लोबल के निदेशक मंडल से मित्तल निदेशकों के इस्तीफे के साथ, ए. एम. आई. पी. एल. द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत करने की तारीख के उचित रूप से निकटवर्ती लेनदेन है, जिसका एकमात्र उद्देश्य धारा *29* ए *(*सी*)* के परंतुक में उल्लिखित परिणाम से बचना है। इस निर्णय में हमारे द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, इसलिए, यह स्पष्ट है कि एएमआईपीएल संहिता की धारा *29* ए *(*सी*)* के तहत भी अपात्र है।

जिन्हें ई. एस. आई. एल. की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से एक साल से अधिक समय पहले एन. पी. ए. घोषित किया गया था। श्री साल्वे ने हमें सूचित किया है कि श्री प्रमोद मित्तल ने *1994* में श्री एल. एन. मित्तल से अलग हो गए थे। इसलिए श्री एल. एन. मित्तल के साथ संगीत कार्यक्रम में अभिनय करने वाले व्यक्ति के रूप में माना जाए। चूंकि मामले के इस पहलू पर नीचे दिए गए अधिकारियों के समक्ष बहस नहीं की गई है, हालांकि अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष न्यूमेटल द्वारा आई. ए. में उठाया गया है, हम इस न्यायालय के समक्ष पहली बार इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं करेंगे।

113. चूँकि यह स्पष्ट है कि समाधान योजनाओं के दोनों सेट जो थे

रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल को प्रस्तुत किया गया, यहां तक कि *2.4.2018* पर भी, *[2018] 12* एस. सी. आर. से प्रभावित हैं।

धारा *29* ए *(सी)*, और चूंकि धारा *29* ए *(सी)* का प्रावधान लागू नहीं होगा क्योंकि एएमआईपीएल और न्यूमेटल से संबंधित कॉर्पोरेट देनदारों ने अपने-अपने एनपीए का भुगतान नहीं किया है, आम तौर पर, इन अपीलों का निपटारा केवल दोनों समाधान आवेदकों को धारा *29* ए *(सी)* के तहत अयोग्य घोषित करके किया जाता। लेनदारों की समिति की ओर से श्री सुब्रमण्यम ने हमसे अनुरोध किया कि हमारे समक्ष पक्षों को धारा *29* ए के अनुसार अपने कॉर्पोरेट देनदारों के संबंधित ऋणों का भुगतान करने का एक और अवसर दिया जाए, क्योंकि सर्वोत्तम समाधान योजना का चयन लेनदारों की समिति के आवश्यक बहुमत द्वारा किया जा सकता है, ताकि सभी बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान किया जा सके। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए, संविधान के अनुच्छेद *142* के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए

भारत, और यह भी कि इस फैसले द्वारा पहली बार धारा *29* ए पर कानून निर्धारित किया गया है, हम एक और अवसर देते हैं

दोनों समाधान आवेदकों को धारा *29* ए *(सी)* के प्रावधान के अनुसार, इस निर्णय की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपने संबंधित कॉर्पोरेट देनदारों के एनपीए का भुगतान करने के लिए। यदि इस तरह के भुगतान उपरोक्त अवधि के भीतर किए जाते हैं, तो दोनों समाधान आवेदक ऋणदाताओं की समिति को अपनी दिनांकित समाधान योजनाओं को फिर से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन्हें इस तारीख से *8* सप्ताह की अवधि दी जाती है, ताकि वे वेदांता द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना सहित प्रस्तुत योजनाओं में से सर्वश्रेष्ठ को आवश्यक बहुमत से स्वीकार कर सकें। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस स्थिति में कि कोई भी योजना स्वीकृति के योग्य नहीं पाई जाती है

लेनदारों की समिति, कॉर्पोरेट देनदार, यानी ई. एस. आई. एल. का आवश्यक बहुमत परिसमापन में जाएगा। तदनुसार अपीलों का निपटारा किया जाता है।

देविका गुजराल

अपीलों का निपटारा किया गया।